खण्ड-228, अंक-3
बुधवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1884
(28 मार्च, 1962 ई0)

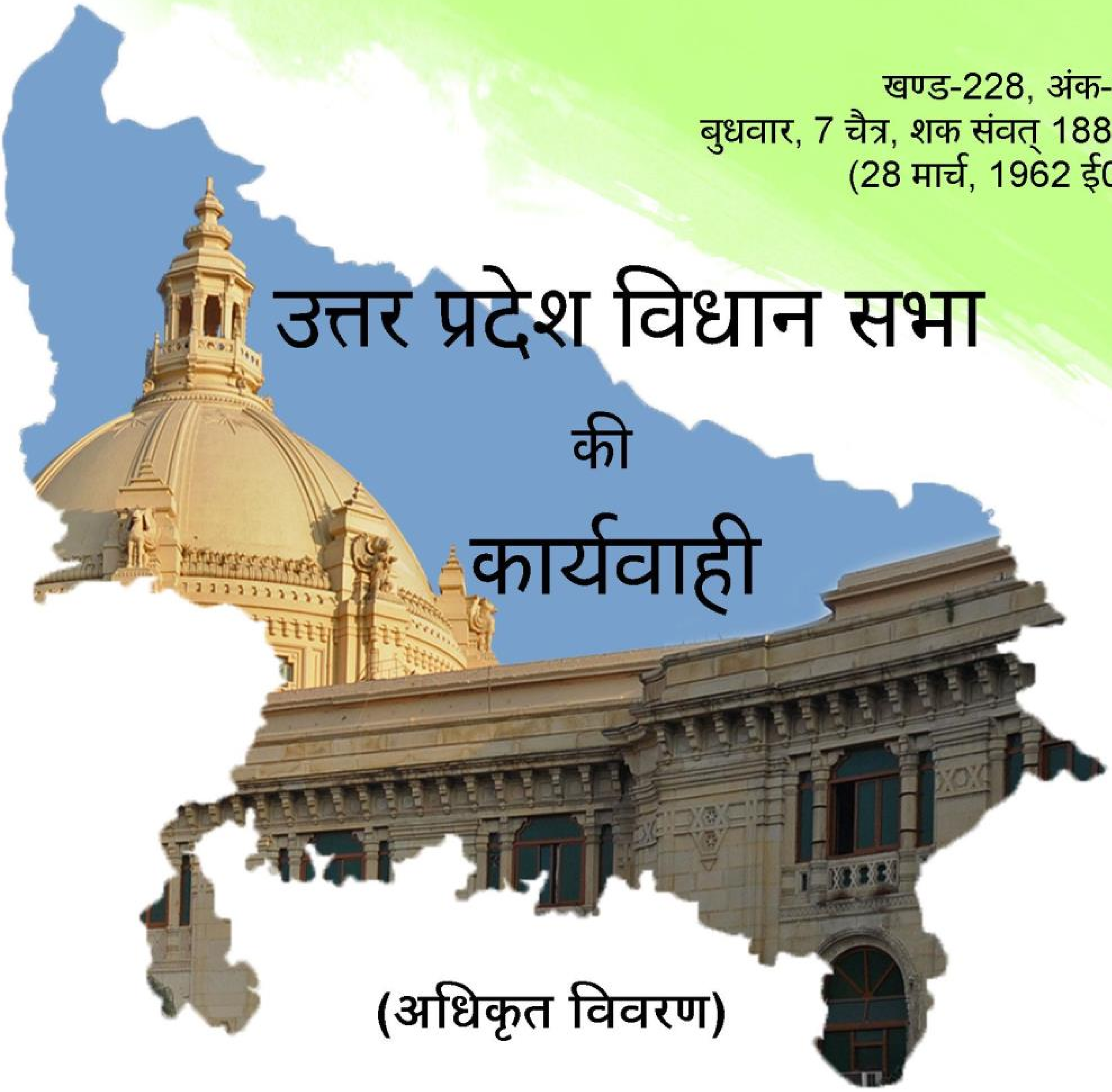

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 228 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६२

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	५९–६३
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण	६३
जनसंघ दल के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में जानकारी ..	६३–६४
मुख्य विरोधी दल और नेता के सम्बन्ध में सूचना	६४
दारुलशफा में रहने की व्यवस्था न होने के सम्बन्ध में शिकायत ..	६५
कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें (अनुज्ञा नहीं दी गयी—वक्तव्य स्वीकृत)	६६–६७
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी)	६७–१२८
अधिष्ठाता मंडल के लिये नाम निर्देशित सदस्य के सम्बन्ध में घोषणा ..	१२८

विधान सभा उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २८ मार्च, १९६२

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३६४

अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार,श्री
अवधेशप्रताप, श्री राजा
अवैद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासन, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री (आजमगढ़)
उमाशंकर, श्री (वाराणसी)
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
कंधईलाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी,श्रीमती
कल्पनार्थसिंह,श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
उपनाम (छन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ, श्री
काशीनाथबहादुर, श्री
किशनसिंह, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किसुना, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्दराय, श्री
केशभान, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केसरीप्रसाद, श्री
कैलाश ,श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगासिंह, श्री
गणेशचन्द, श्री
गयाप्रसाद, श्री (वाराणसी)
गयाप्रसाद, श्री (सीतापुर)
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवर प्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घासीराम ,श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री

चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली,श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल, श्री
चेतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद,श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगन्नाथ, श्री (जौनपुर)
जगन्नाथ, श्री (बलिया)
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान, श्री
जयगोपाल, श्री
जलील अब्बासी, श्री काजी
जसरामसिंह, श्री
जिया उर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, प्राचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडे राय, श्री
झिलमिट झिल्लू, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम, श्री
दीनदयाल, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराज, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण, श्री
नरेन्द्रबहादुरसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री (मुरादाबाद)
नरेन्द्रसिंह, श्री (पिथौरागढ़)
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम, श्री
नारायणसिंह, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी ,श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचम, श्री
परसाई, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितई, श्री
पीतमसिंह, श्री
पुरुषोत्तमलाल बघवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री

बंशीधर मिश्र,श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री (इटावा)
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिन बिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास, श्री (आगरा)
भगवानदास, श्री (मिर्जापुर)
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन , श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद , श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री (देवरिया)
मंगल, श्री (बहराइच)
मंगलदेव,श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजर, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपाल, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीर सहाय, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रनबहादुरसिंह, श्री
रफी खां, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायण, श्री (मिर्जापुर)
राजनारायण, श्री (वाराणसी)
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री (फतेहपुर)
रामकिशोर, श्री (बाराबंकी)
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरन शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसुन्दर, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत, श्री
रामायण, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह, श्री
रुद्रप्रतापसिंह, श्री कुंवर
लक्ष्मीशंकर, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकर सिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती, श्रीमती
विनयलक्ष्मी, श्रीमती
विक्रमशाह, श्री राजा
विश्वनाथ, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शौकत हमीद, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपाल, श्री कुंवर
श्रीराम, श्री (उन्नाव)
श्रीराम, श्री (बिजनौर)
श्रीरामसिंह, श्री (सहारनपुर)
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर, श्री कुंवर
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री

सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुगनचन्द, श्री
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुरजन , श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूरजपालसिंह, श्री
सूरजलाल, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरीदत्त, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतराम, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, अगर आप आज्ञा दें।

श्री अध्यक्ष—आप बैठें। दो सदस्य आये हैं जिनको पहले शपथ लेनी है। वह पहले आ जाय, तदन्तर कार्यवाही प्रारम्भ होगी।

(सर्व श्री त्रेपनसिंह तथा दलजीत सिंह ने शपथ ग्रहण की।)

जनसंघ दल के सदस्यों के बैठने की व्यवस्था के संबंध में जानकारी

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—मैंने शुरू में निवेदन किया था कि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं एक बात पर आपका ध्यान आकृष्ट करूं।

अभी जब मैं इस सदन में आया तो जनसंघ के कुछ सदस्यों ने बतलाया कि जो सीट्स उनके लिये आपने एलाट की हैं उनकी संख्या ४० है और उन पर सभी सदस्यों के बैठने का पूर्ण प्रबन्ध नहीं हो रहा है। इसे आप स्वयं देख सकते हैं कि कुछ लोग खड़े हुये हैं। इस विषय पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि सीटों की कमी है और उस दृष्टि से भी आप व्यवस्था करने का प्रयास करेंगे। लेकिन तात्कालीन उसका क्या हल है इस दृष्टि से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो कठिनाई है वह आप भी जानते हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि आप उस पर विचार करें।

श्री अध्यक्ष—मैं बतला दूं कि अभी कोई अन्तिम निर्णय मैंने इस संबंध में नहीं किया है। एक अस्थायी रूप से मैंने प्रबन्ध किया है और इस सम्बन्ध में आज सायंकाल फिर जो विरोधी दलों के नेता हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा और अन्तिम निर्णय सायंकाल हो जायगा। इसलिये जहां भी स्थान मिले आप कृपा करके बैठें।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—अध्यक्ष महोदय, अगर कुछ लोगों को आप महिला कक्ष में भेज दें जो कि खाली है तो कुछ जगह यहां से भी खाली हो जायगी।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके बैठें। इस समय जहां आपको सुविधा हो वहां आप बैठ सकते हैं। आज सायंकाल आपके नेता द्वारा यह सब सुप्रबन्ध हो जायेगा।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—अध्यक्ष महोदय, हम लोग सबसे पहले अपनी-अपनी सीटों पर बैठे हुए थे । लेकिन दूसरे दलों को वे सीट्स आपने एलाट कर दी हैं इसलिये उठ खड़े हुए। अगर कांग्रेस पार्टी की सीट्स पर जायंगे तो वह भी कहेंगे आप जाइये, तो फिर कहां बैठें ?

श्री अध्यक्ष—मैं निवेदन कर चुका हूं कि कोई अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है । आप जहां चाहें बैठ सकते हैं ।

(कुछ सदस्यों द्वारा सदन में खड़े रहने पर)

यह तो आप अव्यवस्था कर रहे हैं । जहां भी जगह हो वहां आप बैठ सकते हैं ।

मुख्य विरोधी दल और नेता के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—पूर्व इसके कि आज की कार्यवाही प्रारम्भ हो, मैं इस आदरणीय सदन के सामने एक सूचना रखना चाहता हूं । मैंने आदरणीय खेर साहब ने जो विभिन्न पार्टियों को मान्यता दी थी और उसके सम्बन्ध में जो वक्तव्य इस सदन में दिया था उसको अत्यन्त आदर के साथ पढ़ा । उन्होंने एक वक्तव्य तो १९५२ में दिया था और दूसरा वक्तव्य १९५७ में दिया था, उन दोनों वक्तव्यों के पढ़ने के अनन्तर मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूं कि उन्होंने अपने वक्तव्य को देते समय कोई अन्तिम निर्णय उन सिद्धान्तों का नहीं किया था कि जिन सिद्धान्तों के आधार पर विभिन्न दलों को सदन में मान्यता दी जा सकती है । परिस्थितियों को देखते हुये और इस विचार से कि जनतांत्रिक पद्धतियों को बल मिले और सदस्यगण संगठित हो कर सरकार की नीतियों के सम्बन्ध में आलोचनायें इस सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, उन्होंने दोनों बार अपने विचारों को प्रकट किया और जो विचार उन्होंने रखे, वह हमारे लिये स्थितियों को देखते हुये अवश्य अनुकरणीय सिद्ध हो सकते हैं ।

मेरा ऐसा मत है कि स्वस्थ लोकतांत्रिक मान्यताओं को प्रश्रय देने के लिये लोकतन्त्र को प्रोत्साहन देने के लिये और स्वस्थ रखने के लिये यह अधिक उपयुक्त नहीं है कि सदनों में बहुत सी पार्टियां हों, बहुत से दलों के नेता हों और उनको मान्यता दी जाय । मैं समझता हूं और कदाचित इस सदन के आदरणीय सदस्य भी समझते होंगे कि स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परायें जितनी कम पार्टियां हों उन्हीं के द्वारा सफल और सिद्ध हो सकती हैं । यह होते हुये भी वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुये मैंने इस समय जो निर्णय किया है वह यह है कि जिन पार्टियों को मान्यता आदरणीय खेर साहब ने पिछली विधान सभा में दी थी उन सारी पार्टियों को मैं मान्यता दूं । वे पार्टियां थीं, पी० एस० पी०, सोशलिस्ट, स्वतंत्र, कम्युनिस्ट व जनसंघ । इस समय संख्या की दृष्टि से जनसंघ के ४९ सदस्य हैं और उनकी संख्या को देखते हुये, यह देखते हुये कि वह एक आल इंडिया पार्टी है जिसके सिद्धान्त हैं और जो सदन के अन्दर और बाहर अपने सिद्धान्तों के प्रसार और प्रचार में संलग्न है और उसका एक चिन्ह है, उसके आधार पर वह आयी, आज उसी को प्रमुख विरोधी पार्टी में निश्चित करता हूं और जनसंघ के नेता माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे प्रमुख अपोजीशन लीडर रहेंगे । मेरे सामने दो पार्टियों के या दलों के, जो कुछ आप कहिये आवेदनपत्र आये हैं । एक तो इंडिपेंडेंट का और एक रिपब्लिकन्स का । इस संबंध में जो अध्यक्षों की बैठक हुई है, जो प्रथायें और मान्यतायें लोक सभा में प्रचलित हैं, जो प्रथायें हमारे भारत की अन्य विधान सभाओं में स्वीकृत हो चुकी हैं, उनका अध्ययन करके आज सायंकाल को या कल अपना सुनिश्चित निर्णय इस आदरणीय सदन के समक्ष रखूंगा ।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं कि जब जब मैं इधर दो ही तीन दिनों में विभिन्न विरोधी पार्टियों के नेताओं से मिला, मुझे यह कहने में हर्ष होता है कि उन्होंने अपने विचार अत्यंत सहयोगपूर्ण दृष्टि से मेरे सामने रखे और हमारा आपस का संवाद भी अत्यंत मैत्री पूर्ण वातावरण में हुआ । मेरा यह प्रयत्न रहेगा कि यथासम्भव अपने साधनों को दृष्टि में रखते हुये, हम प्रत्येक प्रकार की फैसिलिटी जो अभी तक उन्हें उपलब्ध थीं वही फैसिलिटीज उपलब्ध करायेंगे और जो सुविधायें अभी तक प्राप्त थीं वही उनको प्राप्त रहेंगी ।

दारुलशफा में रहने की व्यवस्था न होने के संबंध में शिकायत

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—श्रीमन् मेरा निवेदन यह है कि अभी जो आपने सदन में कहा है वह ठीक है। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर विराज रहे हैं और हमारे हक हकूकों की रक्षा करने वाले आप ही हैं और आप के द्वारा ही हमारे हकों की रक्षा हो सकेगी। इस संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जो माननीय विधायक चुनकर आये हैं उनको दारुल-शफा में रहने की व्यवस्था नहीं है। श्रीमन्, मैं राज्य सम्पति विभाग की परामर्शदात्री समिति का सदस्य भी रहा हूं और बहुत से माननीय सदस्यों को रहने के लिये जगह नहीं मिली है। हमारी पार्टी के ५—६ माननीय सदस्यों को जगह नहीं मिली है, उसकी भी व्यवस्था आप कर दें क्योंकि हमारे रहने-सहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी है। इस विभाग को भी आप अपने अन्दर ले लें।

श्री अध्यक्ष—मैं समझ गया, अब आप कृपा करके बैठिये।

श्री उग्रसेन—किसी मंत्री के अधीन राज्य सम्पत्ति विभाग नहीं रहना चाहिये। इंग्लैंड में भी है....

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें।

श्री उग्रसेन—इसको जरा नोट करवा लें।

श्री अध्यक्ष—मैं नोट कर रहा हूं।

आपके स्वयं कथन से यह सिद्ध है कि वह विभाग मेरे अधीन नहीं है। लेकिन न होते हुये भी मैं जो कुछ आपकी सहायता कर सकता हूं करने के लिये तैयार हूं। मैं हर वक्त चाहे मेरे कमरे में या आप के पार्टी रूप में, जहां आप कहें मिल कर जो आपसी सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाने के लिये प्रयत्नशील रह सकता हूं। मैं हर प्रकार से आपसे मिलने के लिये तैयार हूं लकिन जो बातें हमारी आप की बाहर हो सकती हैं उन बातों को अगर हम सदन के समक्ष रखेंगे तो मेरा ऐसा विचार है कि हम इस दृष्टि से अनुचित करेंगे अपनी यह बात कि जिससे पब्लिक टाइम, पब्लिक मनी सभी चीजों में क्षति होती है। हाउस कमेटी है, मैं हूं। आप हम से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन उसमें सदन का समय व्यर्थ नष्ट नहीं होना चाहिये जो सदन का विषय नहीं है।

श्री उग्रसेन—मैंने उसकी ओर आपका केवल ध्यान आकृष्ट किया। सिर्फ इतना ही किया।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—यह फिर हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा—बहुत सी बातों पर जब आप विचार करने जा रहे हैं, यह भी विचार कर लें। सारे माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जो हम को सारा साहित्य पीजन होल में पड़ा हुआ मिलता है उससे बड़ी कठिनाई होती है। काउंसिल में सारा साहित्य लिफाफों में बन्द करके कमरों में पहुंचा दिया जाता है, पार्लियामेंट में भी यही होता है। इस पर आप विचार कर लें कि हम को सारा साहित्य कमरों में मिल जाय।

श्री अध्यक्ष—आप तो भाषण दे रहे हैं। सदन की बात सदन में होना चाहिये। यह बात तो बाहर हो सकती थी। यह बात हमारी आपकी हो सकती है। आप एक बात मानते हैं और दूसरे को नहीं मानते हैं।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव है और चार पांच नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें हैं।

जहां तक कामरोको प्रस्ताव का प्रश्न है वह घटना कल के पहले की है और नियमानुसार कामरोको प्रस्ताव शीघ्रातिशीघ्र जब बैठक हो, आना चाहिये था। अतः इसको मैंने अस्वीकार कर दिया है।

अब मेरे पास नियम ५२ की कई सूचनायें आयी हैं। उनमें से मैं दो को अवश्य कुछ महत्वपूर्ण समझता हूं किन्तु अविलम्बनीय नहीं समझता। तो भी मैं राजस्व मन्त्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में अगर वह सदन के समक्ष अपना वक्तव्य दें तो बहुत उचित होगा।

यह दोनों जो सूचनायें हैं, यह उपलवृष्टि के सम्बन्ध में है। और एक स्थान की नहीं है। एक तो पूर्वी उत्तर प्रदेश गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, बहराइच इन जिलों के सम्बन्ध में है और एक अलीगढ़ जिले में सिकन्दराराव क्षेत्र के ४० गांवों के सम्बन्ध में है। तो अनेक स्थानों पर मालूम होता है कि यह ओला वृष्टि हुई है। ऐसी दशा में कदाचित माननीय राजस्व मन्त्री अगर इस सदन के समक्ष कोई वक्तव्य पूरे उत्तर प्रदेश का दे दें और उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है यह बता दें तो मैं समझता हूं कि जो सूचना सदस्यगण चाहते हैं वह सूचना भी मिल जायगी और जो कार्यवाही हो रही है उसके सम्बन्ध में भी सदस्यगण अवगत हो जायेंगे।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)—अध्यक्ष महोदय, इन नोटिसेज की कोई कापी मुझे अभी तक मिली नहीं है।

श्री अध्यक्ष—मैंने अभी उसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है। मैं तो सिर्फ यह निवेदन कर रहा था कि आपके पास मैं भेज दूं और आप पूरे उत्तर प्रदेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है ओलावृष्टि से उसके सम्बन्ध में वक्तव्य सदन में दे दें।

श्री हुकुमसिंह विसेन—दो दिन बाद मैं दे सकूंगा। दो दिन का समय मुझे दे दिया जाय।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो नियम ५२ के अन्तर्गत प्रश्न है उसके कन्टेन्ट्स को यहां पर सदन के सामने रख दिया जाय तो बेहतर होगा जिससे सदन को मालूम हो जाय कि क्या स्थिति है?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य महोदय, आपने स्वयं अपनी इस सूचना में लिखा है कि अमुक-अमुक जिले आदि। इसका मतलब यह हुआ कि और भी जिले ऐसे हैं कि जहां ऐसी घटना हुई है और अलीगढ़ में भी हुई है। तो मैं राजस्व मन्त्री जी से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो स्थिति इस उपलवृष्टि से हुई हो वह सारी की सारी आपके सामने आ जाय। अगर आपका यह स्वीकार कर लिया जाता तो हम एक ही क्षेत्र के बारे में जानते। यहां हम सारे उत्तर प्रदेश के सम्बन्ध में इस सदन के समक्ष जो स्थिति है उसको लाना चाहते हैं ताकि वह सबको मालूम हो जाय। तो इसी दृष्टि से मैंने माननीय राजस्व मन्त्री जी से कहा और उन्होंने उसे स्वीकार भी कर लिया। अब दो दिन का वह अवसर चाहते हैं। दो दिन में आपके सामने बयान आ जायगा।

श्री नरसिंहनारायण—उस कामरोको प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय आपने किया जो कि किसानों के करोड़ों मन गन्ने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में है?

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)—मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी माननीय राजस्व मन्त्री जी से अनुरोध किया है कि वह अपना वक्तव्य दें, लेकिन आपने यह कहा कि आपने इसे नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकार नहीं किया है। नियम ५२ में आप स्वीकार करते तो इधर के सदस्यों को इस बात का अवसर मिलता कि हम उनसे और प्रश्न पूछ सकते। तो अपनी जानकारी के लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह अवसर हमें मिलेगा कि वक्तव्य पूरा न हो तो हम इस सम्बन्ध में और अनुपूरक प्रश्न पूछ सकेंगे ?

श्री अध्यक्ष—यह तो जब वक्तव्य होगा तो क्या मैं कहीं चला जाऊंगा ? उस समय बातचीत हो जायगी। (कुछ ठहर कर)

इसके अनन्तर अब आगे की कार्यवाही प्रारम्भ होती है। आपके समक्ष श्री जगदीशशरण अग्रवाल जी अपना प्रस्ताव रखेंगे।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि:

"उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य, जो इस अधिवेशन में एकत्रित हुये हैं, श्री राज्यपाल के सम्बोधन के लिये जो उन्होंने राज्य विधान मन्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को दिया है, कृतज्ञतापूर्ण धन्यवाद प्रकट करते हैं।"

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, ऐसा होता रहा है कि जो संशोधन हम लोग प्रस्ताव में देते हैं उनको पहले पढ़ दिया जाता है क्योंकि यदि संशोधन पहले सामने आ जायेंगे तो उसी के तहत में सब लोग अपना भाषण देंगे।

श्री अध्यक्ष—पहले संशोधन कैसे रख सकते हैं जब तक कि प्रस्ताव समक्ष न आये ?

श्री उग्रसेन—माननीय सदस्य का प्रस्ताव होने के बाद जो विरोधी पक्ष के बोलने वाले हैं उनका संशोधन हो जाय।

श्री अध्यक्ष—पहले प्रस्ताव हो जाय तभी उस पर संशोधन रखियेगा और बोलियेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, जनतन्त्र की उपासना करने वाले देशों ने जो परम्परा और मान्यतायें निर्धारित की हैं उनमें से एक यह भी है कि नवनिर्वाचन के बाद सबसे पहली बार और हर सत्र के आरम्भ होने से पहले राज्य नायक सदन को सम्बोधित करता है और उनके बुलाने के कार्य पर प्रकाश डालकर इस बात का अवसर प्रदान करते हैं कि उन कार्य कलापों और नीतियों की ओर चर्चा की जा सके जो कदाचित सदन में आनेवाली हैं।

मान्यवर, आज की विशेषता यह है कि हम नये सत्र के आरम्भ में ही नहीं बल्कि इस सदन के आरम्भ में इस सम्बोधन पर विचार करने के लिये बैठे हैं। तब न केवल सरकार को वरन इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को उन मान्यताओं और उन परम्पराओं को सृजन करना है जिसमें जनतन्त्र पल्लवित और प्रफुल्लित हो सके। श्रीमन्, जब कल माननीय राज्यपाल का यहां पर सम्बोधन हो रहा था विशेष और अनिवार्य परिस्थितिवश मैं इस सदन में उपस्थित नहीं रह सका। मुझे अपने क्षेत्र में जाना पड़ा। लेकिन समाचारपत्रों के द्वारा यह पढ़कर मुझे आश्चर्य तो नहीं बल्कि दुख हुआ कि हमारे इस माननीय सदन के किसी दल विशेष ने उस समय इस सदन का त्याग करना उचित समझा। मान्यवर, हम आपके अभारी हैं कि आपने कल अपरान्ह में उस ओर इस माननीय सदन का ध्यान दिलाया और इस आवश्यकता की ओर संकेत किया कि भविष्य में ऐसी परिस्थिति इस सदन में न आ सके तो अच्छा है.....

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)—अंग्रेजों के जमाने में कई बार वाक आउट हो चुका है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—उन चीजों को हमें रिपीट नहीं करना है। पहला प्रश्न जो हमारे सामने उपस्थित होता है वह यह है कि आज जो प्रस्ताव मैंने इस माननीय सदन के समक्ष रखा है उस पर किस दृष्टिकोण से और किस मापदण्ड से विचार किया जाय। मैं भी मानता हूं कि जितने माननीय सदस्य इस ओर बैठने वाले हैं या उधर बैठने वाले हैं वह जनता जनार्दन के न्यायालय की अग्निपरीक्षा में उत्तीर्ण होकर इस सदन में आये हैं। उनके हृदय की यह ओतप्रोत भावना है कि प्रदेश की प्रगति जैसे भी सम्भव हो सके, द्रुतगति से हो। उनके हृदय में अवश्य ही बड़ी अभिलाषा, आकांक्षा और कल्पनाएं होंगी उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये। मैं ऐसा सोचता हूं कि अगर हम सभी उन आकांक्षाओं और अभिलाषाओं का प्रतिबिम्ब इस सम्बोधन में देखने का यत्न करें तो कदाचित हमें निराशा हो सकती है और यह तालिका संशोधनों की, जो हमारे सामने प्रस्तुत है, मैं यह कह सकता हूं कि वह छोटी पड़ सकती है। इस माननीय सदन में बैठने वाला हर सदस्य बहुत सी भावनायें रखता है और बहुत सी कल्पनायें रखता है। मैं स्वयं यह भी धृष्टता कहने की कर सकता हूं कि कदाचित उन संशोधनों में और कुछ बढ़ाने का मैं भी यत्न कर सकता था लेकिन मान्यवर, जिन पर राज्य व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है, दायित्व होता है उनकी सीमायें होती हैं। उनके साधन, परिस्थितियां सीमा बन कर खड़ी रहती हैं, इच्छायें रहते हुये भी वे उस सीमा की परिधि के अन्दर ही अपनी इच्छाओं को कार्यान्वित कर सकते हैं। यदि इस दृष्टि से हम देखें तो मैं समझता हूं कि सदन इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि मेरा प्रस्ताव उनके समर्थन का पूर्णतया पात्र है।

मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने सबसे पहले चुनाव में लगे हुये सारे व्यक्तियों को बधाई दी। भारतवर्ष में जो तृतीय चुनाव हमने सम्पन्न किया और इससे पहले जो दो चुनाव सम्पन्न किये वे संसार के सबसे बड़े जनतांत्रिक चुनाव थे। संसार के किसी देश में भी इतने बड़े चुनाव का प्रयोग अभी नहीं हो पाया है और दूसरे देशों के लोग भी जो हमारे देश में आये उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जिस दक्षता और निष्पक्षता से हम इन चुनावों को सम्पन्न करने में सफल हुये हैं वह अनुकरणीय है और इससे हमें सन्तोष ही नहीं गर्व भी हो सकता है और हम यह समझ सकते हैं कि शैशवाकाल में हम जनतन्त्र के उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके जो प्रौढ़ अवस्था में भी कदाचित कई अन्य जनतांत्रिक देश नहीं प्राप्त कर सके हैं। इसलिये मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि हमारे यहां के सारे दल अपने बीच की खाइयों से ऊपर उठकर, दलबन्दियों के दायरे से ऊपर उठ कर कम से कम उन सारे व्यक्तियों को धन्यवाद दें और राज्यपाल महोदय के उन विचारों से अपने को हृदय से सम्बद्ध करें जिससे देश में स्वस्थ परम्परायें बन सकें ताकि चुनाव इसी निष्पक्षता से और दक्षता से सम्पन्न होते रहें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—आर्डर, आर्डर। आपको भी बोलने का मौका मिलेगा।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—मान्यवर, मैं यह समझता हूं कि माननीय नेकराम जी जिनकी व्यक्तिगत रूप में मैं बहुत इज्जत करता हूं, यदि मेरी बात सुनने की कृपा करते तो उनको आपत्ति का जवाब स्वयं मिल गया होता। मैं चुनाव में लगी हुई मशीनरी के बारे में निवेदन कर रहा था।

मान्यवर, आगे चल कर श्री राज्यपाल महोदय ने तृतीय पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्यों का जिक्र किया है। और उन्होंने अपने सम्बोधन के आरम्भ में ही इस बात को स्वीकार किया कि परिवहन तथा निर्माण सामग्री की कमी के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो प्रगति पहले वर्ष में होनी चाहिये थी कदाचित नहीं हो सकेगी। मैं इस सफाई के साथ इस बात को स्वीकार करने और इस आवश्यकता को मानने के लिये उनको हृदय से बधाई देता हूं। यदि हमारे सामने कोई कठिनाइयां हैं और उन पर हमारा पूरा ध्यान है और उनको स्वीकार

करके अगर हम आगे चलते हैं तो ऐसा करने से उन कठिनाइयों का समाधान स्वयं ही हो जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में ४५७ करोड़ रुपये में से ७२.१७ करोड़ रुपये १९६१–६२ में व्यय होना था। परिवहन और बिल्डिंग मैटीरियल की कमी के कारण कदाचित् निश्चित धन इस अवधि में व्यय नहीं हो सकेगा। लेकिन यदि हमें अपनी पंचवर्षीय योजनाओं में सफलता प्राप्त करना है तो ऐसी अड़चनों को हमें पार करना होगा और उन दोनों दिक्कतों का, जिसकी और महामान्य राज्यपाल महोदय ने संकेत किया है, सामना करना पड़ेगा।

मान्यवर, इसके बाद माननीय राज्यपाल महोदय ने सहकारिता का जिक्र किया है अपने सम्बोधन में। समाजवादी ढांचे को स्थापित करने के लिये सहकारिता आधारशिला है।

आज सहकारी समितियां हमारे देश में किस प्रगति से कार्य करें, किस दक्षता से कार्य करें, उसी पर हमारे भावी कार्यक्रम की सफलता निर्धारित है। महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यह बताया है कि सरकार का लक्ष्य अगली पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रदेश के हर ग्राम में सहकारी समिति स्थापति कर देना है। यह लक्ष्य सर्वथा सराहनीय है और इसकी प्राप्ति के लिये जितनी भी तेजी से हम कार्य करें उतना ही अच्छा है और उतनी ही जल्दी हम अपने लक्ष्य के समीप आ सकेंगे।

मान्यवर, इस दिशा में एक बहुत ही ठोस और क्रांतिकारी कदम जो उठाया गया वह यह है कि काश्तकार को ऋण देते समय उसकी भूमि सम्बन्धित हैसियत को उस ऋण का आधार न माना जाय, बल्कि काश्तकार की आवश्यकता को उसका आधार माना जाय। यह आवश्यक भी था। यदि वास्तव में हमें उस ऋण व्यवस्था को सार्थक बनाना है, उसको उपयोगी बनाना है और प्रदेश को उन सहकारी समितियों से कोई लाभ पहुंचाना है तो यह जरूरी था।

मान्यवर, महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में जिन अग्रगामी योजनाओं की घोषणा की गई है वह भी सराहनीय हैं और इसके द्वारा भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आगे बढ़ सकेंगे।

तीसरी बात जो महामान्य राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में विशेष कही गई है वह है कोआपरेटिव सोसाइटियों के बारे में ऐक्ट में कुछ आवश्यक तब्दीली करने की। कोआपरेटिव ऐक्ट पुराना बना हुआ है जो आजकल की परिस्थिति और आवश्यकताओं की दृष्टि से अपर्याप्त है, इसलिये यह आवश्यक है कि उसमें आमूल–चूल परिवर्तन किया जाय। मैं समझता हूं कि इस बात से सभी माननीय सदस्यों को हर्ष होगा।

मान्यवर, आगे चल कर राज्यपाल महोदय ने देश की खाद्य–स्थिति का भी जिक्र किया है। किसी भी देश में जब तक रोटी का सवाल अच्छी तरह से हल न हो जाय वहां की सारी प्रगति रुक जाती है। हमें इस बात का हर्ष है कि पिछले वर्षों में हमारे प्रदेश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है जिसके फलस्वरूप खाद्यान्न की कीमतों में भी कमी हुई है।

श्री उग्रसेन—केवल कागज पर बढ़ा है।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल—जी नहीं। प्रदेश में बढ़ा है और उसके फलस्वरूप कीमतें भी गिरी हैं। हमारे प्रदेश में सन् १९६१ में जो जगह–जगह फेयर प्राइस शाप्स, यानी सस्ते गल्ले की दूकानें खोली गयीं उसके द्वारा भी प्रदेश में बढ़ती हुई कीमतों को रोका गया और जनता को काफी सुविधा पहुंचाई गई। मान्यवर, मैं यह समझता हूं, कि वह समय हमारे प्रदेश में शीघ्र आ सकेगा जब कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में जो लड़ाई शुरू की गई थी, उस पर हम पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेंगे।

इसके बाद, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में उद्योगों का भी जिक्र किया है। उद्योग किसी भी प्रदेश अथवा देश की प्रगति की रीढ़ की हड्डी की तरह होता है और उसी के द्वारा हम बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं। प्रदेश की उन्नति के लिए बड़े

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

उद्योग आवश्यक हैं परन्तु मैं तो ऐसा समझता हूं कि छोटे उद्योग धन्धे उससे भी अधिक आवश्यक हैं। हर्ष की बात यह है कि हमारी सरकार दोनों के प्रति जागरूक रही है। इस सम्बन्ध में मैं, श्रीमन, एक शिकायत करना चाहता हूं और सभी सदस्य मुझ से सहमत होंगे कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप, अपनी जनसंख्या और साधनों के अनुपात से जो हैवी इंडस्ट्रीज का अलाटमेंट हमारे प्रदेश के लिये किया गया है वह बहुत कम है और हमारे साथ न्याय नहीं किया गया है। फिर भी हमारे और हमारी सरकार के प्रयत्न से हमारे यहां हैवी एलेक्ट्रिक्स मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट, एक एंटी-बायोटिक्स प्लान्ट, एक फर्टीलाइजर फैक्टरी, एक डीजेल लोकोमोटिव फैक्टरी खुलने की अनुमति मिली है। यदि मैं अपने प्रस्ताव में कहे हुये शब्दों के द्वारा इस सदन की आवाज को आपके द्वारा केन्द्र तक पहुंचा सकूं तो मैं समझता हूं कि आज हमारे प्रदेश का अधिकार है कि हमको इस दिशा में पूरा अवसर मिलना चाहिये।

लघु उद्योगों का जहां तक सम्बन्ध है, सरकार ने काफी ध्यान दिया है। खादी के विलेज इंडस्ट्रियल बोर्ड की स्थापना इस विषय में एक सराहनीय कदम है। हमारे इस विभाग के नये मन्त्री जो इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिनकी सेवाओं से यह सदन वंचित हो गया था, वे अपनी पूरी प्रेरणा देकर, आशा है, इस उद्योग के विकसित होने में सहायता देंगे।

गन्ना उद्योग हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है। कुछ वर्ष पहले ऐसा लगता था कि प्रदेश में शक्कर का अकाल-सा पड़ रहा है और चाय में, मामूली दावतों में शक्कर के लिये हमें सरकारी दफ्तरों की तरफ देखना पड़ता था। इस विषय में भी फिक्सड टार्गेट से अधिक गन्ना हम अपने सूबे में पैदा कर सके। ३७३.५१ लाख टन गन्ना और १४.४ लाख टन शक्कर हमारे सूबे में बन सकी है, जोकि निर्धारित लक्ष्यों से कहीं ज्यादा है। जहां यह सराहनीय है वहां यह चीज एक खतरा भी खड़ा कर देती है, जिसकी ओर राज्यपाल महोदय ने भी संकेत किया है कि हमारा गन्ने का रकवा इतना बढ़ गया है जिससे हमारे खाद्यान्न की समस्या और भी जटिल हो जायगी। आज २५ लाख एकड़ जमीन गन्ने के कल्टीवेशन के काम में आ रही है। यह चिन्ता का विषय है। अगर इसके एकरेज को बढ़ने से रोका नहीं गया तो खाद्यान्न की समस्या जटिल-रूप धारण कर सकती है।

इसके बाद सिंचाई योजना का जिक्र संबोधन में किया गया है। उसके छोटे साधनों का प्रसार प्रदेश के लिये परमावश्यक और लाभदायक हो सकता है बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ हमें छोटे साधनों की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिये। मुझे हर्ष है कि माननीय राज्यपाल ने और उनकी सरकार ने यह उचित समझा और निजी छोटे साधनों के प्रसार को वे उतना ही महत्व देते हैं जितनी कदाचित् आशा की जा सकती थी और मेरा ऐसा विश्वास है कि यदि इस दिशा में पूरा महत्व दिया जाता रहा तो हम वांछित सफलता प्राप्त कर सकेंगे। रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, माताटीला प्रोजेक्ट, सरजू सागर प्रोजेक्ट, सरजू कैनाल प्रोजेक्ट और गंडक कैनाल प्रोजेक्ट से तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १४५ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई हमारे प्रदेश में हो सकेगी, यानी कुल भूमि के चौथाई की सिंचाई पर्याप्त रूप से हो सकेगी। यह काफी संतोष का विषय है।

मान्यवर, इस दिशा में एक चिन्ता का विषय यह था कि हमारे प्रदेश में प्रकृति के प्रकोप से फ्लड्स आते रहे और हमारी तैयारी पूरी न होने के कारण उनको हम समय पर रोक न सके। यह आवश्यकता थी और है कि हम ऐसे मजबूत इन्तजाम कर सकें, ऐसे उपाय ढूंढ सकें जिनके द्वारा इन फ्लड्स का आना रुक सके और जो क्षति होती है उससे प्रदेश को बचा सकें। मुझे हर्ष है कि इस ओर भी माननीय राज्यपाल ने संकेत किया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि अगली पंचवर्षीय योजना में जो प्रयत्न वे करने जा रहे हैं उसमें १० लाख एकड़ भूमि को बाढ़ के खतरों से बचाया जा सकेगा।

मान्यवर, किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिये बिजली का होना परमावश्यक है । अगर हम बिजली प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में भी उत्पन्न न कर सकें तो प्रदेश का औद्योगीकरण असम्भव हो जायगा। आज हमारे प्रदेश में वास्तव में इस दिशा में बड़ी कमी रही है और आवश्यकता है कि हम सारे साधनों को जुटा कर बिजली की सप्लाई को इतना बढ़ा सकें कि हमारा औद्योगीकरण, जिसमें हम बहुत पीछे हैं, वह रुक न सके । मुझे हर्ष है कि इस ओर भी राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में पूरा ध्यान दिलाया गया है और इस बात का आश्वासन दिया गया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में १०७.५९ करोड़ रुपये का व्यय किया जा रहा है बिजली के साधनों को बढ़ाने के लिये, जिसके फलस्वरूप ७५३ मेगावाट बिजली की वृद्धि हो सकेगी । मान्यवर, मेरा इस दिशा में एक सुझाव यह है कि हमारे यहां जितनी भी प्राइवेट बिजली कम्पनियां हैं उनका नेशनलाइजेशन अविलम्ब किया जाय जिससे जो असुविधायें जनता को उनके द्वारा हो रही हैं, जिस प्रकार वह जनता की गाढ़ी कमाई का रुपया चूसने का यत्न करते हैं, उससे हम उन्हें मुक्त कर सकें ।

मान्यवर, आगे चल कर माननीय राज्यपाल महोदय ने मद्यनिषेध की नीति का कुछ जिक्र किया है । मैं उनको इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उस दिशा में जो कमी रही है, जो असफलता रही है उसको भी बड़ी सफाई के साथ स्वीकार किया है और इस बात को माना है कि इस दिशा में कोई प्रगति संतोषजनक नहीं हुई । उन्होंने मान्यवर संकेत इस ओर भी किया है, जिससे मुझे व्यक्तिगत रूप में कुछ खतरा दिखाई देता है, "आबकारी और राजस्व में होने वाली हानि को रोका जाय" । जहां तक राजस्व या किसी भी आय में कोई हानि को रोकने का प्रश्न है कदाचित् इस सदन के सभी माननीय सदस्य सहमत होंगे, लेकिन वह दिन हमारे देश और प्रदेश में दुर्भाग्य का दिन होगा जब कि उस कमी को रोकने के लिये कहीं हम अपनी उस नीति को पीछे न लौटाने लग जायं और जो प्रगति की सुई आगे बढ़ी है, कितनी धीमी रफ्तार से ही सही, आगे बढ़ी है वह पीछे को चलने लगे । मैं ऐसा समझता हूं कि इससे महामान्य राज्यपाल महोदय का कदाचित् ऐसा आशय नहीं होगा ।

इसके साथ ही साथ यू० पी० मोलेसस ऐक्ट में आवश्यक परिवर्तन करने की घोषणा भी राज्यपाल महोदय ने की है । मैं इसकी आवश्यकता को महसूस करता हूं, खास तौर से इसलिये कि हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे प्लान्ट्स हम लोगों की प्रेरणा से अथवा राज्य की प्रेरणा से लगाये गये हैं, जैसे बरेली में एक सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री २० करोड़ रुपये की लागत से लगायी गयी है जिसके लिये अगर समुचित मात्रा में शीरा न मिल सका तो उतने बड़े धन का, जो उसमें लगा हुआ है, हम कोई सदुपयोग नहीं कर सकते। इसलिये आवश्यकता है कि इस प्रकार के संशोधन हों ।

मान्यवर, शिक्षा के विषय में मान्यवर राज्यपाल महोदय ने कुछ संकेत किया है और उन्होंने इस बात की आवश्यकता को स्वीकार किया है कि आज जो हायर सेंकेडरी एजूकेशन हमारे प्रदेश में है उसमें भी रिओरियेन्टेशन की आवश्यकता है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है । मैं भी ऐसा विचार रखता हूं और समझता हूं कि इस सदन में बैठने वाले इसकी आवश्यकता को महसूस करते होंगे और समझते होंगे कि हमारी उच्चतर शिक्षा में काफी संशोधन और परिवर्तन की आवश्यकता है, गुंजाइश है । हम इन्टरमीडियेट एजूकेशन ऐक्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिसका संकेत महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में किया है और यह आशा करते हैं कि उसमें उन सारी बातों का समावेश होगा जिसकी आज प्रदेश को मांग है और जिसकी समय-समय पर हमारे प्रदेश के नेता चर्चा करते रहे हैं ।

मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में टेक्निकल एजूकेशन भी अपना एक स्थान रखती है और देश की प्रगति के लिये टेक्निकल एजूकेशन की उन्नति उतना ही आवश्यक है जितनी किसी और शिक्षा की उन्नति की । हर्ष का विषय है कि इस की ओर भी सरकार का ध्यान गया है । करीब दो करोड़ रुपये की व्यवस्था तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में की गयी है । इलाहाबाद और गोरखपुर में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने का निश्चय किया गया है, और खोले भी जा

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

चुके हैं । इस विषय में एक निवेदन और करना चाहूंगा, यद्यपि कहते हुए मुझे संकोच होता है, लेकिन कर्त्तव्य मुझे बाध्य करता है यह कहने के लिये कि जितने भी टेक्निकल कालेज या मेडिकल कालेज अथवा यूनिवर्सिटीज खोली जाती हैं, पता नहीं वे किसी नीति के अधीन खोली जा रही हैं अथवा किसी संयोग से या जान बूझकर पूर्वी जिलों में ही खोली जा रही हैं । मान्यवर, इसका परिणाम यह होता है कि बिला कारण ही हमारे प्रदेश में एक मनोमालिन्य पैदा होता है और प्रदेश के कुछ जिलों को उसकी शिकायत होती है । आज पश्चिमी जिलों में बरेली अथवा रुहेलखंड का कोई भी जिला हो सकता है जहां कि इंजीनियरिंग कालेज खोले जा सकते हैं, जिससे उधर के रहने वालों को सुविधा मिल सके ।

मान्यवर, हर्ष की बात है कि महामान्य राज्यपाल महोदय ने अपने संशोधन में हरिजनों और पिछड़े वर्ग के कल्याण के विषय में भी संकेत किया है और इस बात की आवश्यकता को स्वीकार किया है कि उनको विशिष्ट टेनिक्कल ऐजूकेशन में विशेष सुविधा प्रदान की जाय, और कुछ टेक्निकल कालेज केवल उनकी सुविधा के लिये खोले जायं । मान्यवर, मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह प्रदेश के इन वर्गों के लिये सहयोगी सिद्ध होगा ।

श्रीमन्, संसदीय परम्परा का यह तकाजा है कि मैं संबोधन में वर्णित सारी बातों के संबंध में अपने विचार रखूं, लेकिन समयाभाव के कारण केवल एक दो बातों को आपके सामने रख कर समाप्त करूंगा । मान्यवर, स्वास्थ्य की प्रगति किसी भी प्रदेश के लिये परम आवश्यक है, उसकी एक तरह की भित्ति है । मुझे हर्ष है कि हमारे प्रदेश ने इस दिशा में जो कदम उठाया वह बड़ा सफल रहा है और उसी के फलस्वरूप कुछ लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिनसे हमारे प्रदेश को संतोष हो सकता है इसका एक प्रमाण तो यही है कि हमारे यहां जो आयु का औसत था वह इन १५ वर्षों में २७ वर्ष से बढ़ कर ४२ वर्ष पर आ चुका है, यह हमारे लिये संतोष और हर्ष का विषय है ।

मान्यवर, डाक्टरों की कमी की ओर महामहिम राज्यपाल ने विशेष ध्यान दिलाया और फिर मेडिकल कालेजों के खोले जाने की आवश्यकता का भी अपने संबोधन में जिक्र किया है । मैं फिर आपकी आज्ञा से और सदन से क्षमा चाहते हुये यहां उस बात को दोहराना चाहता हूं कि मेडिकल कालेजों के खोलते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाय कि वह प्रदेश के किसी भाग विशेष में ही न खुले और प्रदेश के अन्दर ऐसी भावना न पैदा होने दी जाय कि प्रदेश के पूर्वी या पश्चिमी अंचल में ही यह चीज हो, क्योंकि बरेली और रुहेलखंड भी ऐसे मेडिकल कालेजों के लिये उपयुक्त होंगे और उनके अधिकारों तथा उनकी मांगों को देखना उचित और आवश्यक है ।

मान्यवर, आखिरी बात जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह है विकेन्द्रीकरण की । महामहिम राज्यपाल ने विकेन्द्रीकरण का जिक्र किया है और इस बात की घोषणा की है कि वह अविलम्ब जिला परिषदों के चुनाव कराने का विचार रखते हैं और हमारे प्रदेश में जो म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरियाज हैं उनमें भी वे आवश्यक संशोधन करने का विचार रखते हैं । मैं आपकी आज्ञा से केवल एक मिनट में इतना निवेदन करना चाहता हूं कि आज वास्तव में जो हमारी लोकल बाडीज हैं उनके कार्य संचालन में सुधार होना चाहिये । वहां सेवा का बड़ा स्कोप है, इसलिये अगर हम उधर ध्यान दें तो हमारे लिये वह बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है । मुझे हर्ष है कि महामहिम राज्यपाल ने इस ओर ध्यान दिया है और इस बात का आश्वासन दिया है कि निकट भविष्य में इन नगरपालिकाओं के ऐक्ट में संशोधन करने के लिये कोई विधेयक लाने की बात सरकार सोच रही है । मान्यवर, इन तमाम कारणों से मैं महामहिम राज्यपाल के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और यह आशा करता कि सदन के सारे ही माननीय सदस्य मेरे इस प्रस्ताव को समर्थन प्रदान करेंगे ।

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, समय का बंटन हो जाय कि कौन सदस्य कितने समय तक बोलेंगे । यानी नेता लोग कितना समय लेंगे व विरोधी दल के नेता कितना समय लेंगे, क्योंकि बहुत से सदस्य बोलने वाले हैं, इसलिये समय निश्चित हो जाय ।

श्री अध्यक्ष—वह मैं कर दूंगा ।

***श्री कृष्णानन्दराय** (जिला गाजीपुर)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर इस सदन के आदरणीय सदस्य श्री जगदीश शरण अग्रवाल ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है उसका मैं हार्दिक अनुमोदन करता हूं । अनुमोदन इसलिये करता हूं कि हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में जिन नीतियों की चर्चा की है, अपनी सरकार के जिन कार्यक्रमों की ओर संकेत किया है वह हमारे प्रदेश में चल रहे जन जागरण और आर्थिक निर्माण संगठन को बल देता है । स्वतंत्रता के बाद हमारी राष्ट्रीय सरकार की कुछ मौलिक नीति बन गयी है विश्व शांति की स्थापना करना, देश में जनतंत्र को मजबूत करना और जनतांत्रिक पद्धति से नियोजन के माध्यम से समाजवादी समाज की रचना करना । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन के द्वारा, अपने सरकारी कार्यक्रमों में इन नीतियों की ओर विशेष चर्चा की है और उनकी ओर संकेत किया है । राज्यपाल महोदय ने सरकार का कार्यभार आदरणीय चन्द्रभानु गुप्त के हाथों में सौंपने की भी चर्चा की है और उन्होंने यह विश्वास प्रकट किया है कि उनके नेतृत्व में प्रदेश की आकांक्षायें पूरी होंगी । आदरणीय चन्द्रभानु गुप्त अपने सार्वजनिक जीवन से पिछले ४० वर्ष में इस प्रदेश में काफी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और इस सदन में भी और जनता में भी आज यह विश्वास है कि जनता की आकांक्षायें उनके नेतृत्व में पूरी होंगी ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक तथ्य की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के समय इस सदन के कुछ सदस्य यह कह कर चले गये थे कि मुख्य मंत्री महोदय ने सरकार का बहुत ही अधिक विस्तार कर दिया है और वह अनावश्यक है ।

श्री अध्यक्ष—मैं माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करूंगा इस बात पर कि जो घटना कल हुई थी, उसके संबंध में मैंने स्वयं अपने विचार प्रकट कर दिये हैं । ऐसी दशा में अब माननीय सदस्यों को उसकी ओर उल्लेख करने की विशेष आवश्यकता नहीं मालूम होती, विशेष कर इसलिये कि इसको लेकर और वादविवाद पैदा होगा, बजाय इसके कि इस समय हम सम्बोधन के बारे में अपने विचार रखें ।

श्री कृष्णानन्दराय—श्रीमन्, मैं वाक-आउट की चर्चा नहीं कर रहा था, मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता था कि कुछ आदरणीय सदस्यों के मन में यह भ्रम पैदा हो गया है कि सरकार के कलेवर का विस्तार अनावश्यक है । इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता था कि आज जनतंत्रीय सरकारों की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं और आज गांव-गांव में जनतंत्रीय नियोजन के कार्यक्रम फैल रहे हैं । अब सरकार का कार्य केवल न्याय और व्यवस्था का सुधारना ही नहीं रह गया है वरन् आज सरकार की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की ६ करोड़ जनता की किस प्रकार प्रगति की जाय, गांव-गांव की किस तरह से प्रगति की जाय । इन तमाम कार्यक्रमों की देखभाल और संचालन करना आज की सरकार की जिम्मेदारी है । इसलिये समय और परिस्थिति की आवश्यकता थी कि ऐसी राजनैतिक नियुक्तियां हों जिनके द्वारा यह नियोजन का कार्य सफल हो सके ।

माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में चुनावों के निष्पक्ष होने की भी चर्चा की है । इस संबंध में मेरा निवेदन है कि जहां तक निष्पक्षता का संबंध है उसमें सरकार के कर्मचारियों की ओर से यदि कोई दोष रहा है तो वह अत्याधिक निष्पक्षता अपने में सिद्ध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णानन्दराय]

करने का ही दोष रहा है । यह किसी से छिपा नहीं है कि इन आम चुनावों के सिलसिले में कतिपय राजनैतिक दलों ने जिस अनर्गल रूप से कार्य किया है और जिस प्रकार धर्म की आड़ लेकर साम्प्रदायिक भेदभाव की भावना फैलाकर, जो जनता में विषमता पैदा करने का प्रयास किया है, सरकार का कर्त्तव्य था कि सरकार इस प्रकार के चुनावों के प्रचार में रोक लगाती और स्वस्थ जनतंत्रीय पद्धति की स्थापना करती और सही प्रकार के प्रचार द्वारा यहां के चुनावों को होने देती, लेकिन मुझे दुख है कि सरकार ने इधर ध्यान नहीं किया, कदाचित् उसने यह सोचा कि अभी हमारे यहां जनतंत्र का नया प्रयोग चल रहा है । कुछ राजनैतिक दल जिनके जीवन का इतिहास अभी बिलकुल नया है, वे यदि कोई गलती करते हैं तो उन्हें धैर्य के साथ क्षमा करना चाहिये । मुझे दुख होता है कि उन अपनी गलतियों की विशेष चर्चा न करके ऐसी बातों की चर्चा की जाती है कि सरकारी कर्मचारी चुनाव में निष्पक्ष नहीं रहे ।

इतना कहने के बाद मुझे यह निवेदन करना है कि राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में दो तीन तथ्यों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित कर के एक बहुत ही उत्साहवर्द्धक कार्य किया है, विशेष रूप से यह सूचित करके कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ बड़े उद्योगों का एलोकेशन हमारे प्रदेश के लिये किया है । कई वर्षों से केन्द्रीय सरकार की यह नीति यही है कि देश के उन भागों में जहां पर्याप्त औद्योगीकरण हो चुका है और जहां औद्योगीकरण की सुविधा है वहीं उद्योगों का एलोकेशन करती रही है । हमारे प्रदेश में एक निराशा का वातावरण, जहां तक औद्योगीकरण का प्रश्न है, छाया रहा है । मैं समझता हूं यह एलोकेशन यद्यपि पर्याप्त नहीं है लेकिन एक आरम्भ हुआ है । मुझे अपनी सरकार से इस संबंध में एक निवेदन करना है कि वह केन्द्रीय सरकार की उस नीति को न अपनायेगी कि प्रदेश के उन अंचलों में जहां अभी औद्योगीकरण नहीं हुआ है, जैसे पूर्वी अंचल में, ऐसा न हो कि वह उन्हीं स्थानों में उद्योग खोलने का प्रयास करे, जहां बड़े-बड़े उद्योग चल रहे हैं और पूर्वी अंचल को छोड़ दें ।

यातायात के विस्तार की जो चर्चा की है वह भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी सरकार के पास राजकीय क्षेत्र में यातायात का प्रमुख स्थान है और जहां तक यह सफल होगा वहां राजकीय उद्योगों की ओर एक अच्छा उदाहरण मिलेगा । यह भी प्रसन्नता की बात है कि यातायात के यह साधन अन्य प्रदेशों से जोड़े जा रहे हैं ।

सहकारी समितियों का जहां तक प्रश्न है यह खुशी की बात है कि ग्रामीण अंचल में खुलने वाली सहकारी समितियों का कुछ प्रबन्ध इस बजट में किया जायगा । गांवों में चलने वाली सहकारी समितियां को पूंजी देना इसलिये आवश्यक हो गया है, क्योंकि गांवों में अब पुराने साहूकर नहीं रह गये हैं और किसानों को आये दिन अपने कामों के लिये रुपया चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष—अभी नेता सोशलिस्ट पार्टी ने कहा था कि समय का निर्धारण हो जाय । हमारे यहां इस सम्बोधन संबंधित भाषणों के संबंध में यह प्रथा रही है कि प्रस्तावक को आधा घंटा मिलता है और मुख्य विरोधी दल के नेता को ३० मिनट मिलते हैं । समर्थक को जैसा अभी मैंने देखा १० मिनट मिलते हैं जो मैंने अभी माननीय कृष्णानन्द राय जी को दिया, और अन्य जितने सदस्य हैं उनको १०, १० मिनट दिये जायेंगे । विरोधी दल के नेता को छोड़ कर अन्य दलों के नेताओं को २०, २० मिनट दिये जायेंगे ।

दूसरी बात जो सोशलिस्ट पार्टी के नेता ने अभी पूछा था कि अपने-अपने संशोधन सदन के समक्ष रख जायं, जिन-जिन ने संशोधन भेजे हैं, उनके सम्बन्ध में मैं बता दूं कि नेता मुख्य विरोधी दल जब अपना संशोधन पेश कर चुकेंगे और अपना भाषण दे चुकेंगे तब उनके पश्चात् जो प्रथा हम पहले से पालन करते आये हैं, वही प्रथा आज भी लागू होगी ।

*श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, जो धन्यवाद का प्रस्ताव उधर से आया है उसमें मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं—

"१—किन्तु खेद है कि राज्यपाल के अभिभाषण में सत्तारूढ़ दल ने १९६२ के साधारण निर्वाचन में सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया तथा अनुचित उपायों से चुनाव जीतने का प्रयास किया इसका उल्लेख नहीं है ।

२—राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता दिन पर दिन घटती जा रही है इसके सुधार के लिये सक्रिय कदम उठाने का कोई उल्लेख नहीं है ।

३—अभिभाषण में इस विषय का भी उल्लेख नहीं है कि किसानों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के निमित्त—

लगान आधी की गयी हो, सिंचाई की दरों में कमी की गई हो, गन्ना मूल्य में वृद्धि की गई हो, भूमिहीन किसानों के लिये कोई निश्चित आर्थिक व्यवस्था तथा बेकारी दूर करने के उपाय उल्लिखित हुए हों ।

४—विकास के नाम पर अनावश्यक टैक्सों का दिन प्रति दिन अधिकाधिक बोझ जनता पर बढ़ता जा रहा है और इस पर भी कांग्रेस दल के नेता ने इतना विशालकाय मंत्रिमंडल बनाया है कि जिसका असह्य बोझ कम करने का उसमें कोई उल्लेख मात्र भी नहीं है ।"

श्रीमन्, मैं बड़े ध्यान से माननीय राज्यपाल का संबोधन सुन रहा था और आशा की थी कि जिस विलायत की पद्धति का अनुसरण किया गया है, स्पीच फ्राम दि थ्रोन (Speech from the throne) उस अनुसरण के अनुरूप यहां भी संबोधन में जो प्रदेश के सम्मुख ज्वलन्त समस्यायें हैं जैसे कि बेकारी, टैक्सों का बोझ, खेती की स्थिति सुधारने का विषय, किसानों के ऊपर जो टैक्सों का बोझ है उसमें कमी करने का विषय, तथा जनतंत्र की रक्षा की दृष्टि से जो जनतंत्र की सर्वमान्य परम्परायें हैं उनका संरक्षण और पोषण तथा जो आज विदेशी शक्तियों से देश के अन्दर ही एक विघटनकारी शक्तियों के प्रादुर्भाव होने के परिणामस्वरूप जो देश के लिये एक विशेष खतरा खड़ा हो रहा है, इन सब विषयों की ओर राज्यपाल महोदय इंगित करेंगे । परन्तु मुझे खेद है और मुझे बड़े दुख के साथ इस बात को कहने के लिये मजबूर होना पड़ता है कि जो संबोधन हमारे सामने कल यहां आया है वह संबोधन नहीं था, वह अगर एक शब्द में कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा कि वह एक ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट थी जिसमें कुछ पिछले कार्यकलापों का गुणगान तथा सदन में कुछ आने वाले ऐक्टों, अमेंडमेन्ट्स और बिल्स का उल्लेखमात्र था ।

सबसे आश्चर्यजनक बात जो मुझे उसमें लगी वह यह थी कि राज्यपाल महोदय ने प्रारम्भ में ही जो एलेक्शन के विषय में कहा है कि बड़े शान्तिमय और बड़े निष्पक्ष एलेक्शन हुए, यह आश्चर्य की बात है । हरदोई का कांड, उस विषय में मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि सम्भव है कि वह सब-जुडिश हो गया हो, और गोंडा, बलरामपुर का जो कांड हुआ वह क्या शान्तिमय एलेक्शन का उदाहरण है ? क्या कांग्रेस के समाजवादी ढांचे के अन्दर यही शान्ति का प्रतीक है ? और मैं दूर क्यों जाऊं, श्रीमन्, जौनपुर में, जो जरा व्यक्तिगत है इसलिये मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जिस भय और आतंक का परिचय समाजवादी ढांचे के एक प्रमुख कार्यकर्त्ता ने एलेक्शन में दिया था वह कदापि शान्तिमय नहीं कहा जा सकता है । श्रीमन्, जिस निष्पक्षता का गुण-गान किया गया है उसके मैं दो ही उदाहरण दिये देता हूं । यों तो जितने सदस्य बैठे हैं इधर उस निष्पक्षता के सभी भुक्तभोगी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता । जौनपुर में ही श्रीमन्, जो माननीय सदस्य वहां से आये हैं हैं उनके ८० बैलट पेपर डिब्बे के अन्दर लकड़ी की ड्राअर के अन्दर से निकाले गये । ये कहां से आये ? क्या समाजवादी ढांचे के बैलट पेपर में पर लगे हैं कि वे उड़ कर व लकड़ी के डिब्बे में चले गये । यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं और मेरा यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

आरोप है, जौनपुर की मुझे पूरी जानकारी और सप्रमाण कह सकता हूं अगर आवश्यकता हुई तो, म्युनिसिपैलिटी व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के क्लर्क्स बैठे थे, वोटरों से बैलट पेपर लेकर बैलेट बाक्स में डालने के लिये उन्हें हिदायत थी कि विरोधी कम जाने चाहिये और उसका ही परिणाम था कि ८० बैलट पेपर डिब्बे के अन्दर पाये गये। वे बैलट पेपर लकड़ी की मेज की ड्राअर के अन्दर पाये गये। अगर आवश्यकता होगी तो मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि उन बैलट पेपर्स को सदन के सामने रखें और दिखायें। इस निष्पक्षता के बावजूद भी वह विजयी हुये (व्यवधान) आपकी भी बारी आयेगी। जरा संतोष से सुनने का कष्ट करें। मैं जानता हूं कि मेरे मित्रों को सत्य बड़ा कड़ुवा लगता है। शासन में आधिपत्य होने के कारण ठाकुर सुहाती सुनने की बड़ी इच्छा होती है, लेकिन नग्न सत्य कटु होता है।

श्रीमन्, दूसरा उदाहरण मैं गोंडा की लोकसभा की काउंटिंग की देता हूं। पहले दिन काउंटिंग होती है। हजारों वोट से एक प्रत्याशी आगे रहता है। रिकाउंटिंग के लिये दरख्वास्त होती है। तीन तीन असेम्बली सीट्स की रिकाउंटिंग हो जाती है। एक प्रत्याशी हारता जाता है और रात्रि में जब सब बक्से खुले हैं लिफाफे में बैलट पेपर्स को अधिकारी महोदय अपने घर ले जा कर सुरक्षा की दृष्टि से रखते हैं और सुबह फिर जब रिकाउंटिंग होती है तो दो हजार, ढाई हजार इंवेलिड वोट्स निकलना शुरू होते हैं। १०, २०, ५० का फर्क तो हो जाता है लेकिन दो हजार, ढाई हजार वोट्स रिकाउंटिंग में इंवेलिड निकलें तो इससे यही निष्कर्ष निकलता है या तो जो पहले गणना हुई थी और जो अधिकारी वहां बैठे थे उन्होंने एक के साथ पक्षपात किया होगा या फिर दूसरी गणना में दूसरे के साथ पक्षपात हुआ। यह पक्षपात का ज्वलंत उदाहरण है चाहे एक के साथ हो या दूसरे के साथ हो। मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि एक के साथ पक्षपात अच्छा है और दूसरे के साथ खराब है। पक्षपात जिसके भी साथ हो वह अनुचित है और यह दुर्भाग्य है कि सत्तारूढ़ दल के साथ पक्षपात हुआ।

श्रीमन्, इस सदन में जब सितम्बर, अक्तूबर में बैठक हो रही थी उस दल के एक भूतपूर्व मंत्री ने बड़ी चुनौती दे कर कहा था कि जौनपुर में तबादले किये जा रहे हैं अफसरों के, यह कह कर तुम को कलेक्टर बनायेंगे एलेक्शन में अगर मेरी मदद करोगे। यह बात सत्य है और यह मामूली बात नहीं है। इसी दल के एक भूतपूर्व मंत्री की बात है। तो क्या यह पक्षपात की दृष्टि नहीं है? अगर इस प्रकार अधिकारियों के प्रोमोशन को चुनाव के फल से जोड़ दिया जाय तो क्या यह प्रशासन को भ्रष्ट करना नहीं होगा? सफल जनतंत्र के लिये यह आवश्यक है कि अधिकारियों को राजनीति से अलग रखा जाय।

श्रीमन्, जिस समय अन्तरिम जिला परिषद् विधेयक यहां आया और कौंसिल के एलेक्शन्स आये और सरकारी अधिकारियों को उसमें वोट देने का अधिकार दिया गया, मैंने स्पष्ट उस समय कहा था कि "आप यह गलत कदम उठा रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा।" मैंने माना कि सत्तारूढ़ दल को यह स्वाभाविक टेम्पटेशन हो सकता है कि जीतने के लिये कुछ वोट मिल जायं, लेकिन परिणाम सोचें उसका क्या होगा? जनतंत्र में या किसी भी सफल प्रशासन में यह आवश्यक है कि जो शासनकर्त्ता हो, शासनकर्त्ता से मेरा मतलब मंत्रिमंडल से नहीं है क्योंकि यह तो पांच साल में आते और जाते रहते हैं परन्तु जो शासन की कड़ी को बराबर चलाता है, यानी अधिकारीगण या ब्यूरोक्रेसी जिसे कहिए, उसको कभी राजनीति में न जाने दिया जाय या राजनीति के आनन्द को न लेने दिया जाय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं giving him a taste of power, क्योंकि आज वह आपके दल के साथ कर सकता है और कल को दूसरा दल आये और अगर उसने उससे करवाना चाहा तो दो हाथ आगे जा कर चीज होगी और उसका अन्तिम परिणाम होता है कि जनतंत्र समाप्त होता है और तानाशाही का उदय, उसकी स्थापना होती है। दुनियां के जितने भी राज्यों में तानाशाही की स्थापना हुई है उसकी पृष्ठभूमि यही रही है कि दलगत स्वार्थों के लिये जनतंत्र के सिद्धान्तों का हनन हुआ है, चाहे प्रत्यक्ष रूप में और चाहे अप्रत्यक्ष रूप में।

और जब एक हनन के बाद दूसरा हनन हुआ और लोग उसके आदी होते चले गये तो अन्त में यह निश्चित है कि ऊब कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता नष्ट हो कर तानाशाही का प्रादुर्भाव होगा, उसकी स्थापना होगी । राज्यपाल महोदय ने जिस जनतंत्र को बताया और आशा भी की कि हम ऐसी परम्परायें स्थापित करेंगे कि जनतंत्रात्मक इंस्टीट्यूशन्स यहां फलें और फूलेंगे, उनकी नींव गहरी होगी, यह आशा कितनी निर्मूल है । अगर हमने जनतंत्र की परम्पराओं की, उसके सिद्धान्तों की केवल घोषणा मात्र की और उसको साकार नहीं किया तो यह आशा निर्मूल है और मुझे दुःख है कि पिछले १५ वर्षों के अन्दर बराबर जनतंत्र के सिद्धान्तों का हनन हुआ, चाहे वह संविधान की ओट में लिया गया हो चाहे कानून के शब्दों का खेल किया गया हो । श्रीमन्, यहां ही उदाहरण आप देखें । चुनाव में लोग हारते हैं और जीतते हैं । एलेक्शन का अर्थ जहां तक मैं समझता हूं यह है कि जनता की इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप राजतंत्र चले । जिस आदर्श को, जिस संगठन को वोटर बहुमत दे उसका अर्थ यह होगा कि पांच साल के लिये उसके आदर्श और ध्येय को आपने माना । परन्तु जिन व्यक्तियों को वोटर ने पराजित किया एलेक्शन में उनको केवल दलगत स्वार्थ के कारण पीछे से, चोर दरवाजे से घुसाना क्या जनतंत्र की परम्पराओं की अवहेलना नहीं है ? इंग्लैन्ड में हाउस आफ लार्ड्स है । वहां तो बड़ी आसानी से वे ले सकते हैं खाली पियरेज का टाइटिल देकर, यहां तो आपको एलेक्शन का ढोंग करना पड़ता है । तो वहां हाउस आफ लार्ड्स में तो पियरेज देकर ले लेते हैं लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बनाते हैं ।

एक सदस्य—श्री अटल बिहारी को देखिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—हमारे मित्र अटलजी का उदाहरण देते हैं ....

श्री अध्यक्ष—आप मुझे ऐड्रेस करिये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—हमारे कुछ मित्र ऐसी बातें कहते हैं जिनका कोई तुक नहीं । अटलजी मंत्री नहीं हैं । मैं मंत्री और मंत्रिमंडल की बात कर रहा हूं । जिस दिन जनसंघ का मंत्रिमंडल बने उस दिन अगर किसी पराजित व्यक्ति को जनसंघ चोर दरवाजे से लाये तो आप निश्चय कह सकते हैं कि यह तुमने गलत काम किया है । परन्तु मैं क्या करूं, श्रीमन्, मैं तर्क दे सकता हूं, समझने की बुद्धि दे नहीं दे सकता हूं अपने मित्रों को । जनतंत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वह रेस्पांसिव टु दि पब्लिक ओपीनियन हो । यह जो वृहत्ताकार मंत्रिमंडल बना है और मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि यह हमारा नवीन मंत्रिमंडल ताश के ५२ पत्तों से भी आगे निकल जायगा । और इतना ही नहीं, ५२ पत्तों के साथ-साथ दो जोकर भी होंगे जो सब पत्तों में लगते रहेंगे । आखिर इसकी क्या आवश्यकता है ? क्या मंत्रिमंडल का वृहत होना सत्ता का विकेन्द्रीकरण है ? श्रीमन्, मैं प्रार्थना करूंगा कि भाषा के ज्ञान के लिये डिक्शनरी लेकर मेज पर रख दी जाय जिससे शब्द बोलने से पहले उसका अर्थ भी समझ लिया जाय । आखिर इसका क्या कारण है ? क्यों इतना वृहत मंत्रिमंडल है । श्रीमन्, मैंने फिगर्स इकट्ठे किये हैं । अगर आपकी आज्ञा हो तो उसको मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष रख दूं । १९३७ में जब पहले पहले कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना तो ६ मंत्री थे । जब माननीय पंत जी मुख्य मंत्री थे । १२ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और एक प्राइवेट सेक्रेटरी टु चीफ मिनिस्टर था । उस समय बजट एस्टीमेट ६६,२९९ रुपये था । पहली अप्रैल, १९४६ को जब फिर कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तो ६ मंत्री, १२ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और एक प्राइवेट सेक्रेटरी टु चीफ मिनिस्टर, यानी १९ का मंत्रिमंडल था और उस समय का वोटेड अमाउंट ९२,६०० रुपये था । १९५० से मंत्रिमंडल का रूप बढ़ना शुरू हुआ । ऐसा लगता है श्रीमन्, कि उस समय १० मंत्री, ५ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और एक प्राइवेट सेक्रेटरी टु चीफ मिनिस्टर था यानी उस समय १९ से घटकर १६ हो गया था । उस समय ४,९१,३०० रुपये वोटेड अमाउन्ट था । १९५२ में श्रीमन्, १० मंत्री, ४ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी थे और वोटेड अमाउंट ६ लाख १०, हजार ३०० रुपये था । दिसम्बर, १९२८ में जब माननीय डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी चीफ मिनिस्टर थे उस समय का मंत्रिमंडल १९ और २८ के बीच में रहा । उस समय ११ मंत्री, १० डिप्टी मिनिस्टर,

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

७ पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और वोटेड अमाउंट ६,५२,८०० रुपये थे। अप्रैल, १९५७ में मंत्रिमंडल ३० का हो गया। ९ मिनिस्टर ४ स्टेट मिनिस्टर, ८ डिप्टी मिनिस्टर और ९ पार्लियामटरी सेक्रेटरी और वोटेड अमाउंट ६,८१,७०० रुपये था। इसके बाद, श्रीमन्, दिसम्बर, १९६० में २३ का मंत्रिमंडल हुआ। ७ मिनिस्टर, ६ स्टेट मिनिस्टर, ८ डिप्टी मिनिस्टर और दो पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी और वोटेड अमाउंट ४ लाख ७५ हजार रुपये था।

श्रीमन्, इस प्रकार मंत्रिमंडल बराबर बढ़ता चला जा रहा है। आखिर मंत्रियों को तनख्वाहें होंगी, उनके भत्ते होंगे, उनके लिये मकानात होंगे, उनके लिये मोटरें आदि चीजें भी होंगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह खर्चा किसके ऊपर पड़ेगा? क्या आज कोई युद्धकालीन परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके लिये इतने वृहत्त मंत्रिमंडल की आवश्यकता हो गई है। यदि कोई युद्ध होता, कोई विशेष संकट होता तब तो मैं इस चीज को समझ सकता था। लेकिन श्रीमन्, कोई संकट नहीं है, अगर संकट है तो सत्तारूढ़ दल के ऊपर है। पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बनाये गये हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने किस तरह से चीज को घुमाया है उसके लिये मैं उनको बधाई दूंगा। कहते हैं कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी को तनख्वाह नहीं देंगे। अब देखिये सवाल यह है कि २०० रुपये वे तनख्वाह पायेंगे १० रुपये रोज भत्ता पायेंगे जब वे हेड क्वार्टर पर मौजूद रहेंगे तो इस प्रकार से ३०० रुपये ये हो गये यानी ५०० रुपये माहवार हो गये। चाहे नाक सीधे पकड़िये या घुमाकर पकड़िये, बात एक ही हो गई, इसके अतिरिक्त वे टूर भी कर सकते हैं और उसका खर्च भी तो होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ा दिया है। यह सब क्यों किया गया है? श्रीमन्, मैं तो एक ही बात समझता हूं कि यह कांग्रेस में गुटबंदी का परिणाम है। अपने गुट को संतुष्ट करने के लिये, अपने गुट को आगे बढ़ाने के लिये किया गया है। श्रीमन्, मुझे आप क्षमा करेंगे यदि मैं यह कहूं कि जिस तरह से पुलिस में रंगरूट भर्ती होते हैं उसी तरह से मंत्रिमंडल में भर्ती हुई है। और बड़े-बड़े लोग मंत्रिमंडल में हैं। मैं जानता हूं कि बहुत ही काबिल लोग हैं, बुद्धिमान हैं, बहुत ही शीलवान हैं, परन्तु ऐसे भी हैं, जिन्होंने दस वर्ष, जब से वह सदस्य हैं, मुंह नहीं खोला, बेजबान हैं। यह भरती क्यों? किस आवश्यकता के लिये? आपके झगड़े की संतुष्टि के लिये जनता की पीठ पर टैक्सों का बोझ डाल दिया जाय और उसकी गाढ़ी कमाई के पैसे का दुरुपयोग किया जाय? यह जनतंत्र के लिये अनुचित है, शासन के लिये भी अनुचित है, आपके लिये भी अनुचित है। इस विषय को लेकर सारे अखबारों में टिप्पणियां हुईं। अगर आप वास्तव में जनतंत्र की परम्परा में विश्वास करते हैं तो समाचार-पत्र तो पब्लिक ओपीनियन का प्रतिबिम्ब स्वरूप है। आप उस पब्लिक ओपीनियन के प्रति रेस्पांसिव हो कर अपने मंत्रिमंडल की संख्या को घटायें। अपने झगड़े को दूसरे के सर पर मत मढ़िये। मगर आप नहीं कर सकते हैं। आप जनमत के प्रति रेस्पांसिव नहीं हैं। आप अपनी दलगत इच्छा को जनहित के ऊपर रखते हैं और यह जनतंत्र का दोष है। इस दोषमय परिपाटी के लिये मैं समझता हूं बधाई देना उचित नहीं होगा।

श्रीमन्, राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में यह कहा कि सरकार राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा रही है। जिस दल की सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में थी, वही तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में थी और वही आज भी विद्यमान है। यह थर्ड फाइव ईयर प्लान का, गवर्नमेंट आफ इंडिया प्लानिंग डिपार्टमेंट का ब्रोक्योर है। यह मुझे दुर्भाग्य से अंग्रेजी में मिला। अगर आप आज्ञा दें तो अंग्रेजी से ही पढ़ूं? फिजिकल अचीवमेंट के चैप्टर में, पेज १८ पर है। खाद्यान्न का उत्पादन १९५०–५१ में ११.२३ मिलियन टन था। वह बढ़ कर १९५५–५६ में ११.६० मिलियन टन हो गया। केवल .३७ मिलियन टन उपज बढ़ी। १९५९–६० में वह १२.८३ मिलियन टन हो गई। "The target of 14 million tons at the end of Second Plan is not likely to be achieved." जो उन्होंने प्लानिंग का लक्ष्य रखा उस लक्ष्य को प्राप्त करने में वह असमर्थ रहे। यह श्रीमन्, कैसी प्लानिंग है? प्लानिंग

की सफलता का एक मापदंड यही होता है कि जो लक्ष्य रखा जाता है उसकी पूर्ति हो। अगर पूर्ति नहीं हुई तो प्लानिंग व्यर्थ है, वह केवल प्रचार मात्र है। समाजों के जीवन में खाद्यान्नों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और जो राज्य उस जीवन की एकमेव आवश्यकता को पूर्ण करने में असफल रहे उस राज्य के कर्णधारों को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिये बधाई नहीं दी जा सकती, बल्कि उल्टे कहा जा सकता है कि वह पीछे गये। आगे देखिये, इसके २०वें पृष्ठ पर पैराग्राफ १८ देखा जाय। उन्होंने उत्तर प्रदेश के नियोजन के लक्ष्य की प्राप्ति के जो आंकड़े लिये हैं देश भर से उसका सन्तुलन किया है। इसी फूड प्रोडक्शन में यह कहा गया है—

"It would, however, be worthwhile assessing U.P.'s position in various sectors at the end of the Second Plan in relation to the country as a whole. A comparison has already been made in Chapter I both in terms of State income and in terms of per capita income. Tables IV and V of chapter II disclose that per capita food production in the state is at present about the same as the per capita food production in the country, but is likely to go down....."

क्या बात है श्रीमन्? इसका सीधा अर्थ है कि जो भी थोड़ी बहुत यहां के खाद्यान्न की उपज में वृद्धि हुई वह उनके नियोजन से नहीं हुई, वह इस देश के किसान के कठिन परिश्रम तथा प्रकृति के ठीक समय से अपने स्वरूप के प्रकटीकरण के कारण हुई। अगर श्रीमन्, नियोजन के कारण हुई होती तो सन् ५४ या या ५३ मुझे ठीक याद नहीं है जबकि इसी सरकार ने बड़े जोर से घोषणा की थी कि हम तो सरप्लस हो गये खाद्यान्नों की उपज में और एक ही वर्ष के अन्दर कहने लगे कि हम तो डेफिसिट हो गये, प्रकृति ने साथ नहीं दिया, दैव ने साथ नहीं दिया। अजीब तमाशा है। सफलता किसी के कारण, पीठ ठोंकते हैं अपनी और असफलता हुई इनकी गलती के कारण आपने नियोजन किया था तो आवश्यक था कि आप फोरसी करते कि क्या-क्या हमारे ऊपर आपदायें आ सकती हैं, सूखा आ सकता है, अतिवृष्टि हो सकती है, अनावृष्टि हो सकती है, उन सबको ध्यान में रखकर आप प्लानिंग करते, परन्तु उसको ध्यान में रखा नहीं और जब प्राकृतिक आपदायें आयीं तो कहते हैं कि हमारा दोष नहीं है, भगवान का दोष है, कितनी आश्चर्यजनक बात है? और फिर इसी बारे में यह रिपोर्ट कहती है कि इनके सब भीषण प्रयासों के बाद और सारे नियोजन के बाद, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के बाद भी इनका फूड प्रोडक्शन इज बाउण्ड टु गो डाऊन। क्यों? सीधा अर्थ है श्रीमन्, कि खाद्य समस्या के हल के लिये जो आवश्यक कदम थे वह कदम नहीं उठाये गये, जैसे कि लगान आधा करना। उधर से कहा जायगा कि किसी की दुअन्नी इकन्नी कम कर देने से क्या लाभ हो सकता है? लेकिन इसका प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आज इतना टैक्स का बोझ लदा हुआ है अगर आप एक आना भी घटाते हैं तो मनुष्य को सांस लेने की गुंजाइश होती।

इसी प्रकार सिंचाई की बड़ी जोरों से चर्चा की गई कि हम बड़ी सिंचाई की योजनायें बना रहे हैं। परन्तु श्रीमन्, यह वह भूल गये कि इनकी सिंचाई की योजना का जल इतना महंगा है कि किसान उसका लाभ नहीं उठा सकता। मुझे इस समय आंकड़े श्रीमन्, याद नहीं हैं परन्तु अपने ही बजट में है और प्लानिंग कमीशन की ऐवेल्युएशन कमेटी की रिपोर्ट में है कि जितने आपके सिंचाई के साधन हैं उनका पूरा उपयोग किसान नहीं कर पाये। तो किसान की गरीबी और आपके महंगे जल ने उसको उन सिंचाई के साधनों से वंचित रखा और श्रीमन्, दुनिया के किसी भी राज्य में, किसी भी काल में पानी का व्यापार नहीं किया, परन्तु इस समाजवादी ढांचे के राज्य में पानी भी बिकता है और राज्य मुनाफा लेता है। इर्रीगेशन के रेट्स श्रीमन्, दुनियां के किसी भी देश में मुनाफे पर आधारित नहीं हैं। उनका आधार है नो प्राफिट नो लास। परन्तु यहां मुनाफा सरकार लेती है। तो मैं तो यह समझता हूं कि समाजवादी ढांचे के राज्य में राज्य की मुनाफाखोरी के सिवाय और कुछ नहीं है। आज नारा लगता है कि हम समाजवाद के अन्दर मनुष्य को शोषण और पूंजीवाद से मुक्त करा रहे हैं, परन्तु हो क्या रहा है? आज निर्धन-निर्धन होता जा रहा है और पूंजी कुछ हाथों में कन्सन्ट्रेट होती जा रही है और आज उसी स्थान पर सरकार भी व्यापारी बनती जा रही है। व्यापारी जितनी चोरबाजारी करते थे, मुनाफाखोरी करते थे, आज उससे ज्यादा इनकी मुनाफाखोरी है।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

सस्ते गल्ले की दुकानों का उधर से बहुत ढोंग रचा जाता है। ११, १२ रुपये मन के हिसाब से सरकार गेहूं खरीदती है, जो गरीबों को १७ रुपये मन खिलाया जाता है, ६ रुपये मन की सरकार मुनाफाखोरी करती है। १५ रुपये बोरा यह सरकार मुनाफाखोरी करती है, यह समाजवादी सरकार के माने नहीं हैं। जो मैं इसका अर्थ समझ पाया हूं वह यही कि यह राज्य पूंजीवादी सरकार का भीषण स्वरूप खड़ा हो रहा है। इसी कारण जनसंघ ने स्पष्ट मांग की है कि किसानों को यदि जल योजनाओं का फायदा देना है तो सिंचाई के रेट को घटाना चाहिये। सरकार ने इसको अभी तक घटाया नहीं है। सरकार को जल योजनाओं का लाभ उठाने के लिये उनके रेट घटाना चाहिये। सरकार को नो लास नो प्राफिट बेसिस पर अपनी योजनाओं को चलाना चाहिये। सरकार को किसानों से अधिक मुनाफा लेने का कोई अधिकार नहीं है।

श्रीमन्, खेती में जो किसानों का नुकसान होता है सरकार उसकी पूर्ति के लिये तकावी देती है। यह तकावी क्या है? यह तकावी एक कर्ज है। जिसकी सारे साल की कमाई नष्ट हो गई उसके ऊपर कर्जा लादकर आप उसको राहत नहीं देते हैं। यह कहां का न्याय है? किसान महाजन से रुपया लेते हैं जिसके परिणाम स्वरूप उनको सूद देना पड़ता है। रिजर्व बैंक ने इस विषय में अपनी रिपोर्ट दी है। उस रिपोर्ट में बराबर यह कहा गया है कि सन् १९४८ से लेकर १९६१ तक रूरल एरिया का कर्जा बढ़कर १४ गुना हो गया है। इसको समझ लेने की जरूरत है। इसी कारण जनसंघ ने यह सीधी-सीधी मांग की है कि किसानों की हानि पूर्ति इंश्योरेंस द्वारा होनी चाहिये। सूखे से यदि किसान की फसल नष्ट हो जाय तो उसकी पूर्ति क्राप इंश्योरेंस द्वारा होनी चाहिये। किसान के यदि पशु नष्ट हो जायं तो उनकी पूर्ति कैटिल इंश्योरेंस द्वारा होनी चाहिये। किसानों को कर्ज बन्द न किया जाय। जहां पर इस प्रकार का प्रबन्ध है वहां के किसान कर्जमन्द नहीं होते हैं। यदि किसान के कर्ज मन्द होने से राष्ट्र की कमर टूट गई तो यह निश्चय है कि राष्ट्र की कमर टूट जायगी। तो भगवान के लिये आप किसान को कर्जमन्द न कीजिये। उनकी राहत के लिये क्राप इंश्यूरेंस लाइये और कैटिल इंश्योरेंस लाइये। इस विषय पर राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में कुछ भी जिक्र नहीं किया है।

श्रीमन, एक बात और कहना चाहता हूं। राज्यपाल महोदय, ने अपने सम्बोधन में पुलिस कमीशन का जिक्र किया और कुछ सिपाहियों की तनख्वाहें बढ़ाने का जिक्र किया। मैं यह जानना चाहूंगा कि इस समाजवादी ढांचे की सरकार के क्या पुलिस के ही कर्मचारी केवल सरकारी कर्मचारी हैं? इसके माने यह हुये कि समाजवाद के ढांचे की सरकार का मतलब केवल डंडा है। दूसरे कर्मचारियों का क्यों नहीं वेतन बढ़ाया जाता है? प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी और सेंटर के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में इतना अन्तर क्यों है? इसका क्या अर्थ है, दोनों एक तरह का काम करते हैं और एक देश के शहरों में रहते हैं लेकिन उनके वेतन और भत्ते भिन्न हैं। इस देश के अन्दर १० राज्यों ने अपने यहां पे-कमीशन बैठा दिया है। यहां पर क्यों नहीं पे-कमीशन बिठाया जाता है? मैं आज मांग करता हूं कि सारे कर्मचारियों की वेतन की समस्या को हल करने की मांग को ध्यान में रखकर तुरन्त हल करने का प्रयास होना चाहिये और उसके लिये पे-कमीशन बिठाया जाय।

श्रीमन्, इस मांग के लिये एक और कारण है। सन् १९४७ में जिस समय बाबू सम्पूर्णानन्द ने पे-कमीशन बिठाया था, जिसके माननीय मुख्य मन्त्री जी सदस्य थे, उन्होंने यह भी कहा था कि १० साल के बाद दूसरा पे-कमीशन बैठाना चाहिये। सन् १९४७ से १९६० को १३ वर्ष हो गये, लेकिन क्यों नहीं पे-कमीशन बिठाया गया? इसलिये मैं मांग करता हूं कि पे-कमीशन तुरन्त बिठाया जाय।

राज्यपाल महोदय ने सरकार की मद्य निषेध की नीति के बारे में कहा वह भी आश्चर्य-जनक बात है। एक ओर सरकार कहती है कि मद्य निषेध के लिये प्रचार करते हैं और दूसरी तरफ कहती है कि उसकी जो आमदनी बढ़ रही है और उसको रोक रहे हैं। आज इस मद्यनिषेध का अर्थ केवल भ्रष्टाचार हो गया है और दूसरा कुछ नहीं है। आज इस सरकार की सारी नीति इस बात पर ही रह गई है कि कोटा, परमिट और लाइसेंस पर राज्य चले। इस नीति को बदलने की जरूरत है। इसी कारण मैंने जनसंघ की ओर से यह संशोधन रखा है और इस आशा से रखा है कि हम लोग दलगत हित से ऊपर उठें। आज देश में विघटनकारी शक्तियां उद्भूत हो रही हैं और विदेशी शक्तियों के आक्रमण का भय है, जिसके समर्थक हमारे देश के ही अन्दर उपस्थित हैं और देश में सत्तारूढ़ दल के अन्दर घुस रहे हैं। आज उसके लिये आवश्यकता है कि हम और आप दलगत नीति से ऊपर उठ कर निश्चित ढंग से विचार करें। मेरा विश्वास है इस दृष्टि से आप मेरे इस संशोधन पर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—जैसा कि मैंने पहले घोषित किया था, माननीय नेता विरोधी दल ने अपना संशोधन रखा और उसके साथ साथ अपना भाषण भी दिया। अब अन्य संशोधन प्रस्तुत कर्ताओं से निवेदन है कि वे अपना-अपना संशोधन उपस्थित कर दें और भाषण न दें। उसके बाद फिर वाद-विवाद प्रारम्भ होगा जिसमें सभी सदस्य भाग ले सकेंगे।

श्री रामसुन्दर (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जाय—

"(१) किन्तु सदन को खेद है कि माननीय राज्यपाल ने प्रदेश के विशालकाय मन्त्रि-परिषद् को कम करने की सलाह सरकार को नहीं दी।

(२) प्रदेश की जनता की आय में १ और १० का अन्तर करने के लिये प्रादेशिक सरकार को राय नहीं दी।

(३) गन्ना का मूल्य बढ़ाने एवं चीनी की कीमत कम करने के सुझाव को प्रस्तुत नहीं किया।

(४) खेती की मालगुजारी कम करने के लिये सरकार को राय नहीं दी।

(५) प्रदेश में फैली हुई बेरोजगारी को समाप्त करने वाले सुझावों को सरकार को नहीं दिये।

(६) धन धरती के न्याय पूर्ण बटवारे की ओर संकेत नहीं किया।

(७) प्रदेश में पुलिस विभाग की अकर्मण्यता के कारण फैली हुई अराजकता की ओर सक्रिय कदम उठाने के लिये आदेश नहीं दिया।

(८) इसी वर्ष ही प्रदेश में न्याय एवं शासन विभाग को अलग कर देने के लिये सरकार को राय नहीं दिया।

(९) खेती एवं कारखाने के सामानों की कीमत सन्तुलित करने के लिये सक्रिय कदम उठाने के लिये सरकार को राय नहीं दिया।

(१०) नदियों के कटाव को रोकने एवं उससे पीड़ित जनों को पुनः बसाने तथा रोजी-रोजगार देकर सुखी बनाने के महत्वपूर्ण सुझाव को नहीं दिया।

(११) जिलाधीश के पद को समाप्त करने के लिये सरकार को आदेश नहीं दिया।

(१२) गांव पंचायतों को मालगुजारी का १/४ भाग सुपुर्द करके स्वावलम्बी बनाकर अपने क्षेत्र के सारे कामों को करने के लिये मार्ग सरकार को नहीं दिखला सके।"

श्री भानुप्रताप सिंह (जिला बस्ती)---श्रीमन्, प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय---

"किन्तु खेद है कि महामान्य राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में गांवों तथा कृषकों की गिरती हुई आर्थिक दशा को ऊपर उठाने के लिये किसी नई ठोस या महत्वपूर्ण योजना का उल्लेख नहीं किया है।"

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:---

"खेद है कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित बातों का जिक्र जो जनहित में आवश्यक था, नहीं किया---

१---समाजवादी व्यवस्था का लाभ जनता को न दिया जा कर समाजवादी व्यवस्था के नाम पर ही जनता के खून-पसीने के धन पर ही वर्तमान सरकार में मन्त्रियों तथा उपमंत्रियों इत्यादि की संख्या इतनी बढ़ा दी गई है जोकि प्रत्येक पांच कांग्रेसी मान्य विधायकों पर एक मन्त्री नियुक्त किया जा चुका है, इस प्रकार की व्यवस्था को समाजवादी व्यवस्था कहना समाज की विडम्बना करना है। गरीब गरीब होते जा रहे हैं और धनी धनवान होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मेरी आंखों में कुछ शिकायत है इसलिये मैं कुछ दिक्कत महसूस कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष---अगर माननीय सदस्य को पढ़ने में दिक्कत होती है तो इसको पढ़ा हुआ समझा जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा---[२---वर्तमान सरकार में जो बेरोजगारी व बेकारी अपनी सीमा पार कर चुकी है व दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और उस बेकारी व बेरोजगारी को समाप्त करने के लिये कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब तक कि बेकारी मिटाने में वर्तमान सरकार असफल रहे तब तक के लिये बेकारों को मासिक भत्ता दिया जाय व जो जनता के धन का दुरुपयोग अधिकांश मन्त्रियों की नियुक्ति पर किया जा रहा है उस धन का उपयोग बेकारों को भत्ता देने में किया जाय।]

३---काश्तकारों से आजकल बड़े सस्ते मूल्य पर गन्ना खरीद कर बाजारों में महंगे दामों पर चीनी बेची जा रही है, चीनी के मूल्य को नीचे गिराया जाय।

४---तोल और नापों के लिये जो नई व्यवस्था लागू की गई है और जो की जाने वाली है उसके परिमाणों के नामों का भारतीय नामांकन किया जाय ताकि भारतीय जनता को उसके द्वारा प्रगति के नाम पर असुविधा न हो सके।

५---उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के असन्तुष्ट अध्यापकों तथा अन्य सभी अध्यापकों को बढ़ती हुई महंगाई के अनुरूप ही मंहगाई भत्ते व वेतन दिये जांय।

६---जिन प्राइवेट बिजली कम्पनियों ने लगभग २० वर्षों तक कारखाने चलाने पर भी चार आने फी यूनिट न किया हो ऐसी बिजली के कारखानों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, ताकि जनता को चार आना प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली मिल सके। उदाहरणस्वरूप झांसी के बिजली के कारखाने का शीघ्र राष्ट्रीयकरण किया जाय। जो कारखाना ३० वर्ष से चलने के उपरान्त भी ८ आना फी यूनिट के हिसाब से जनता को बिजली दे रहा है जिसका प्रबन्ध भी शोचनीय है।

७---प्रदेश की जनता को सुखी बनाने के हेतु पर्याप्त व अधिक उद्योगीकरण किया जाय।]

श्री चन्द्रजीत (जिला आजमगढ़)---श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जांय---

"किन्तु खेद है कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में निम्नलिखित बातों का उल्लेख नहीं किया ---

---

[ ] यह भाग पढ़ा हुआ माना गया।

१——गत आम चुनाव में कुछ ऐसे फीचर (feature) दिखाई पड़े जो जनतंत्रीय प्रणाली के लिये खतरनाक हैं। मिसाल के तौर पर चुनाव में इजारेदार पूंजीपतियों की थैलियों का प्रभाव भ्रष्टाचार की जड़ों को मजबूत करता है, चुनाव के अवसर पर मन्त्रियों द्वारा उद्घाटनों की बाढ़ चुनाव में सरकारी मशीन का दुरुपयोग है, लूमामऊ-कांड जैसी दुर्घटना जिसमें मतदाताओं को आतंकित करने का प्रयास किया गया निहित-स्वार्थ के टकराव का प्रतीक है और फासिस्ट जेहनियत का परिचायक है और मतों को बेकार करने के लिये 'phonley candidates' खड़ा कर व्यवहार में मतदाताओं को मतदान के अधिकार से वंचित करना है।

श्री अध्यक्ष——मैं समझता हूं कि छपा हुआ सभी माननीय सदस्यों के पास है। आरम्भ में जितना पढ़ दिया है पर्याप्त है। इसको पढ़ा हुआ समझा जायेगा।

श्री चन्द्रजीत ——[२——पिछले आम चुनाव में हमारे राज्य के अन्दर साम्प्रदायिक शक्तियों की ताकत बढ़ी है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिये अशुभ लक्षण है। इन शक्तियों की वृद्धि से देश के जनवादी विचारकों में एक गम्भीर चिन्तन आरम्भ हो गया है परन्तु इस अभिभाषण में उसकी चर्चा नहीं है।]

३——जोतों की हदबन्दी का कानून जिस रूप में पारित हुआ उसमें असली मंशा को निरर्थक कर दिया है और भूमिहीन किसानों में बांटने के लिये जमीन हासिल नहीं हो सकी।

४——इस सदन ने सर्वसम्मति से निश्चय किया है कि गन्ने का मूल्य एक रुपया १२ आना प्रतिमन नियत किया जाय। यह खेद की बात है कि यह उचित और न्यायसंगत मांग केवल आंशिक रूप में स्वीकार की गयी फिर भी शक्कर मिल के मालिकों ने संकट की आड़ खड़ी करके गन्ना उत्पादकों को गन्ने के उचित मूल्य और शक्कर मिलों के मजदूरों को उचित वेतन से वंचित करने का प्रयास किया। शक्कर के अधिक उत्पादन का संकट खड़ा करके शक्कर के उत्पादन की रोकथाम की जा रही है और एक ओर उत्पादन वृद्धि के लक्ष्य के बिपरीत है और दूसरी ओर उद्योग के विकास के साथ बेकारी दूर करने के प्रयासों को भी विफल करती है। वह आवश्यक है कि इजारेदार पूंजीपतियों के इस व्यवहार का सख्ती से विरोध किया जाय।

५——राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये १९४७ में पे कमीशन (pa ycommission) नियुक्त हुआ था। गत १५ वर्षों में स्थिति बदल गयी है। मंहगाई निरन्तर बढ़ती जाती है। अतएव दूसरा पे-कमीशन नियुक्त होना चाहिये और अन्तरिम सहायता के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों को उसी रेट से मंहगाई भत्ता दिया जाय जिस रेट से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता मिलता है।

६——सहायता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों तथा राजकीय शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों के महंगाई भत्ते में असमानता अन्यायपूर्ण है। अतएव सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों को राजकीय शिक्षक संस्थाओं के अध्यापकों के समान ही महंगाई भत्ता दिया जाय।

७——गत वर्षों में विभिन्न उद्योगों के मजदूरों के वेतन पर पुनर्विचार करने के लिये वेज-बोर्ड नियुक्त किये गये और उनकी सिफारिशों को लागू करने में अनेकों बाधायें डाली गयीं। वेज बोर्डों के फैसलों को लागू कराने में न केवल अनावश्यक विलम्ब हुआ, वरन् सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू कराने में असफल रही।

राज्य सरकार श्रम सम्बन्धी कानूनों को भी लागू करने में असमर्थ साबित हुयी है।

राज्य सरकार ने ट्रेड यूनिनों के साथ भेदभाव की नीति बरती है और आई० एन० टी० यू० सी० के साथ पक्षपात करती है तथा मजदूरों की जनप्रिय ट्रेड यूनियनों के काम में बाधा पड़ जाती है।

[श्री चन्द्रजीत]

१९४७ में निम्बकर कमेटी नियुक्त हुयी थी उसकी सिफारिशें इस समय तक अलमारी में बन्द हैं और उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया है। सरकार की मजदूर विरोधी नीति का यह ज्वलंत प्रमाण है।

कानपुर में रेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में बिन्दवासिनीप्रसाद समिति नियुक्त हुयी थी उसकी सिफारिशें भी अलमारी में बन्द हैं और मिल मालिक मनमानी करके काम बढ़ोती लादते जा रहे हैं।

८---बिजली की कमी प्रदेश के औद्योगीकरण में बाधक है। राज्य के प्रमुख नगरों में बिजली उत्पादन और बिक्री की इजारेदारी मारटिनवर्न के पास है और वह अपने संकुचित हित में बिजली के उत्पादन को नहीं बढ़ाती। राज्य सरकार इस इजारेदारी को तोड़ने में हिचकिचाती है। राज्य में औद्योगिक विकास और उपभोक्ताओं को बेजा मुनाफाखोरी से बचाने के लिये अब आवश्यक हो गया है कि बिजली उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाय।"

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---श्रीमन्, मेरा संशोधन यह है कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय---

"किन्तु सखेद कहना पड़ रहा है कि महामान्य राज्यपाल महोदय के उक्त विद्वतापूर्ण सम्भाषण में निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों व समस्याओं पर सम्यक प्रकाश नहीं डाला गया और न इस प्रकार की कोई रूपरेखा ही दी गई जिसके आधार पर वर्तमान सरकार से यह आशा कर सकें कि वह अपने चुनाव घोषणा-पत्र में व्यक्त समाजवाद जातिवर्ग विहीन समाज की रचना के उद्देश्य की दिशा की ओर चलने का इरादा रखती है। वर्तमान कांग्रेस मन्त्रिमंडल की उतरोत्तर बहु-वृद्धि ही स्वयं उसके भीतर उत्पन्न संकटों व अशक्तता को व्यक्त करती है।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि समय के अभाव में जितना पढ़ा गया है वह पर्याप्त है शेष पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री दीपनारायणसिंह---थोड़ा सा और पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष---आप पूरा पढ़ दीजिये।

श्री दीपनारायण सिंह---(अ) अपने राज्य में फतेहपुर, बांदा हमीरपुर,जालौन जैसे अनेक ऐसे जिले हैं जो सामंती शोषण व अवनति के अब भी शिकार हैं। जहां पक्की सड़कों, नदियों के पुलों या अन्य यातायात के साधनों का इतना अभाव है कि इस आम चुनाव में कितने ही गांव प्रत्याशी अधिक परिश्रम करके भी नहीं पहुंच सके। इन पिछड़े हुये जिलों की ग्रामीण जनता औद्योगिक विकास के अभाव में खेती पर ही और अधिक बोझा डालकर बेकारी,वर्ग संघर्ष, बलवा और कत्लों के जाल में उलझती जा रही है। अतः इन जिलों को अन्य पहले से ही समुन्नत व विकसित जिलों के समकक्ष आने की अवधि तक सामुदायिक योजना के अंतर्गत दी गयी व दी जाने वाली धनराशि को देने में प्राथमिकता दी जानी चाहिये। इस तरह क्षेत्रगत पिछड़ापन दूर किया जाना चाहिये।

(ब) हमारे समाज में आधे से अधिक जन संख्या केवल कृषि व दस्तकारी पर निर्भर जातियों की है, जो पिछड़ी जातियों के नाम से विख्यात हैं। इन जातियों को कोई संरक्षण प्राप्त न होने के कारण और शासन व समाज व सतारूढ़ दल में ब्रिटिश साम्राज्य के दिनों से ही अत्यन्त अल्पसंख्यक अधिकारारूढ़ जातियों का बोलबाला होने के कारण दिनोंदिन बढ़ती हुयी बेकारी का सामना करना पड़ रहा है। आज तक के सही आंकड़ों को देखने पर स्पष्ट हो जायेगा कि स्वतंत्रता संग्राम में सर्वाधिक देन इन्हीं पिछड़ी हुयी किसान जातियों के युवकों की रही है और इन्हीं के बहुमत पर आज तक की कांग्रेस सरकारें बनती आयी है किन्तु इनके योग्य युवकों को शासन व शासक दल के नेतृत्व की जातीय व वर्गीय व दलीय पक्षपातपूर्ण नीति के कारण बेकारी व निराशा को देखना पड़ रहा है। इस शासक दल की जातीयता की सीमा तो इसी बात

[] यह भाग पढ़ा हुआ माना गया।

से सिद्ध है कि उसने पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को भी कार्यान्वित करने से इन्कार कर दिया है और इन परिश्रमी किन्तु उपेक्षित पिछड़ी हुयी जातियों को उठाने को जातीयता कहकर, 'उल्टा चोर कोतवाल को डांटे' की कहावत को चरितार्थ करने की नीति अपनाई है। अतः वर्तमान सरकार को अपनी पिछली गलतियों को सुधार कर सभी जातियों को समाज स्तर तक लाने की अवधि तक पिछड़ी जातियों को समुचित संरक्षण देना चाहिये।

(स) चकबन्दी के अनुभव ने यही निष्कर्ष निकाला है कि उसको आगे चालू रखना भ्रष्टाचार व पक्षतात को प्रोत्साहन देना होगा। अतः चकबन्दी के क्षेत्रों के अनुभव को दृष्टि में रखकर इसे रोक देना चाहिये और चकबन्दी के कारण लगाये गये टैक्सों व सी० एल० आर० डी० (C. L. R. D.) को समाप्त कर देना चाहिये।"

श्री गेंदा सिंह—(जिला देवरिया) श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु खेद है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने—

१—साधारण निर्वाचन में सरकारी पक्ष द्वारा राजकीय साधनों एवं अधिकारियों के चुनाव में प्रयोग करने की भर्त्सना नहीं की।

२—प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और आर्थिक विषमता को दूर करने के लिये किसी ठोस कदम की चर्चा नहीं की।

३—किसानों तथा खेत मजदूरों की निरन्तर गिरती हुई आर्थिक दशा को सुधारने की कोई योजना नहीं रखी और तीन आने प्रति रुपया सिंचाई की छूट को वापस लेने वाले सरकारी कदम की भर्त्सना नहीं की।

४—अलाभकर जोतों की मालगुजारी मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया।

५—निम्न वेतन भोगी कर्मचारियों के वेतन तथा मंहगाई भत्ता को बढ़ाने का कोई आश्वासन नहीं दिया।

६—चीनी उद्योग तथा गन्ना किसानों की बिगड़ती हुई स्थिति को सम्भालने के किसी प्रयास का संकेत नहीं किया।

७—अनावश्यक रूप से मन्त्रिमंडल का विस्तार कर के जनता के ऊपर कर भार बढ़ाने की सरकारी नीति की निन्दा नहीं की।

८—सरकारी पक्ष द्वारा जिला परिषदों को चुनाव का साधन बनाये जाने की भर्त्सना नहीं की।

९—उत्तर प्रदेश एवं बिहार की स्थायी सीमा निर्धारण के सम्बन्ध में कोई संकेत नहीं किया।"

श्री उग्रसेन—श्रीमन्, आपकी आज्ञा से यह संशोधन उपस्थित करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय—

"किन्तु सदन को खेद है कि—

१—राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में हाल में हुये सामान्य निर्वाचन में सरकारी धांधली, मंत्रिमन्डल के अनावश्यक विस्तार, योजनाओं की विफलता, सहकारिता की असफल नीति, गन्ना उद्योग का संकट, सिंचाई दर में हाल में की गई वृद्धि, बाढ़-कटाव योजनाओं की विफलता, बिजली विक्रय में धांधली, मद्य निषेध नीति की असफलता, मजदूर हित विरोधी श्रम नीति, सरकारी और गैर सरकारी अध्यापकों में भेदभाव, समाज कल्याण तथा हरिजन कल्याण का ढोंग, चकबन्दी में भ्रष्टाचार और गैर जनतान्त्रिक आधार पर जिला परिषदों का गठन,

[श्री उग्रसेन]

कार्यपालिका का त्रुटिपूर्ण अलगाव, हद बन्दी योजना का सही अर्थों में न लागू करना, साम्प्रदायिकता को अराष्ट्रीय तौर पर उभारना एवं राष्ट्र भाषा हिन्दुस्तानी की जगह पर अंग्रेजी लादने की सरकारी साजिश की चर्चा नहीं की है ।

२--राज्यपाल महोदय ने १० बीघे तक खेती करने वाले अलाभकार जोतों की लगान माफ करने का निर्देशन अपनी सरकार को न देकर किसान हित की उपेक्षा की है ।

३--राज्यपाल महोदय ने अन्न, सेना को निर्मित कर नयी जमीन तोड़ने और बेकारों को काम देने की सोशलिस्ट पार्टी की लोकहितकारी योजना को कार्यान्वित करने की हिदायत सरकार को नहीं दी ।

४--राज्यपाल ने शिक्षा--प्रसार सेवा स्थापित करने का निदेशन सरकार को नहीं दिया है ।

५--राज्यपाल ने देहात में औरतों के लिये पानी तथा पाखाने की व्यवस्था करने का निदेशन अपनी सरकार को नहीं दिया है ।

६--राज्यपाल ने जीवनोपयोगी आवश्यक कृषि-जन्य पदार्थ तथा कल कारखाने से पैदा होने वाली वस्तुओं की कीमत में संतुलित दाम नीति कार्यान्वित करने का सुझाव सरकार को नहीं दिया है ।

७--राज्यपाल ने बड़ी और छोटी आमदनी को १० और १ की सीमा में बांध कर राज्य की आर्थिक योजना को कार्यान्वित करने का सुझाव नहीं दिया है ।

८--राज्यपाल ने उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा जो सीमा चीन से लगी हुई है उसकी सुरक्षा की उपेक्षा पूर्ण नीति की भर्त्सना नहीं की है ।"

श्री अध्यक्ष--एक संशोधन और भी आया है माननीय रामकिशोर जी तिवारी का । यह सही है कि सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती किन्तु मैं समझता हूं कि जो विषय इसमें दिये हुये हैं वह सब आ चुके हैं दूसरे प्रस्तावों में । अतः इसकी आवश्यकता नहीं है । वह बोलना चाहेंगे तो उनको अवसर दिया जायगा ।

अब वाद-विवाद आरंभ होता है । (कुछ ठहर कर)

मेरे पास कुछ नाम लिखे हुये आये हैं विभिन्न पार्टियों की तरफ से । मैं समझता हूं जनसंघ पार्टी के बाद प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की संख्या है और उसकी तरफ से नाम आये हैं अतः यह विवाद अब माननीय रामसुन्दर पांडेय जी आरम्भ करें ।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है । आपके पास बोलने वालों की लिस्ट पहुंच गई हो यह ठीक है लेकिन आजतक की पार्लियामेन्टरी परम्परा यह रही है कि जो माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं वह खड़े होकर आपकी आई कैच करते हैं । अगर इसी परम्परा को आप जारी रखें तो आपकी बड़ी कृपा होगी ।

श्री अध्यक्ष--कुछ खड़े होकर आई कैच करते हैं, कुछ लिख कर आई कैच करते हैं उन्होंने लिखकर आई कैच की है ।

श्री रामसुन्दर--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय का सम्बोधन सरकार का पिछले और आगे आने वाले वित्तीय वर्ष का लेखा-जोखा हुआ करता है । मेरा खयाल है कि सरकार का गलत या सही जो भी काम काज रहा करता है वर्षों का या होने वाला होता है वही सम्बोधन में मूर्तस्वरूप होता है । सरकार का इस प्रदेश में क्या हाल-चाल

है मैं समझता हूं इस प्रदेश की आम जनता ने इस आम चुनाव में उसको सही तरीके से परखने की कोशिश की है और मैं यह भी समझता हूं कि जो आज राज–काज की हालत है अगर वही चन्द सालों तक बरकरार रही तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि शायद यह सरकार अगले आम चुनाव में इस कुर्सी पर न बैठ सके।

श्रीमन्, इस प्रदेश में जो विशालकाय मंत्रिपरिषद् बनी है उसके सम्बन्ध में विशेष न कह कर इतना ही माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब वह पहले पहल इस कुर्सी पर विराजमान हुये थे तब उन्होंने छोटे नौकर चपरासियों को निकाल कर कम खर्च करने की बात कही थी, वह केवल ढकोसला मात्र था। आज उनका मंत्रि परिषद् सुरसा की तरह बढ़ता जा रहा है और यह कहा नहीं जा सकता कि कहां तक वह बढ़ता जायगा और उसका कितना बोझ इस प्रदेश की गरीब जनता पर पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इससे न तो इस प्रदेश की जनता को कोई लाभ होने वाला है और न सत्तादल को होने वाला है। जिस तरह से इस प्रदेश में मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है उसकी सीमा का अन्त नहीं होने वाला है। मैं चाहूंगा कि पिछले सालों में मंत्रिपरिषद् की जो संख्या रही है उतनी ही की जाय।

अध्यक्ष महोदय, समाजवादी समाज का उद्देश्य यह होता है कि जनता की आमदनी में समता लाई जाय। आज अपने देश और प्रदेश में बड़े लोगों की आमदनी तो बराबर बढ़ती जा रही है और गरीबों की आमदनी घटती जा रही है। इस सदन के माननीय सदस्य जानते, कि ग्रामीण जनता क मुकाबले में शहरी जनता की आमदनी कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। साथ ही इस प्रदेश में बेरोजगारी जिस प्रकार से मुंह बाये खड़ी है उसकी जानकारी भी पूरे सदन को है कि कितनी तादाद में अनपढ़ और पढ़े–लिखे बेकारों की संख्या बढ़ती चली जा रही है।

जिस प्रदेश और देश की सरकार बेरोजगारी को न रोक पाये, जिस देश की सरकार लोगों की आमदनी में समानता नहीं ला सकती है वह सरकार किसी भी प्रकार से समाजवादी स्वरूप लाने का दावा नहीं कर सकती, उसका ऐसा करना बिलकुल कमख्याली है।

हमारे प्रदेश में गंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक, सरजू और छोटी सरजू आदि नदियों द्वारा कटाव बड़ी तेजी से हो रहा है। सरकार ने कई बार वायदा किया कि वह इन नदियों के कटाव को रोकना चाहती है लेकिन उसका वह वायदा केवल कागजों में ही रह गया। आज भी इस कटाव के कारण हमारे प्रदेश में लाखों की तादाद में घर विहीन और रोजी विहीन लोग पड़े हुए। हैं खानाबदोश हो रहे हैं। इस भीषण कटाव को रोकने के लिये और ऐसे लोगों की सहायता करने के लिये सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके उनकी सहायता करे।

अपने प्रदेश में गन्ना काश्तकारों की संख्या २० लाख से ऊपर है लेकिन सरकार इन २० लाख किसानों की रक्षा नहीं करपाती है जब कि दूसरी ओर वह ६६ चीनी मिल मालिकों की रक्षा में सदैव तत्पर रहती है। मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से सरकार चीनी का दाम नहीं घटाती है उसी प्रकार से किसानों के गन्ने का दाम भी उसको बढ़ाना चाहिये। यह भी बड़े अफसोस की बात है कि किसानों का लाखों रुपया भी जो मिल मालिकों के पास पड़ा हुआ है सरकार दिलवाने में समर्थ नहीं हो पायी है। दूसरी ओर किसानों से तकावी वसूल करने में उसके बैलों और बरतनों को भी कुर्क कर लेती है और इस काम में उसको शर्म नहीं आती है। अगर सरकार किसानों को गन्ने की कीमत नहीं दिला सकती है तो उस क्षेत्र में सरकारी वसूली को भी स्थगित कर देना चाहिये। लेकिन सरकार किसानों के साथ और चीनी मिल मालिकों के साथ अलग-अलग तरह का बरताव करती है।

हमारी ओर से धन धरती का समान बटवारा करने की बात कई बार कही जा चुकी है लेकिन इसी सदन में बहुत से माननीय सदस्य ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि यह असंभव है। अगर सरकार बेरोजगारी को समाप्त करना चाहती है, लोगों की आमदनी को बराबर करना चाहती है, चाहती है कि लोगों को काम मिले तो उसका एक ही तरीका हो सकता है

[श्री रामसुन्दर]

और वह यह कि धन धरती का बटवारा किया जाय और ऐसे लोगों के हाथ से जमीन छीन ली जानी चाहिये जो उसको जोतते बोते नहीं है। माहत्मा गांधी कहते थे कि जमीन उसकी है जो उसको जोतता बोता है और वे यह भी कहते थे कि ५०० रुपया से ज्यादा किसी को तनख्वाह नहीं लेनी चाहिये। लेकिन आज महात्मा गांधी का नाम लेने वाली यह सरकार क्या उनके आदेशों का किसी भी प्रकार से पालन कर रही है ?

इसके अलावा मैं अब पुलिस विभाग की अकर्मण्यता की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज गांव का रहने वाला प्रत्येक निवासी अपने को अरक्षित समझता है। यही कारण है कि लोग गांवों से भाग-भाग कर शहरों में रहना पसंद करते हैं। जो पुलिस हमारी रक्षक थी वह आज भक्षक का काम कर रही है। अंग्रेजी राज्य की पुलिस कांग्रेसी लोगों पर जुल्म किया करती थी लेकिन आज कांग्रेसी राज्य की जो पुलिस है वह इधर के लोगों पर जुल्म करती है। यही कारण है कि सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती और ऐसा निकम्मा काम करने वाले कर्मचारियों को जो नागरिकों पर जुल्म करने में कोई कसर नहीं उठा रखते हैं।

और सरकार के मंत्री लोगों का नाम मैं नहीं लेना चाहता जो भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं ऐसे पुलिस कप्तानों का जो इस तरह के गलत काम करने में नहीं हिचकिचाते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के प्रस्ताव को रखता हूं।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)---अध्यक्ष महोदय, अभी थोड़ी बात आपके सामने मुझे यह निवेदन करनी है कि जिस तरह आपने उदारता का परिचय अल्पमत के लिये प्रदान किया है और जिस तरह १०-१२ मेम्बरों के नेता को इस माननीय सदन में इतना ज्यादा समय दे देने के लिये आपने कहा है, इस सम्बन्ध में मुझे आपसे सिर्फ यह निवेदन करना है कि महामहिम राज्यपाल द्वारा सम्बोधन में कहीं गयी तमाम बातों को केवल १० मिनट में आपके सामने पेश करने में मैं समर्थ नहीं हूं फिर भी आपका ध्यान आकर्षित करने के लिये ऐसी बात कह दी गयी है।

महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के समर्थन के लिये मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। सब से प्रथम चुनाव के सम्बन्ध में जो आलोचनायें इस सम्मानित सदन के सामने विरोधी पक्ष के नेताओं ने पेश की है मैं इस माननीय सदन को केवल यह बता दूं कि अगर निष्पक्षता न बरती गयी होती और अगर सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव में हस्तक्षेप किया होता तो आप १४ से ४९ न होते, आप १० से ३० न होते। पिछले विरोधी दल की संख्या से जो आज ड्योढ़ी और दुगुनी संख्या हो गयी है वह निष्पक्षता के आधार पर हुई है। महामहिम राज्यपाल ने स्पष्ट तरीके से इस संबोधन में इस बात को जाहिर कर दिया है कि जिस तरह से इस प्रदेश की सरकार और इस प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों ने निष्पक्षता बरती है उससे विरोधी दल की प्रगति ही हुई है और उसे 'किन्तु खेद है' के बजाय 'किन्तु खुशी है' का प्रस्ताव पेश करना चाहिये था कि इस तरह की निष्पक्षता सरकारी कर्मचारियों ने बरती कि हम इतनी अधिक तादाद में यहां आये हैं। इसके अतिरिक्त और भी कई बातें हैं जिन का जिक्र महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में नहीं किया है उनका भी जिक्र होना चाहिये था। विरोधी पक्ष ने जिस तरह से जातिवाद, सम्प्रदायवाद, प्रतिक्रियावाद, हिंसावाद को अपनाया है वह किसी से छिपा नहीं है। मेरे जिले के लूमामऊ का हवाला देना ही काफी होगा लेकिन चूंकि वह विषय सबजुडिस है, मामला कोर्ट में है इसलिये मैं कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस तरह से विरोधी पक्ष द्वारा जातीयता का आश्रय लिया गया, हिंसावाद का आश्रय लिया गया प्रतिक्रियावाद का आश्रय लिया गया उसको उत्तर प्रदेश का हर एक जिला जानता है। इस तरह के जो निन्दनीय हथकंडे विरोधी दल द्वारा अपनाये गये उसकी नजीर मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहता। आप सब लोग उससे अच्छी तरह वाकिफ हैं। महामहिम राज्यपाल ने इन दोषों का जिक्र अपने सम्बोधन में नहीं किया है इसका मुझे खेद है और जो विरोधी

पक्ष ने सरकार पर लांछन लगाया है उसमें 'खेद' की जगह 'सुख और खुशी' का जिक्र आना चाहिये था कि सरकार की उदारता और सरकारी कर्मचारियों की यह निष्पक्षता ही है जिससे आपकी तादाद इस सदन में इतनी ज्यादा बढ़ी है ।

जनतंत्र के सम्बन्ध में या समाजवाद के सम्बन्ध में दस मिनट में सदन में क्या कहा जा सकता है, यह तो आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं । समाजवाद का जामा पहन कर यहां पर जो उसका उपहास और परिहास किया जा रहा है उस के सम्बन्ध में मैं सदन के माननीय सदस्यों के सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज समाजवाद के वह ठेकेदार बनना चाहते हैं कि जिन्होंने अभी तक इस के पहिले किसानों और मजदूरों का शोषण किया है, जिन के शोषण से उत्तर प्रदेश के किसान मजदूर त्राहि त्राहि करते हैं, वे आज समाजवाद की दोहाई देकर उस पर लांछन लगाने के लिये सदन के सामने राज्यपाल महोदय के सम्बोधन पर टीका-टिप्पणी और आलोचना पेश कर रहे हैं । यह माननीय सम्मानित विरोधी दल के नेता स्वयं अन्दाज कर लेंगे कि उन के पक्ष में किस प्रकार से किसानों और मजदूरों का शोषण हुआ है और किस प्रकार हम ने उन की रक्षा की है और समाजवाद के कदम को आगे बढ़ाया है ।

माननीय राज्यपाल ने जिन विषयों का जिक्र अपने सम्बोधन में किया है वह इतना व्यापक विषय है कि उस पर बोलने के लिये १० मिनट का समय बहुत कम है, दस मिनट यदि आप और दे सकें तो हम सूक्ष्म तरीके से अपनी बातें कह सकें और पेश कर सकें ।

श्री अध्यक्ष—बहुत बोलने वाले हैं इसलिये आप सूक्ष्म ही बोलें ।

श्री जे० पी० मिश्र—बहुत अच्छा, श्रीमन् एक बात महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में और कही गई थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार अधिक हुआ है । परन्तु माननीय विरोधी दल के नेता जरा आंकड़ों का भी ध्यान रखें और जो हमारी आय में वृद्धि हुई है उस का भी लिहाज रखें तो उन की समझ में सारी बातें आ सकती हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश के जिलों में शासन का विकेन्द्रीकरण किया है वह सराहनीय है। जो लोग लोकतन्त्र और समाजवाद में आस्था रखने के बाद प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण का विरोध करते हैं उन पर मुझे आश्चर्य होता है । यह लोग भूल जाते हैं कि हमारी आय किस तरह से बढ़ी है। हमारे वह आलोचक यह भूल जाते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बाद हमारी राष्ट्रीय आय ३१ प्रतिशत बढ़ी है, प्रति व्यक्ति की आय भी १८ प्रतिशत बढ़ी है । हमारा कृषि उत्पादन ३५ प्रतिशत बढ़ा है और खाद्यान्न का उत्पादन भी ३० प्रतिशत बढ़ा है । इस के अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन और क्षमता में भी काफी वृद्धि हुई है । औद्योगिक उत्पादन भी आज से ३ साल पहले तक ५१ प्रतिशत बढ़ा है । तो मेरे कहने का आशय यह है कि यदि वे इन आंकड़ों को पढ़ कर देखें तो जिस तरह से छोटे बड़े उद्योगों की भरमार हमारे देश और प्रदेश में आई है उस की तरफ से अपनी आंखें बन्द करना उचित नहीं है । यदि वह किसी चीज के लिये खेद प्रदर्शित करते हैं तो इस प्रकार की उन्नति देखकर उन्हें प्रसन्नता भी प्रदर्शित करना चाहिये थी, जो चौमुखी उन्नति हुई है उस के प्रति आपको प्रसन्नता प्रकट करना भी आवश्यक था ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलता के सारे आंकड़े आपके सामने मौजूद हैं । उन को देख कर ही माननीय विरोधी दल के नेताओं को आलोचना करनी चाहिये थी । यह मैं मानता हूं कि समालोचना करना आवश्यक है परन्तु यह भी देखना चाहिये कि यह इतना बड़ा प्रदेश है, इसका इतना बड़ा प्रशासन और प्रबन्ध है और उसके लिये माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस मंत्रिमंडल का विस्तार इसी हिसाब से किया है, यह एक साहसपूर्ण कदम उठाया गया है जिस की प्रशंसा सदन को करना चाहिये । यही तरीका है कि जिस से जनता से सम्पर्क स्थापित हो सकता है । इस तरह से जनता जनार्दन तक राज्य का कार्यभार पहुंच सकता है, उनकी बात सुनी जा सकती है । मैं समझता हूं कि अगर विरोधी दल के नेता को भी इस तरह का मौका मिल सकता और वे भी इन ट्रेजरी बेंचों में शामिल हो सकते तो मैं समझता हूं कि वह अपने ऊपर ऐसी आलोचना का कोई असर न आने देते । इन शब्दों के साथ मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव अनुमोदन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन इस धन्यवाद के प्रस्ताव को हृदय से स्वीकार करेगा ।

श्री उमाशंकर (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसको माननीय उग्रसेन जी ने राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में रखा है। इसके पहले कि मैं कुछ कहूं आपने कल आखिरी वक्त में जो हमारी पार्टी के नेता ने सदन त्याग किया था उसके सम्बन्ध में कुछ जिक्र किया था। मैं आपका आदर करते हुये मजबूर हूं कि आपकी उस व्यवस्था से अपनी असहमति रखूं।

श्री अध्यक्ष—मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जो व्यवस्था अध्यक्ष पीठ से हो जाती है उसकी आलोचना फिर सदन में नहीं होती। यह हो सकता है कि आप और हम बैठ कर उस पर विचार कर लें। लेकिन उसके सम्बन्ध में सदन में कोई आलोचना या चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री उग्रसेन—एक बात की मैं सफाई कर दूं। उन्होंने यह कहा कि वह इससे असहमति प्रकट करते हैं, आलोचना नहीं करते।

श्री अध्यक्ष—आप कृपया बैठें। माननीय तिवारी जी को बोलने दें।

श्री उमाशंकर—आपने कल जिक्र किया था, व्यवस्था नहीं दी थी, बल्कि जिक्र किया था और चर्चा की थी, उससे मेरी सहमति नहीं है क्योंकि ऐसे मसले के सवाल पर हमारी पार्टी के नेता ने सदन त्याग किया था, जिस पर हम और आप देख रहे हैं कि हाउस के तमाम विरोधी पार्टियों के नेता और बाहर का जनमत हमारी राय से सहमति प्रकट करता है तो ऐसी हालत में अगर राज्यपाल महोदय से यह कहें कि जो हमारी गाढ़ी कमाई का अपव्यय हो रहा है उस सम्बन्ध में आप कुछ कदम उठावें, जो कि इस राज्य के सबसे बड़े कर्णधार हैं और उस पर वे कहें कि यह समय नहीं है कि उस पर अपनी राय यहां जाहिर करें चाहे वह मसला कितना ही अहम हो, तो हमारी मजबूरी थी, हमारी पार्टी पर यह जिम्मेदारी थी कि जिस जनता ने हमें यहां चुन कर भेजा है और जो कर भार से दबी हुई है उसके पैसे का दुरुपयोग हो, उसके लिये एक ही रास्ता था कि हम उसका विरोध करें और सदन का त्याग करें। इसलिये हमारे नेता ने और हमने जो सदन का त्याग किया वह मर्यादित ढंग से किया था और राज्यपाल महोदय का सम्मान करते हुये किया था।

माननीय जगदीशशरण अग्रवाल जी ने अपने प्रस्ताव में जिक्र किया है कि अपने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद दिया जाय। उन्होंने तीसरी योजना में उद्योग, लघु उद्योग, सहकारी समितियों तथा जो देश में प्रगति हो रही है उसका जिक्र किया। परन्तु मुझे दुख है कि माननीय राज्यपाल महोदय ने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि जो चुनाव में अनियमिततायें सरकारी कर्मचारियों द्वारा हुई हैं तथा जो अन्याय विरोधी पार्टीज के साथ हुआ है हमारे पूर्व वक्ता माननीय दुबे जी ने आपके सामने कहा है कि वे इन अनियमितताओं के बारे में सबूत भी दे सकते हैं। मैं भी बनारस जिले में जो अनियमिततायें हुई हैं उनका जिक्र करना चाहता हूं। बनारस जिले में ऐसे-ऐसे मत पत्र जारी किये गये जो गोरखपुर के रहे हैं, जौनपुर के रहे हैं, जो जहां का उम्मीदवार रहा है उसका वहां का सिम्बल नहीं रहा, ऐसे मत-पत्र दिये गये हैं और उस मत पत्र में अगर हमारी पार्टी के सिम्बल पर निशान लगाया गया तो वह अवैधानिक कर दिया गया, और उसमें ऐसे लोगों का नाम था जो उस जगह से उम्मीदवार ही नहीं थे। तो यह क्या कहा जायगा? क्या यह निष्पक्ष चुनाव कहा जायगा? सरकारी कर्मचारियों से जब हमारी पार्टी के लोगों ने प्रार्थना की कि पुनः गणना की जाय तो निर्वाचन अधिकारी ने हमारी प्रार्थना को ठुकरा दिया।

चुनावों में ऐसी-ऐसी ज्यादतियां हुई हैं कि एक तरफ पोलिंग आफिसर और दूसरी तरफ प्रेजाइडिंग आफिसर दोनों में झगड़े हुये। खास तौर से मैं जिक्र करूं अपने नेता श्री राजनारायण जी के चुनाव का, यहां पर पोलिंग आफिसर, राजनारायण जी और प्रेजाइडिंग आफिसर में कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर के झगड़ा हुआ। क्या यह निष्पक्ष चुनाव कहा जायगा? इसके सम्बन्ध में वहां चुनाव आयोग के पास तार भी दिया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ।

राज्यपाल महोदय ने उसका जिक्र नहीं किया । यह कभी नहीं कहा जा सकता कि यह चुनाव निष्पक्ष हुआ है और फिर उसके बाद हम राज्यपाल महोदय को इसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पास करें ।

हमारे राज्यपाल महोदय ने शिक्षा के सम्बन्ध में हमारी सरकार की बड़ी तारीफ की है लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र, रामनगर, में जो कन्या पाठशाला हाई स्कूल, तीन वर्षों से चल रहा था काशी राज्य के मर्जर डीड में लिखा हुआ था कि वहां शिक्षा निःशुल्क दी जायगी, लेकिन जो शिक्षा लड़कियों को वहां तीन वर्षों से निःशुल्क दी भी जा रही थी इस वक्त इम्तहान के जमाने में वहां की छात्राओं से जबरदस्ती फीस पिछली जुलाई के महीने से ली जा रही है। यह शिक्षा की प्रगति है। धोकेबाजी करके किस तरह से लड़कियों से पहले नाम लिखाकर उनसे आज तीन वर्ष की फीस वसूल की जा रही है, इसका जिक्र भी न हो और हमसे कहा जाय कि तुम धन्यवाद का प्रस्ताव पास करो ।

दूसरी बात हमारे क्षेत्र में एक जे० जे० आर० फैक्टरी है। वहां हमारे दल के नेताओं ने मजदूरों के साथ वहां जो ज्यादती हो रही थी उसके लिये अनशन किया था। लेकिन सरकार ने बीच में पड़कर दोनों पार्टियों के मानने पर लेबर कमिश्नर को पंच नियुक्त किया। एक साल से ऊपर हो रहा है उनको पंच नियुक्त हुये लेकिन आजतक उसपर कोई फैसला लेबर कमिश्नर ने नहीं किया है और न सरकार ने ही बार-बार उसका ध्यान उस ओर आकर्षित करने पर भी कोई कार्यवाही की है। इसका नतीजा यह हो रहा है कि वहां के मजदूर नोटिस देकर हड़ताल करने जा रहे हैं। इसका भी जिक्र राज्यपाल महोदय ने नहीं किया है तो फिर क्या उसके लिये धन्यवाद का प्रस्ताव पास करें ?

साथ ही, वहां एक साहू केमिकल फैक्टरी है जहां किसानों की जमीन ले ली गई है और ऐसे किसानों की जिन्होंने कलकत्ता और बम्बई में नौकरी करके जमीनें खरीदी थीं जिससे बुढ़ापे में उनकी गुजर हो सके लेकिन दुर्भाग्य है कि उनकी जमीन ले ली गई। उनके अलावा बहुत सी विधवायें और बहुत से अनाथ हैं जिनकी जमीनें ले ली गई हैं, उनके पास कोई रोजी नहीं है और वे दर-दर भीख मांग रहे हैं और वह भी ऐसी सरकार के राज्य में जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है। क्या यही समाजवादी राज्य है जहां अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है ? जिस सरकार के राज्य में प्रदेश के विभिन्न वर्गों की आमदनियों में कोई रिश्ता नहीं है, एक ओर जहां चौकीदार ५ रुपये पा रहा है और दूसरी तरफ जो उसी विभाग का मन्त्री है वह हजारों रुपया पा रहा है, जहां अमीर की अमीरी बढ़ रही है और गरीब की गरीबी बढ़ रही है, उसके लिये क्या राज्यपाल महोदय ने अपने संबोधन में जिक्र किया है ? नहीं किया है।

आज १४ वर्ष कांग्रेसी शासन को हो गये । जबकि जमीन्दारी उन्मूलन हुआ था तब चौधरी चरणसिंह जी ने कहा था कि सवा ६ एकड़ से कम जमीन अलाभकर है। सन् १९३७ में जब पन्त जी की सरकार थी उस समय उन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसने यह तैय किया था कि अब अलाभकर जोतों की जमीन का लगान माफ कर दिया जाय। जमीन्दारी उन्मूलन कमेटी में चौधरी चरणसिंह ने यह कहा था कि सवा ६ एकड़ से कम जमीन अलाभकर है लेकिन वह जमीन का लगान अब तक माफ नहीं किया गया और न राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में इसका कुछ जिक्र किया ।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री उमाशंकर—इन शब्दों के साथ माननीय उग्रसेन जी ने प्रस्ताव में जो संशोधन पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

***श्री हरीसिंह** (जिला मेरठ)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर जो श्री जगदीश शरण जी ने धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

करता हूं । जितने मैंने अपने विरोधी दल के माननीय सदस्यों के वक्तव्यों को सुना उन्होंने अधिकतर हमारी सरकार पर यह लांछन लगाया है कि इस सरकार के कार्यकर्ताओं ने चुनाव में ज्यादतियां बरती हैं। मैं सोशलिस्ट पार्टी के आदरणीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि हमारे साथ जो ज्यादतियां सोशलिस्ट पार्टी के उन जिम्मेदार नेताओं के द्वारा हुई हैं जो हमने स्वयं भोगी हैं उनके लिये उन्होंने क्या किया ? यदि हमारी सरकार के कर्मचारी उन पर ज्यादती करते तो आज उनकी संख्या १८० की इस सदन में दिखाई न देती। यह सरकार तो उदारता, दयालुता तथा न्यायप्रियता के साथ कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहती है और ऐसा राज्य स्थापित करना चाहती है कि यहां के बच्चे-बच्चे के दिल में यह भावना उत्पन्न हो कि यह देश सच्चे, न्यायप्रिय तथा कल्याणकारी नेताओं के द्वारा यहां पर अपना शासन स्थापित करना चाहता है । इसलिये जहां तक चुनाव की ज्यादतियों की बात है वह गलत है।

(इस समय १ बजकर ३२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री मुकन्दीलाल, बैरिस्टर, पीठासीन हुये।)

मैं यह निवेदन कर दूं कि जो राजे, महाराजे, ताल्लुकेदार व सरमायादार हैं और वे चाहे किसी भी पार्टी में हों, चाहे कांग्रेस पार्टी में हों या विरोधी पार्टीज में, उन्होंने गरीब वर्ग पर, हरिजन वर्ग पर जो ज्यादतियां की हैं, उन्हें जिस तरह कुचला है उसका हल निकालने के लिये उन्होंने क्या कोशिश की, यह बतलाने का कष्ट किसी ने नहीं किया। जो ज्यादतियां की जा रही हैं वे विरोधी दलों की तरफ से की जा रही हैं। आज जो गरीब पिछड़ा तथा हरिजन वर्ग है वह यह महसूस करता है कि विरोधी पार्टीज जो समाजवाद की बात करती हैं उनका समाजवाद कुछ समाजवाद नहीं है। बल्कि कांग्रेस सरकार ही सच्चा समाजवाद ला सकती है और वही समानता दिला सकती है। हो सकता है कि कांग्रेस सरकार में कुछ राजे महाराजे आ गये हों लेकिन फिर भी यही कांग्रेस सरकार देश का हित कर सकती है। किसने इस देश का उत्थान किया है यह सर्वविदित है।

मैं यह भी देखता हूं कि इस सम्बोधन में हरिजनों के लिये एक शब्द भी नहीं कहा गया कि उनका १८ फीसदी रिजर्वेशन पूरा होगा या उनकी बेकारी किस तरह से दूर होगी या जो छोटे-छोटे गृह उद्योग हैं उनमें गरीबों का भी कोई हिस्सा होगा ? दुख की बात तो यह है कि जो आज विरोधी दल में राजे महाराजे हैं उनका स्वार्थ भी इस कांग्रेस सरकार में ही निहित है और यह लोग वैसे तो कांग्रेस सरकार की बुराई करते हैं लेकिन लाभ भी इसी सरकार से उठाते हैं। इसलिये मैं आदरणीय सदन के सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि वे इस सरकार की बुराई न करें ।

समाजवाद की जो बार-बार बातें की जाती हैं तो हमने बहुत से समाजवाद देखे हैं। हमारे क्षेत्र में चल कर देखिये किस प्रकार कांग्रेस वालंटियर्स पीटे जाते हैं और आप इस आदरणीय सदन में समाजवाद की बात करते हैं। यही नहीं, बल्कि जो ज्यादतियां कोई नहीं कर सकता वह वे लोग करते हैं जो अपने को समाजवाद का ठेकेदार कहलाने का ढोंग करते हैं। लेकिन कांग्रेस जैसी संस्था इस देश और प्रदेश में होना कठिन है। इसलिये हम इस सरकार के आभारी हैं कि यह अपने विरोधियों के भी कल्याण की बात सोचती और कहती है। लेकिन इस देश की यह परम्परा रही है कि जो जिसका कल्याण करता है वह उसी की जड़ काटता है, इसलिये आपकी बात सुन कर कोई बुरा नहीं मालूम होता। आप लोगों को अधिकार है कि यह कहें लेकिन जो जनहित की बात आप कहते हैं उसे कार्यरूप में भी परिणत करके दिखायें जैसे हमारी कांग्रेस सरकार ने सभी वर्गों के लिये कर के दिखलाया है। हां, आप हमें कोई ऐसी बात बतलायें जिससे देश आगे बढ़े तो सरकार भी उसपर विचार करने के लिये बाध्य हो सकती है परन्तु महज विरोध की बात कहना शोभा नहीं देता।

मुझे यह अवश्य कहना पड़ता है कि गृह उद्योग धन्धों के बारे में जो आशायें थीं वह महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन में कुछ झलकीं नहीं। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इसपर अधिक से अधिक अमल करने की कोशिश करेगी। इसलिये जो आदरणीय जगदीश शरण अग्रवाल ने धन्यवाद का प्रस्ताव महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के लिये धन्यवाद के प्रस्ताव के अन्त में जो शब्द जोड़ दिये जाने का प्रस्ताव हमारे माननीय श्री भानुप्रताप सिंह जी ने किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। इसके साथ, अभी अभी चुनाव की निष्पक्षता के सम्बन्ध में जो बात कही गई कि यदि राज्य निष्पक्ष न होता तो हम यहां पर इतने न होते तो यह बात जरूर है कि हम लोग आपके नामिनेटेड कैंडिडेट्स नहीं हैं, हम जनता की तरफ से आये हैं, । चुनाव का नतीजा भी आपने देख लिया कि आप ४० सीट्स खो चुके हैं और अब जनमत किसके साथ जा रहा है।

अभी एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि ये राजे महाराजे यहां आये हैं। तो राजे महाराजे तो सभी पार्टियों में हैं, कांग्रेस पार्टी में भी हैं। जिस प्रकार कि गंगा के स्नान करने से कोई पवित्र हो जाता है उसी प्रकार केवल कांग्रेस पार्टी में ही शामिल होने से राजा राजा नहीं रहता, यदि वह किसी अन्य पार्टी में हों, तो राजा ही बना रहेगा। यहां न कोई राजा है और न कोई महाराजा। सभी एक स्तर पर हैं। तो माननीय सदस्य का यह कहना कहां तक उचित है यह वह स्वयं ही समझेंगे।

जहां तक संशोधन का सम्बन्ध है, खेती के बारे में थोड़ी सी बात मैं यह कहूंगा कि जो सिस्टम आफ प्लानिंग खेती का है वह मेरे खयाल से बहुत गलत है क्योंकि कृषि की उन्नति पर ही किसान का आर्थिक जीवन निर्भर है और हमारे माननीय नेहरू जी ने भी कल उत्तर प्रदेश के संसद सदस्यों की बिदाई के अवसर पर कहा है कि यू० पी० में जहां ८० प्रतिशत लोग खेती करते हैं वह प्रान्त इस मामले में पिछड़ा हुआ है। इस प्लानिंग में जैसा कि सिस्टम है वह ठीक नहीं है। किसानों का सम्पर्क तोड़ा जा रहा है पहले जो बेसिक सीड स्टोर्स होते थे वे सारा काम अपने हाथ से करते थे और उनमें एग्रीकल्चरल एक्पर्ट्स होते थे। १९६०—में ८७६ बेसिक सीड स्टोर्स खुले हुये थे और वे सेंटर आफ एक्टिविटी थे इनमें ऐसा था कि सुपरवाइजर प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर बीज इकट्ठा किया करता था और अपने पास बीज को सुखाकर रखते थे। जब बीज की आवश्यकता होती थी तो ये उस समय सप्लाई किया करते थे यह सारी जिम्मेदारी ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की थी। इस तरह से उनका सम्बन्ध छोटे—छोटे किसानों से बना रहता था। लेकिन इस प्लानिंग सिस्टम से क्या परिवर्तन हो गया यह देखनें की बात है।

अब यह काम कोआपरेटिव विभाग को दे दिया गया है, वह कमर्शियल कन्सर्न है और खेती की बात बहुत कम समझता है। इसके अलावा इस विभाग में टेक्निकल हैंड्स भी नहीं हैं। इस सिस्टम से एक बात और हुई है कि अब तक जो ८७६ सीड स्टोर्स थे उनके आदमी सब बेकार हो गये हैं क्योंकि जब यह काम कोआपरेटिव विभाग में हो रहा है इसलिये उनके पास कुछ काम नहीं रह गया है।

अब आप देखिये कि हमारे प्रदेश की गवर्नमेंट के पास वेल आर्गेनाइज्ड १९ फार्म्स हैं, जिनको सिंचाई (irrigation) की हर प्रकार की सुविधायें प्राप्त थीं, टेक्निकल हैंड्स भी उनके पास थे और अच्छे फर्टिलाइजर्स भी उनके पास थे। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि वे कितनी अच्छी उन्नति कर सकते थे। लेकिन आप देखिये कि उनका कुल क्षेत्रफल जिसमें खेती होती है १,१०० एकड़ है। इसमें केवल ३३,००० रुपये की आमदनी हुई है। इस हिसाब से २० से ३० रुपये प्रति एकड़ की आमदनी हुई है। उसमें फार्म सुपरिंटेंडेंट की तनख्वाह शामिल नहीं है। अब आप स्वयं अन्दाजा लगा सकते हैं कि ये सरकारी

[श्री विजयसिंह]

फार्म कितनी उन्नति कर रहे हैं। किसानों को तो ७८ मन प्रति एकड़ पैदा करने पर पुरष्कार दिया जाता है। तो किसान के मुकाबले पर इन फर्मों की ओर भी ध्यान दिया जाय कि ये ठीक तरह से उन्नति करें, जबकि सारी सुविधायें इनको प्राप्त होती हैं। यह साधारण किसान से कम उन्नति कर रहे हैं जो चिन्ताजनक है क्योंकि यह तो model improved क्षेत्र हैं।

श्रीमन, फैजाबाद में एक फार्म है जो २०० एकड़ का है। इसमें १९५९-६० में ४७,०००। रुपये का घाटा हुआ है। इस फार्म में जिसमें सब प्रकार की सुविधा प्राप्त है जब घाटे में चलता है तो अन्दाजा लगा सकते हैं कि सरकार की योजना कितनी अलाभकर है। १९५७-५८ में ८२ फार्म खोले गये जिनमें से ४६ घाटे पर चल रहे हैं। १९५८-५९ में १२० खोले गये जिनमें ७० घाटे पर चल रहे हैं और १९५९-६० में १४२ खोले गये जिनमें से ७९ घाटे पर चल रहे हैं। जब राजकीय कृषि फार्म घाटे पर चलने लगे तभी तो और नये खोलना बन्द करना पड़ा। क्षेत्रों को नये न खोलने की बात हमारे राज्यपाल महोदय ने भी अपने सम्बोधन में कही है। जिन फार्मों में तरक्की हो वहां पर आफिसर्स को तरक्की दी जाय तब तो ठीक है। लेकिन जहां घाटे पर चलें वहां पर भी लोगों को तरक्की मिल जाय यह ठीक नहीं है। विदेश में और खास तौर से रूस में ऐसा है कि जो फार्म अलाभकर सिद्ध होते हैं वहां के अधिकारियों को हटा भी दिया जाता है, ऐसा यदि हमारी सरकार करे तो अधिकारी अवश्य ही सतर्क रह कर कार्य करेंगे।

दूसरी बात मैं यह भी कहूंगा कि गांवों में स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था नहीं है। यद्यपि कहीं-कहीं पर अस्पताल खोले गये हैं, लेकिन जहां डिस्पेंसरी हैं वहां मेडिसिन्स नहीं हैं, जहां मेडिसिन्स हैं वहां डाक्टर नहीं हैं। जहां मेडिसिन्स और डाक्टर हैं वहां डाक्टरों को दस-दस महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलती हैं।

मैं एक बात और कह दूं कि एलोपैथिक औषधियां ज्यादा कीमती पड़ती हैं, जिनका प्रयोग देहात वाले नहीं कर पाते हैं। देहातों में अगर आयुर्वेदिक औषधियों की व्यवस्था की जाय तो बहुत उत्तम होगा। केवल डाइगनोसिस और सर्जरी के लिये एलोपैथिक डिस्पेंसरीज इस्तेमाल की जायं। देहातों में वैद्यों को जिनको कि नेगलेक्ट किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जाय।

इन शब्दों के साथ राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदन इसको अवश्य स्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—श्री धर्मदत्त वैद्य। (व्यवधान) स्पीकर साहब ने कह दिया है कि बारी-बारी से बुलाया जाय। यहां कुछ नाम आये हुये हैं। उसके मुताबिक मैं पहले धर्मदत्त जी से कहूंगा। अगर वह नहीं बोलेंगे तो विरोधी पक्ष से बुलाऊंगा।

श्री उग्रसेन—मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री लखपतराम शर्मा—मेरा निवेदन है कि लिस्ट बतला दी जाय तो ज्यादा सुविधा होगी।

श्री भगवानदास (जिला मिर्जापुर)—यह माननीय सदस्यों के अधिकारों का शोषण हो रहा है, यह पार्लियामेंटरी पद्धति के विरुद्ध है। हम लोग भी तो हैं।

श्री उग्रसेन—आप इस पर व्यवस्था दीजिये। माननीय वैद्य जी बाद में खड़े हुये। माननीय शर्मा जी पहले खड़े हुये तो आप इस पर व्यवस्था दें कि उनको क्यों नहीं बोलने का अवसर दिया गया जब कि आदरणीय सदन में कोई सदस्य खड़ा हो नहीं हुआ?

श्री अधिष्ठाता—हम लोग जो यहां बैठते हैं आप लोगों की सुविधा के लिये यहां बैठते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब को बोलने का अवसर मिले। आपको मालूम होगा कि स्पीकर साहब के पास एक लिस्ट पहले आ चुकी थी। उस वक्त भी इस तरह का प्रश्न उपस्थित हुआ था कि क्या आप लिस्ट के मुताबिक बुलायेंगे ? आप इस बात को भी समझते हैं कि आप ४३० सदस्य हैं । हर एक आदमी का नाम याद रखना मुश्किल है। इसलिये स्पीकर को सुभीता होता है, अगर नाम आ जायं। जो कुछ नाम आये थे उसी के मुताबिक उन्होंने यह तय किया था कि एक बार इस दल से और एक बार उस दल से बुलाया जाय। चूंकि विरोधी दल की तरफ से अभी भाषण हो चुका है, इसलिये मैं वैद्य जी से कहूंगा कि वह जो कुछ कहना चाहते हों कहें। आप धैर्य रखिये। दो दिन बाकी हैं। आपको मौका मिलेगा।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं यह निवेदन करूंगा, कि नाम बता दिये जांय, ताकि हम लोगों को सुविधा हो जाय। जिन लोगों के नाम सूची में हैं उनके नाम बता दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—आपको समय मिलेगा।

कारागार मन्त्री के सभा सचिव (श्री धर्मदत्त वैद्य)—आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव सदन में माननीय जगदीशशरण अग्रवाल ने महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन पर, धन्यवाद का प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, सदन में यह परम्परा रही है कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के बाद उनको धन्यवाद दिया जाता है । विरोधी पक्ष की ओर से जो संशोधन इस धन्यवाद के प्रस्ताव पर आये हैं मैंने उनको देखा। मुझे इससे बड़ा कष्ट हुआ कि विरोधी पक्ष जनतन्त्र प्रणाली की सफलता के लिये कितना आवश्यक होता है, इस बात का आभास हमरे साथीजो उधर बैठते हैं सम्भवतः उनको नहीं हैं । इस सम्बोधन में सरकार की नीति तथा भवष्य में क्या करना चाहती हैं उसकी ओर कुछ संकेत राज्यपाल महोदय ने किया है। उसमें बहुत सी बातें ऐसी भी हो सकती हैं जो सम्भवतः महामहिम राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में रह गई हों उनकी ओर विरोधी पक्ष की ओर से कुछ सुझाव हो तो उन कार्यों को जोकि उसमें संकेत करने से रह गये हों उनका उसमें समावेश किया जा सकता है या आगामी साल में फिर उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार से विचार किया जा सकता है, और उनके सुझाव से लाभ उठाया जा सकता है, किन्तु ऐसा नहीं किया गया।

विरोधी पक्ष के नेताओं ने यहां चुनाव की चर्चा की कि चुनाव में सरकारी पक्ष की ओर से बड़ी अवैधानिकता की गई लेकिन सरकार में जो लोग हैं वह किसी व्यक्ति विशेष के रिश्तेदार नहीं हैं, सरकार चलाने वाले आपके हमारे सभी के साथी, सभी के भाई हैं, तथा निष्पक्षता से कार्य करते हैं। फिर मुझे तो इस बात पर और भी आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से शासन व्यवस्था चल रही है उस शासन व्यवस्था में कहीं भी पार्टी के व्यक्तियों को जरा भी हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं है । चाहे जिला स्तर पर हो या प्रान्तीय स्तर पर सभी जगह अधिकारियों को पूर्ण स्वतन्त्रता है कि वे निष्पक्ष होकर के कार्य करें । कहीं भी मण्डल कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी या अन्य किसी भी प्रकार कोई हस्तक्षेप उसमें नहीं है।

हमें अब से कुछ दिनों पूर्व केराला में दूसरी पार्टी के शासन को देखने का सौभाग्य हुआ था जहां थानों के सामने, तहसीलों के सामने कैम्प लगते थे। जनता को पहले उन कैम्पों की शरण में जाना पड़ता था और वहां जाकर अपने दुख तकलीफ की बातों को कहना पड़ता था। तब उनकी सुनवाई पार्टी की इच्छानुसार होती थी लेकिन आज यहां शासन जिस संस्था के हाथ में है उसने स्वतन्त्रता दिलाने वाले अपने साथियों की परवाह नहीं की। चन्द मुट्ठी भर आदमी जो यहां एम० एल० ए० हैं, इन चन्द आदमियों ने ही स्वराज्य नहीं लिया,

[श्री धर्मदत्त वैद्य---]

कितने ही व्यक्ति आज भी जिला स्तर पर ऐसे हैं कि जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के लिये लड़ाई लड़ी, लेकिन आज इस शासन व्यवस्था में उनके लिये कोई स्थान नहीं है, और ऐसे बहुत से देश हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद ऊपर से नीचे तक शासन में रद्दोबदल कर पार्टी को मजबूत करने के लिये पार्टियों के आदमी शासन में लिये हैं और सरकार में उनकी सलाह और परामर्श को माना जाता है। परन्तु इस देश में जिला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट, या मन्त्री, मण्डल कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट या मंत्री का, किसी का कहीं भी शासन में हस्तक्षेप नहीं है। इस प्रकार से जो निष्पक्ष शासन इस देश और प्रदेश में चल रहा है उसके प्रति विरोधी पक्ष के नेताओं की ओर से इस प्रकार का आक्षेप लगाना न्यायोचित नहीं है। मैं उन तमाम बातों का जवाब तो नहीं दे सकता जो हमारे भाइयों ने यहां पर संशोधन के रूप में रखी हैं किन्तु कुछ बातों पर अवश्य चर्चा करना चाहता हूं।

हमारे एक भाई ने विषमता की दुहाई दी। कहा जाता है कि आज बड़ी भारी विषमता है। ठीक है उनकी दृष्टि से विषमता हो सकती है। लेकिन इस विषमता को दूर करने के दो ही उपाय हैं। एक तो यह कि ऊपर वालों को नीचे ले आयें और नीचे वालों को कुछ ऊपरउठाकर विषमता को दूर किया जाय। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि हम शस्त्र हाथ में लें और बड़े-बड़े पूंजीपति और सम्पन्न लोगों को समाप्त कर उनकी संपत्ति दूसरे लोगों को दे दें, किन्तु गांधी जी के इस देश में जहां अहिंसा के आधार पर स्वराज्य लिया गया है, हथियार के जोर से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। हृदय परिवर्तन करके हम उस विषमता को दूर कर रहे हैं। बड़ी-बड़ी रियासतों में जहां पर विषमता की कोई सीमा नहीं थी उसको समाप्त करके क्या सरकार ने विषमता को दूर नहीं किया है? क्या इस प्रदेश की सरकार ने जमीन्दारी प्रथा को समाप्त करके विषमता को दूर नहीं किया है? क्या बड़े-बड़े मिल मालिकों पर बड़े-बड़े टैक्स लगाकर विषमता को दूर करने का प्रयास नहीं है?

श्रीमन, किसानों पर टैक्स लगाने की बात तथा उनके लगान को कम करने की बात कही गई किन्तु हमारे भाई इतना भूल जाते हैं कि जिस समय इस प्रदेश में २५-३० सेर का अनाज बिकता था उस समय जो लगान किसान देता था वही लगान आज भी देता है। किसानों की सही स्थिति को समझने के लिये उन्हें २० वर्ष पीछे भी देखना होगा जब कि इस देश के गरीब गोबर से अनाज निकालकर खाते थे तथा मृत जानवरों के मांस को खाते थे यदि आप गांव में जांय, तो आज आपको वहां पर १०-२० पक्के मकान खड़े हुये दिखाई देंगे। कुछ में बिजली भी जलती है। उनके रहन-सहन का स्तर ऊंचा हुआ है, उनके साधन बढ़ रहे हैं। श्रीमान्, इन शब्दों के साथ मैं जगदीश शरण जी अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद का प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री लखपतराम शर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से अपने संशोधन को अपना चश्मा भूल आने के कारण आपके समक्ष नहीं रख सका। इसका मुझे दुख है। आपने जो मुझे १० मिनट का समय दिया है उसमें मैं अपने विचार आपके सामने रखने की चेष्टा करूंगा

जहां तक इस चुनाव में भ्रष्ट तरीकों के उपयोग का सम्बन्ध है और माननीय सदस्यों ने उसके ऊपर प्रकाश डाला है। यह सत्य है कि कई जिलों में और कई तहसीलों में सरकारी मशीन का खुलकर प्रयोग हुआ है। सरकारी साधनों का भी खुलकर प्रयोग किया गया है। श्रीमन, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकारी मशीन के और उसके साधनों के अतिरिक्त माननीय मन्त्री महोदय जहां जहां भी जिलों या तहसीलों में चुनाव के जमाने में दौरे पर गये वहां पुलों के उद्घाटन के साथ-साथ और दूसरे सरकारी कामों के साथ-साथ वहां पर जनता के बीच में उसी समय और उसी दिन सार्वजनिक सभा में उनके भाषण हुये। जब सरकारी व्यय पर मन्त्रियों के दौरे हुये तो उसी दिन वहां पर सार्वजनिक सभा में उनका भाषण होना चुनाव के सम्बन्ध में कौन सी न्याय की बात है? इसपर आप स्वयं ही विचार कर सकते हैं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कोई भ्रष्ट तरीका इस्तेमाल हुआ है या नहीं तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं झांसी से आया हूं। वहां पर अगर गौर से देखा जाय तो मैं बतलाऊं एक सदस्य को ९ हजार रुपये तक की सुविधा खर्च करने की है लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाऊं कि वहां पर चुनाव में जो मेरा अनुभव हुआ उससे मैं कह सकता हूं कि लगभग ५० हजार रुपया अन्य तरह से व्यय किया गया। दूसरी तरह मैं आपको यह भी विश्वास दिलाऊं कि मैंने सिर्फ करीब १,५५० रुपया व्यय किया है और इस १,५५० रुपये से चुनाव लड़कर आपके समक्ष उपस्थित हूं। किन्तु इस अभियोग को मिटाने के लिये यदि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ होता तो हम समझ सकते थे। इसके साथ ही एक दूसरे के प्रति चुनाव के जमाने में जो शक्ति का दुरुपयोग, सरकारी मशीन का दुरुपयोग और साधनों का दुरुपयोग किया गया है वह इस विधान सभा के सामने अन्य सज्जनों ने बतलाया है। यदि महामहिम राज्यपाल के भाषण में कोई कानूनी बन्धन इन चीजों पर लगाने का होता या संकेत होता कि इस प्रकार से दुरुपयोग करने वाले सज्जनों को फांसी का दन्ड या अन्य सजा दी जायगी तो हम कहते कि उचित है। भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग करने वाले सज्जनों के लिये यदि कानूनी कार्यवाही की बात होती तो यह राज्यपाल का भाषण अच्छा होता। यदि राज्यपाल महोदय के भाषण में इस बात का संकेत होता कि किसी मनुष्य के विरुद्ध यदि यह सिद्ध हो जायगा कि उसने भ्रष्ट तरीकों का प्रयोग किया है तो उसको न्यायालय में कोई दण्ड दिया जायगा और उसके लिये कानन में संशोधन करने का संकेत होता तो उससे जनता का लाभ होता। अगर यह सुधार कानन में होता तो यह भ्रष्ट तरीके कहीं भी उपयोग में न आते और न इन के लिये कुछ कहना पड़ता।

जहां तक अन्य सुविधाओं का प्रश्न है, हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बड़ी से बड़ी चीजों से लेकर छोटी से छोटी चीज, गोबर तक की उपमा उन्होंने दी है, लेकिन उन मासूम बच्चों और गरीबों की झोपड़ियों का हाल उसमें नहीं है जिनके इकलौते बच्चे दवाइयों के बिना और अन्य सुविधाओं के न होने के कारण मर जाते हैं जो कि हमारे देश की रीढ़ हैं और हमारे देश के भाग्य विधाता बन सकते हैं। वे बच्चे उन गलियों में छटपटा कर मर जाते हैं लेकिन उनको कोई सुविधा नहीं है। श्रीमन, आपने भी लखनऊ में चौराहों पर देखा होगा कि दस-दस साल के बच्चे एक-एक मन का वजन लिये हुये मजदरी करते रहते हैं। यह कैसी मजदूरी है? वह सड़कों पर घूम-घूम कर मजदूरी करेंगे इसलिये कि उनके परिवारों को पेट भरने के लिये कुछ चाहिये। मैंने चुनाव के जमाने में देखा कि एक आदमी का एक मासूम बच्चा जो दस साल का था जिसके एक बालिश्त का जख्म था, मजदूरी कर रहा था। मैंने उसके इलाज न किये जाने के बारे में जब पूछा तो उसके बाप ने कहा कि इलाज के लिये डेढ़ या दो सौ रुपया चाहिये जो मैं कर नहीं सकता। कौन ऐसा बदनसीब मां और बाप होगा जो अपने अकेले बच्चे का इलाज न कर सके, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि गरीबी, भुखमरी और बेकारी बढ़ती जा चली रही है। अमीर-अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब और गरीब बनते चले जा रहे हैं। अगर गरीबों का हाल अच्छी तरह से देखा जाय तो पता चलेगा कि ऐसे बहुत से परिवार हैं कि जिनको शाम को भोजन नहीं मिलता। श्रीमन, न्याय की दृष्टि से देखा जाय तो ५ विधायकों पर कांग्रेस मन्त्रिमण्डल के एक मन्त्री का नाम आ जाता है। सरकार ने जिलाधीशों की नियुक्ति जिलों में शासन का काम चलाने के लिये कर रखी है। खबसूरती तो इसमें होती कि यह मन्त्रिगण ५२ जिलों के जिलाधीशों की तरह बना दिये जाते। शायद सरकार में इससे ज्यादा खुशहाली उस तरफ दिखायी पड़ सकती थी।

राज्यपाल महोदय के भाषण में बांटों की चर्चा है। आप सोचें कि गांवों, शहरों, तहसीलों आदि में कितने ऐसे लोग हैं कि जो इंग्लैंड की इस तौल पद्धति को ठीक ढंग से समझ सकें और इनके नाम क्विंटल और किलोग्राल आदि को समझ सकें? यदि उनका नाम नया सेर आदि रख दिया जाता तो अच्छा होता। लेकिन अगर बहुमत और सत्ता के नाम पर गरीब और भूखी नंगी जनता के साथ किलोलें करना है तो शौक करिये, चूंकि बहुमत वाले दल को यह अधिकार है कि वह अपनी शक्ति के बल पर कुछ भी करे।

[श्री लखपतराम शर्मा]

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि यह इंसाफ का ही परिचय है कि विरोधी दल के इतने सदस्य यहां आये हैं श्रीमन्, मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर निष्पक्ष रूप से चुनाव देश और प्रदेश में करा दिये जायं और जैसा कि मैंने निवेदन किया, कानून में कड़ाई कर दी जाय कि भ्रष्ट तरीकों के लिये बजाय कालेपानी के शिकारी कुत्तों से चिथवा दिया जायगा तो आगामी चुनाव में आप देखेंगे कि माननीय सदस्य इस प्रकार का चैलेंज देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। उस समय ४५ मंत्रियों का मंत्रिमंडल बना पाना आप के लिये संभव न होगा और सारी की सारी सीटें विरोधियों के कब्जे में आ जायंगी। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सब कुछ करने की बात कही जाती है लेकिन किया कुछ नहीं जाता। मैं विश्वास दिलाता हूं और चुनौती देता हूं कि अगर झांसी में इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाय तो भ्रष्ट तरीके आपको मालूम होंगे कि किस प्रकार ५० हजार रुपया खर्च किया गया और मेरी ओर से करीब साढ़े पन्द्रह सौ रुपये से ज्यादा खर्च आये हों तो मैं कह सकता हूं कि जो सबसे बड़ा दण्ड दुनिया का हो वह मुझे दिया जाय। लेकिन होता यह है कि सरकारी काम के लिये निकले हुए हमारे मंत्री महोदय चुनाव के जमाने में बड़े-बड़े भाषण करते हैं

(लाल बत्ती होने पर)

समय कम है, लेकिन मैं आखिरी शब्द यह कहूंगा कि महामान्य राज्यपाल महोदय के भाषण में जो धन्यवाद के लिए प्रस्ताव आया अगर उसमें मेरा यह संशोधन ले लें कि वर्तमान हुकूमत से सूबे के अन्दर सिर्फ दो सुधार हुए हैं और वह बहुत बड़े हैं तो मुझे इसके स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। पहला सुधार इस बात का हुआ, पहली तरक्की यह हुई कि भाषण देने में कोई कमी नहीं है। दूसरा सुधार यह है कि उद्घाटन में कमी नहीं है। एक तरफ उद्घाटन भाषण और दूसरी तरफ जनता भूखों मर रही है। अगर ये सुधार जो किये गये हैं उनके लिए भी धन्यवाद का संशोधन मेरी तरफ से कर दिया जाय तो कोई चीज नहीं रह जाती जिसके लिये धन्यवाद दिया जाय।

मुझे इस चीज का दुःख है कि यहां आने के बाद ईश्वर की शपथ दिलायी जाती है, उसके बाद उस क्षण से कोई सदस्य माना जाता है। आज यहां विलायत की कापी की गयी और अपोजीशन को विरोधी के नाम से पुकारा जाता है। श्रीमन्, जो भूले हुए को रास्ते पर लाये, अन्धकार में प्रकाश दिखाये उसको विरोधी कहना कहां तक उचित है? ईश्वर की शपथ के बाद हम लोगों का कर्तव्य हो जाता है कि भूले हुओं को रास्ता बतलाएं, भटके हुओं को मार्ग दें और अन्धकार में प्रकाश पहुंचाएं और सही बात कहने में न चूकें इस तरह से हम को विरोधी न कह कर हितैषी आज से माना जाय, क्योंकि सबसे बड़े हितैषी आज के समय में हम लोग हैं, हम विरोधी नहीं हैं।

श्री नवरंगलाल (जिला बरेली)— माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से मैं महामान्य राज्यपाल के प्रति जो धन्यवाद का प्रस्ताव है उसका अनुमोदन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके पहले कि मैं अपने विचार प्रकट करूं, मुझे विरोधी दल के नेता के कुछ शब्द सुन कर शंका हुई। उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने निष्पक्षता से काम नहीं किया और बहुत जगहों पर पक्षपात हुआ है। सरकारी कर्मचारी इस सदन में नहीं हैं जो इन आरोपों का उत्तर दे सकें। कदाचित् यह भाषण यह शंका पैदा कर सकता है कि हमारे देश में जो चुनाव हुआ है, जिसकी प्रशंसा विदेशियों ने भी की है देशवासियों ने भी की तथा नेताओं ने भी की है, तो यह चुनाव ठीक नहीं हुआ है। इससे न केवल जो सरकारी दल है उसकी प्रतिष्ठा की हानि है, बल्कि इससे सारे देश पर धब्बा लगता है और लांछन आता है। मैं यह नहीं कहता कि माननीय विरोधी दल के नेता ने अपने दल की ओर से जानबूझ कर ऐसा कहा है, लेकिन अनजाने में भी एक धब्बा हमारे देश पर लग सकता है, इस उठाई हुई आपत्ति का हमारे पास और सदन के हर एक सदस्य के पास, इसका इलाज है और उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। वह इलाज है कि अदालतें खुली हुई हैं। यदि कहीं पर पक्षपात हुआ है तो क्यों न अदालत का दरवाजा खटखटाया जाय? माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे माननीय सदस्यों

को अदालतों पर भी विश्वास नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो क्यों नहीं अदालतों का दरवाजा खटखटाया जाय और वहां से निर्णय लिया जाय। माननीय सदस्य वहां जायें ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाय। यहां पर जो चाहते हैं वह कह दिया जाता है, किन्तु मुश्किल यह है कि कौन सही है कौन गलत है, इस बात का निर्णय कैसे हो? इसका निर्णय तो केवल अदालतों में जाने से ही हो सकता है, वे ही इसका फैसला कर सकती हैं। जब एक पक्ष मौजूद नहीं है, सरकारी कर्मचारी यहां मौजूद नहीं हैं, और दरवाजा खुला हुआ है जहां से आप निर्णय ले सकते हैं, तो इन परिस्थितियों में कोई आरोप उन पर लगा देना, मेरे खयाल से ठीक नहीं है। मैं इस आरोप पर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि विरोधी दल के नेता की जो पोजीशन है, जो जिम्मेदारी है, यह लांछन उनकी शान के खिलाफ है, उस हिसाब से इतना ही संकेत काफी है।

अधिष्ठाता जी, अब जहां तक कि महामान्य राज्यपाल जी के सम्बोधन का सवाल है और उसमें जो सारी कल्पनायें की गयी हैं, वे अच्छी हैं। यह सही है कि कोई भी सरकार हो, वह उसे उतनी ही अच्छी तरह पूरी नहीं कर सकती क्योंकि कुछ सीमायें होती हैं जिनके भीतर हर सरकार को काम करना पड़ता है। प्रजातंत्रीय सरकार के सामने दो लिमीटेशन्स होती हैं, मुख्यतया—एक तो आर्थिक है। किसी व्यवस्था को चलाने के लिये रुपये की जरूरत पड़ती है और उसका बोझ किसान पर पड़ता है, टैक्स लगाने पड़ते हैं। तो अगर सरकार एक साथ शीघ्र ही यह व्यवस्था कर दे कि सारी योजनाओं को चला दे तो फिर रुपया कहां से आयेगा? अगर टैक्स लगाये जायेंगे तो अधिष्ठाता जी, लोग यह कहेंगे कि सरकार जबरदस्ती रुपया वसूल कर रही है। तो हर सरकार को मजबूर होना पड़ता है और यह देखना पड़ता है कि उसकी सामर्थ्य कितनी है। जितनी चादर होती है उसको उसी के अनुसार पैर भी फैलाना पड़ता है और उसके अनुसार ही चलना पड़ता है। हमारा देश अभी सम्पन्न नहीं है और ऐसे बहुत से काम नहीं हो पाते, ऐसी बहुत सी योजनायें नहीं चल पातीं जो जरूरी होती हैं।

एक दूसरी लिमीटेशन है और वह यह है कि कोई भी कानून हम कामयाब नहीं बना सकते, जब तक कि हम प्रजा के खयालात को अपनी तरफ न मिला लें। हमें प्रजा को तैयार करना पड़ेगा हर कानून को कामयाब बनाने के लिये। बहुत से ऐसे कानून हैं जो बड़े लाभदायक हैं परन्तु सरकार उनको बनाने से डरती है इस कारण कि जब तक हम प्रजा को उस कानून का पालन करने के लिये तैयार नहीं कर लेते, वह सफल नहीं हो सकता। अगर हम कानून को बना कर जबरदस्ती लागू करने की कोशिश करें तो उससे क्रान्ति हो जायेगी, देश में तानाशाही आ जायेगी। तो हर बुद्धिमान सरकार को इन सब लिमिटेशन्स के अन्दर ही कार्य करना पड़ता है और अगर इन चीजों को दृष्टि में रख कर कोई सरकार कार्य नहीं करती तो फिर तानाशाही हो सकती है देश में उपद्रव हो सकते हैं। सरकार का ही नहीं, हमारा आज का उद्देश्य है समाजवादी ढांचा बनाना, अगर हम कोई जबरदस्ती करेंगे तो उसका नतीजा खराब होगा। इसलिये इन दो लिमीटेशन्स को ध्यान में रखते हुये सरकार ने जो योजनायें उपस्थित की हैं उन पर आपद ध्यान पूर्वक विचार करें तब पता चलेगा कि सरकार ने लिमिटेशन्स के होते हुये भी, जो कुछ किया है, वह बहुत किया है।

मैं केवल तीन संकेत करना चाहता हूं और उनके द्वारा यह साबित करना चाहता हूं कि सरकार का नकशा और विचार क्या है। मेरा पहला संकेत पाइलट प्रोजेक्ट्स की तरफ है। पाइलट प्रोजेक्ट सहकारी खेती का श्री गणेश है। राज्यपाल महोदय ने अपने सम्भाषण में स्पष्ट कर दिया है कि हम यह प्रोजेक्ट, सहकारी खेती वालन्टरी बेसिस पर करेंगे, इस चीज को नहीं भूलना चाहिये। अगर हम उनमें कामयाब हुये, यदि उपज बढ़ी, सन्तोषजनक रिजल्ट्स मिले तो पाइलट प्रोजेक्ट्स एक तरह के उदाहरण होंगे और हर गांव में स्वयं ही सहकारी खेती हो जायगी। इसलिये अधिष्ठाता जी, माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि पाइलट प्रोजेक्ट का जो संकेत हमें सम्भाषण में मिला है वह छोटाई और बड़ाई को मिटाने के लिये और उपज को बढ़ाने के लिये है।

[श्री नवरंगलाल]

एक दूसरा संकेत भी है जिसका माननीय सदस्यों को स्वागत करना चाहिये वह यह है कि जहां पर उनके सम्भाषण में सहकारी खेती का जिक्र है वहां पर एक बात और है, वह शब्द बड़े सुन्दर हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिये कि जो कर्जा दिया जायगा, लाखों और करोड़ों में वह पूंजी के आधार पर नहीं दिया जायगा बल्कि कैपेसिटी और नीड के आधार पर दिया जायगा। कम्युनिस्ट दल के लोग इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि इस नीति को अपना कर सरकार ने इस बात का परिचय दिया है कि वह समाजवादी समाज के ढांचे की ओर अग्रसर हो रही है। हां, कुछ लिमिटेशन्स जरूर हैं जिनका कि मैंने अभी जिक्र किया।

इन दो संकेतों के बाद एक तीसरा संकेत भी है जिसको मैं ज्यादा महत्वपूर्ण समझता हूं और वह है भावात्मक एकता, नेशनल इन्टिग्रेशन की ओर। इसके लिये केवल एक रास्ता है जिस पर सारा देश एकमत है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिये। कितने ही दिनों से यह पुकार उठ रही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, उसमें त्रुटियां हैं, उसमें सुधार होना चाहिये बल्कि कभी का सुधार हो जाना चाहिये था। भाषण में इस बात की ओर संकेत है कि हायर सेकेंडरी और इन्टरमीडिएट एजूकेशन में सुधार हो। माननीय सदस्यों को अपने उद्गार प्रकट करने का पूरा मौका मिलेगा। हम स्वागत करते हैं कि जितने भी माननीय सदस्य हैं यहां सभी मिल कर, जितनी खामियां शिक्षा प्रणाली में हैं उनको काट काट कर निकाल दें और उसमें सुधार करें जिससे देश के बच्चों और नौजवानों में भावात्मक एकता पैदा हो सके। इस तीसरे संकेत का मैं स्वागत करता हूं।

सम्बोधन में एक अभाव है जिसको मैं रेस्पेक्टफुली सबमिट करना चाहता हूं और जिसका राज्यपाल महोदय के सम्भाषण में जिक्र नहीं किया गया है। वह अभाव है भ्रष्टाचार के निरोध के सम्बन्ध में। मुझे खेद है कि इस सम्भाषण में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिये कदम उठाने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभाव है। इसके अभाव में सरकार की सारी योजनायें असफल हो सकती हैं। इस कारण मैं समझता हूं कि आज अगर यह अभाव है तो वह शीघ्र पूरा हो जायगा और भ्रष्टाचार को निरोध करने के लिये तथा भ्रष्टाचार विरोधी समितियों को तरक्की देने के लिये सरकार अवश्य ध्यान देगी। जब तक सरकार उस ओर ध्यान नहीं देगी तब तक हमारी सारी योजनायें गड़बड़ झाले में पड़ जायेंगी।

मैं सदन का ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, केवल आपके द्वारा माननीय सदस्यों से फिर से अपील करता हूं कि यह बजट का डिस्कशन नहीं है यह केवल एक नक्शा है जो सरकार ने राज्यपाल महोदय के द्वारा हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमें उस नक्शे को समझना है, सरकार इस बात का अवश्य खयाल रखेगी कि माननीय सदस्यों की भावनाओं की इज्जत की जाय और उनको अपनी भावनाओं के अन्तर्गत लाये लेकिन फिर भी अगर कोई माननीय सदस्य इससे खुश नहीं होता है तो मजबूरी है—

"साकिया गिरद सरे नाज तु गरदम कि अगर,
विशकनद जाम बदस्ते तु ज मी ना रंजी।"

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण पर विभिन्न प्रकार की चर्चा और वादविवाद इस सदन में हो रहा है। अभी से पूर्व हमारे माननीय सदस्य 'हां पक्ष' की बात कर रहे थे और धन्यवाद का प्रस्ताव पास किया जा रहा था। धन्यवाद के प्रस्ताव की यह परम्परा रही है कि बहुमत वाले उसको पास कर ही लेते हैं लेकिन विरोधी दल उसमें संशोधन अवश्य लाता है और वे संशोधन बाज दफा बड़े बेशकीमती होते हैं। इस प्रकार के बेशकीमती संशोधनों का आदर भी होना चाहिये और उनसे कुछ सबक सीखना चाहिये। मैं जानता हूं कि विरोधीदल जिसके लिये 'हां' करवाने की कोशिश करेगा उसी के लिये 'ना' कर दी जायगी। यह हमेशा से होता है कि जब किसी को कोई बात मनवाई जाती है और वह मानना नहीं चाहता तो वह उसके लिये ना करता है।

इस प्रकार से जो बातें अच्छी भी होती हैं उनको मानने के लिये हमारे सामने जो विरोधी बैठे हैं वे तैयार नहीं होते।

अभी हमारे पूर्व वक्ता ने जो बातें कहीं, उनमें से एक दो बात का मैं उत्तर भी देना चाहता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में एक बात कही कि जिस शान्ति और निष्पक्षता के साथ यह निर्वाचन समाप्त हुए हैं उससे यह प्रकट होता है कि जनतांत्रिक सिद्धान्तों में हमारा अडिग विश्वास है। इसके साथ ही साथ अगर वे यह भी बता देते कि जनतांत्रिक सिद्धान्तों में क्या-क्या बातें आती हैं, तो अधिक अच्छा होता। क्या उसमें चुनाव की निष्पक्षता भी आती है या नहीं? मैं यह मानता हूं कि देश के सब लोगों का जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास है लेकिन इस सरकार पर विश्वास नहीं है क्योंकि सरकार स्वयं इस प्रकार से चुनाव कराती है जिससे जनता का जो उसमें अडिग विश्वास है, वह कम होता है। पहले सरकार को स्वयं ही जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करना चाहिये। अच्छा हो, अगर सरकार हर चुनाव से एक या दो महीने पहले त्याग-पत्र दे दे और फिर चुनाव कराये तो फिर पता चल जाय कि किस प्रकार से निष्पक्ष चुनाव कराया जाता है और किस प्रकार से सरकार बनाने का उनका स्वप्न पूरा होता है। मुश्किल तो यह है कि सब प्रकार से अपनी सत्ता व अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके सत्तारूढ़ दल चुनाव करवाता है और वास्तव में इस तरीके से चुनाव को जीतता है। इसके लिये उसी प्रकार की कहावत लागू होती है जैसे "गांव में जो जबरदस्त होता है वही दखल ले लिया करता है"। अगर वहां कानूनी कोई जोर नहीं होता तो लोभ और लालच के बल पर चुनाव जीत लिया जाता है। मैं इस बात को फिर दोहराता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में हमारा तो विश्वास है लेकिन हमारे सरकारी दल का ही जनतांत्रिक पद्धति में विश्वास नहीं है और इसीलिये चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती जा सकती है।

दूसरी बात जो यहां बार-बार कही गयी वह यह कि चूंकि सरकारी कर्मचारी यहां मौजूद नहीं हैं इसलिये उनके पक्ष को प्रस्तुत करने का यहां कोई साधन नहीं है। लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि जितने यहां सरकारी पक्ष के लोग बैठे हैं वे सब के सब उनका पक्ष प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता में कोई शक करता हूं। मैं आपके द्वारा बतला देना चाहता हूं और बहुत जोर देकर यह कहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता में हमें रत्ती भर भी सन्देह नहीं है लेकिन उनको लोभ और लालच दिला कर सरकार द्वारा डिगाया व पथभ्रष्ट किया जाता है। इस सम्बन्ध में आपको मैं बतलाऊं कि आजकल जो राज्य सभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें एक-एक आदमी को दो-दो चार चार हजार रुपये का लालच देकर उनको डिगाने की कोशिश की जा रही है, फिर वे डिगेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ऐसी बहुत कम आत्मायें हैं जो नहीं डिगेंगी। आज जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को डिगाने की कोशिश की जाती है उसके दो चार उदाहरण मैं समय आने पर दे सकता हूं। जैसे एक एस० डी० ओ० को ए० डी० एम० बनाने का एक उदाहरण भी मेरे सामने है। उनके रहते हुए एक विशिष्ट व्यक्ति जीत गये इसलिये उनको ए० डी० एम० बना दिया गया है। आवश्यकता होने पर इस प्रकार की एक सूची मैं बता सकता हूं। इस सम्बन्ध में एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह यह है कि अब जब कि चुनाव समाप्त हो गये हैं तो बहुत सी जगहों पर प्रमोशन्स होंगे। मेरी प्रार्थना है कि इस बात को ध्यान में रखा जाय कि किस प्रकार से वे प्रमोशंस किये जाते हैं और इस तरह से आपको पता चल जायगा कि चुनाव में किस प्रकार से निष्पक्षता बरती गयी है। सरकारी कर्मचारियों के प्रति मेरी धारणा बिलकुल सही है लेकिन सरकार द्वारा उनको तरह तरह के प्रलोभन देकर उन्हें पथ-भ्रष्ट किया जाता है।

इसके बाद आगे महामहिम राज्यपाल ने अपने सम्बोधन में कहा है—"गत वर्ष ऐसे ही अवसर पर मैंने उनमें प्रशासक तथा अथक कार्यकर्ता के गुण होने का उल्लेख किया था। मुझे खुशी है कि उनसे जो आशा की गयी थी उसे उन्होंने पूरा ही नहीं किया, बल्कि वे इस राज्य को सफलतापूर्वक प्रगति के पथ पर ले जाने में भी समर्थ हुए हैं। मुझे विश्वास है कि समाजवादी

[श्री हरीशकुमार गंगवार]

ढांचे का समाज बनाने का मेरी सरकार का जो घोषित लक्ष्य है उसके लिये वे और भी उत्साह के साथ प्रयत्न करते रहेंगे।" इस तरह से अगर इसको देखा जाय तो वास्तव में इसमें हमारी सरकार की पूरी तारीफ की गयी है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वास्तव में इस बीच में इस उत्तर प्रदेश की कुछ प्रगति हुई है। जैसा कि आप जानते हैं कागज पर योजनायें बना कर यहां की प्रगति दिखला दी जाती है और एक सुख स्वप्न दिखलाया जाता है। जो बड़ी-बड़ी नहरें बन रही हैं, जो बड़े-बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है, इसके साथ ही साथ जो बड़ी-बड़ी बिजली योजनायें चल रही हैं इनसे सूबे का निर्माण तो होगा लेकिन साथ ही साथ आप इसको भी न भुलावें कि जिस प्रकार का भ्रष्टाचार इस उत्तर प्रदेश में पनप रहा है वह वास्तव में हमारे लिये लज्जा की बात है, इस प्रदेश के लिये लज्जा की बात है। एक भी ऐसी पुलिया का निर्माण नहीं होता, एक भी ऐसे पुल का निर्माण नहीं होता, एक भी ऐसे कारखाने का निर्माण नहीं होता जिसमें भ्रष्टाचार न हो।

आज अदालतों में जिस तरह का भ्रष्टाचार है जो वास्तव में हमारे राज्य का एक प्रमुख अंग है, इसको सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इन अदालतों में भ्रष्टाचार के जरिये हम अपने प्रदेश को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ा रहे हैं या उसे पीछे की ओर ले जा रहे हैं? इसलिये आप सब से मेरा यह नम्र निवेदन है कि इस बात को देखा जाय कि यह प्रगति क्या है और उसमें भ्रष्टाचार पक्षपात और बेकारी आदि बढ़ी हैं या घटी हैं, इसी से पता लगेगा कि शासन कहां तक कुशल साबित हुआ है।

इसके बाद आगे सम्बोधन में उल्लेख है कि पर्याप्त प्रशासकीय कर्मचारियों की व्यवस्था करने, अड़चनें दूर करने तथा अपव्यय रोकने के लिये भी संगठित प्रयास किया गया है। यह समझ में नहीं आया कि अपव्यय रोकने के लिये कौनसा प्रयास किया गया है। इसके तथ्य पेश नहीं किये गये हैं केवल गोलमोल इशारा ही किया गया है। वास्तव में अपव्यय रोकने के लिये कोई कार्य नहीं किया गया है बल्कि भारी मंत्रिमंडल का निर्माण करके और अपव्यय को बढ़ाया गया है। इस तरह से यह भी कोई अच्छी और सही बात नहीं कही गई है।

इसके अलावा एक और हमें बड़ा भारी ढोंग दिखाया गया है "कि विशेषतया साधन सहकारी समितियों के द्वारा शनैः शनैः, किन्तु दृढ़ता के साथ, गांवों की अर्थव्यवस्था में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं।" मैं भी अपने यहां की एक साधन सहकारी समिति का सरपंच रहा हूं और मुझे अनुभव है कि इन साधन सहकारी समितियों में क्या होता है। यह भी कहा गया है कि हम यह भी व्यवस्था कर रहे हैं कि हम इनको ऋण उत्पादन क्षमता पर देंगे लेकिन रिकार्ड्स से जाहिर है कि जिनको ऋण मिलना चाहिये उनको नहीं मिलता और उनको मिलता है जिनको उसकी जरूरत नहीं होती और वह लोग इसे लेकर १२ और १८ प्रतिशत पर दूसरों को देते हैं। अगर वास्तव में आप इन समितियों के वर्किंग को देखें तो स्वयं आपकी समझ में आ जायगा कि ये समितियां कहां तक जनता का कल्याण कर सकती हैं या वे सरकार का ही कल्याण करती हैं। (लाल बत्ती जलने पर) मेरा समय समाप्त हो रहा है, एक बात और कह कर मैं बैठ जाऊंगा....

श्री अधिष्ठाता—अभी आप का एक मिनट बाकी है।

श्री हरीशकुमार गंगवार—इसके अलावा इस सम्बोधन में गन्ने और शकर के उत्पादन बढ़ाने की बात बड़ी प्रशंसा के साथ कही गई है। गन्ने से मेरा भी कुछ सम्बन्ध रहा है और मैं जानता हूं कि ५-७ वर्ष पहले जब गन्ना २ रुपया मन था तो शकर के दाम साढ़े ९ आने सेर थे लेकिन बाद में गन्ने के दाम जब १ रुपया १० आना मन हुआ तो चीनी के दाम १ रुपया और १७ आना सेर हो गये। यह क्या तमाशा है, शकर भरी पड़ी है, उसकी बिक्री का कोई साधन नहीं है, लेकिन उसके दाम इतने अधिक हैं।

यह भी कहा गया है कि आगे चल कर हम सहकारी समितियों के माध्यम से छोटी सिंचाई योजनाओं का कार्य भी करना चाहते हैं। परन्तु यह सहकारी समितियां हमारे यहां इस विषय में निल हैं। गन्ने की समितियां तकाबी के रूप में ऋण देती हैं लेकिन वह पहले साल में ही जहां पहली गाड़ी गन्ने की गिरी उसको वापस ले लेती हैं और दूसरे साल का इन्तजार नहीं करतीं। तकाबी ७५ रुपये प्रतिशत और ८० रुपये होती है, बड़े नलकूप की ज्यादा होती है लेकिन गन्ना समितियां किसी हालत में अगले साल के लिये ऋण की वसूली पोस्पोन नहीं करतीं। इस प्रकार किस तरह से सरकार का भला हो सकता है। इन शब्दों के साथ में माननीय यादवेन्द्रदत्त जी के संशोधन का समर्थन करता हूं।

न्याय मंत्री के सभा-सचिव (श्री चन्द्रसिंह)—अधिष्ठाता महोदय, विरोधी दल के नेता और अन्य माननीय सदस्यों के भाषण जो माननीय राज्यपाल के सम्बोधन पर सदन में हुये हैं, मैंने बड़े ध्यानपूर्वक उनको सुना। मैंने उन प्रश्नों को साइन्टिफिकली और एनेलेटिकली देखने की कोशिश की। इसके मुताल्लिक जो विशेष बात स्पष्ट दिखाई देती है वह यह है...

श्री विश्वनाथ प्रसाद (जिला वाराणसी)—मेरी प्रार्थना है कि अंग्रेजी के शब्दों का अर्थ हमारी समझ में नहीं आया।

श्री चन्द्रसिंह—जितने भी संशोधन इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में पेश किये हैं वे एक दूसरे के विरुद्ध हैं। एक तरफ बताया जाता है कि सरकार ने फलां-फलां कार्य में न कोई दिलचस्पी ली है न कोई उनका संकेत राज्यपाल ने किया है। मैं समझता हूं जब तक सरकार के पास साधन किसी कार्य को करने के लिये नहीं हैं, जब तक उन साधनों को देखा नहीं जाता तब तक उस कार्य की मांग करना जिसके लिये साधन बताने की कोशिश नहीं की गयी, कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। हम वही कार्य कर सकते हैं जिसके लिये सरकार के पास साधन उपलब्ध हों।

उसके साथ-साथ यह भी बताया जाता है चुनाव का सम्पादन निष्पक्षता से नहीं किया गया। एक बात स्पष्ट है कि इस चुनाव में मंत्री, उप-मंत्री तथा अन्य लोग जो सरकार में थे, वे हारे हैं, यही इस बात का पूरा सबूत है कि सरकार की ओर से कोई भी जोर सरकारी अधिकारियों पर जो चुनाव में लगे हुए थे नहीं डाला गया। अगर यह बात सही होती तो कोई भी मंत्री इस चुनाव में हार नहीं सकता था।

इसके अलावा विरोधी दल के नेता ने जो यह कहा कि सरकार की ओर से बड़े-बड़े अत्याचार और जुल्म किये गये और नाजायज दबाव सरकारी अधिकारियों पर डाले गये, यह बात सही नहीं है। मैं उनके विचारों से परिचित हूं, वह एक सींजन्ड पोलीटीशियन हैं, वह साथ में यह भी बता देते किफलां रिटर्निंग अफसर या कलेक्टर के यहां उन्होंने नालिश दाखिल की कि फलां फलां उम्मीदवार ने कलेक्टर के ऊपर पुलिस कप्तान के ऊपर या दूसरे अधिकारियों पर नाजयज दबाव दिया है। चूंकि इस तरह की कोई शिकायत का जिक्र उन्होंने नहीं किया, यही इस बात का सबूत है कि कोई भी इस प्रकार की बात उनकी नजर से नहीं गुजरी। और अगर गुजरती तो वह उसमें हरगिज कमी न रखते। यह मेरा विश्वास है कि अगर ऐसा हुआ होता तो व जरूर अथारिटीज के ध्यान में इस बात को लाते। यही नहीं, यह भी मेरी बात को पुष्ट करता है कि जनसंघ की ताकत पहले से तिगुनी हुई है। इस चुनाव में जब कि उसकी फिलासफी, ऐक्टीविटीज, उसका रवैया फासिस्ट तरीके का था। मैंने अपने यहां उनके प्रचार को देखा है, उन रेकार्ड्स को सुना है जो जनता में सुनाये जाते थे, वे सब फासिस्ट नीति का समर्थन करते हैं, जनता को आतंकित करते हैं। मैं समझता हूं उसमें कोई कमी जनसंघ की ओर से नहीं रही है। लेकिन फिर भी जनसंघ बड़ी तादाद में आया है इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। परन्तु उनकी ओर से जो यह शिकायत की जाती है उसमें कोई तथ्य नहीं है क्योंकि मैंने उन रेकार्ड्स को सुना है जो संगठन के बजाय जनता में फूट डालने वाले रहे हैं।

[श्री चन्द्रसिंह]

इसके साथ यह भी बता दूं कि जिस फिलासफी पर चुनाव लड़ा गया वह संगठन के बजाय जनता में फूट डालता है। अलग-अलग दल करके जो चुनाव जीतना चाहते हैं वह जनमत पर अधिक विश्वास नहीं करते हैं।, क्योंकि जो जनता का प्रतिनिधि बनने का दावा करता है उसको यदि सारी जनता नहीं तो मेजारिटी वोट से जीत कर तो आता ही है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि अधिकतर लोग अपनी दलबन्दी और कौम का वोट लेकर फायदा उठाते रहे हैं। सारे देश में इस तरह का खुला प्रचार हुआ है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और चारों ओर इन बातों को मोबिलाइज करके इस ऐलेक्शन में काम में लाया गया, यह निर्विवाद है और अगर आज कोई इससे इन्कार करता है तो वह गलत करता है।

इसके अलावा सरकार जिन नीतियों के द्वारा समाजवाद को इस मुल्क में लाना चाहती है और इस प्रदेश की जनता का स्तर ऊंचा उठाना चाहती है उनके ऊपर कोई भी विचार माननीय सदस्यों ने इस सदन में व्यक्त नहीं किया है। इसके माने में यह समझता हूं कि किसी को कोई भी उज्रदारी उन नीतियों के बारे में नहीं है। अगर उन्हें उज्रदारी होती तो हमारे विरोधी दल के नेता और माननीय सदस्यों के भाषण में इसकी झलक दिखाई दी होती। परतु नीतियों की आलोचना न करते हुये हमारे सामने एक कैटलाग आफ ग्रीवांसेज पेश किया गया है अमेंडमेन्ट के रूप में और वह बातें बजट के भाषण के समय कहने का मौका था लेकिन यह सामयिक बात नहीं है कि ग्रीवासेंज के कटलाग को महामान्य राज्यपाल के भाषण के समय या उनके संबोधन पर टीका-टिप्पणी के समय रखा जाय। सरकार की नीतियां किस दिशा की ओर जा रही है उनको किस प्रकार से तब्दील किया जाना चाहिये, इनके बारे में एक भी शब्द इस सदन में नहीं कहा गया है।

यहां पर मैंने कई माननीय सदस्यों के भाषणों को सुना, उनके विचारों को सुनने का मौका मिला, उनके रोष और उनके जोश खरोश को मैंने समझने की कोशिश की। मैं समझता हूं कि सरकार उनसे जो फायदा उठा सकती है, जरूर उठावेगी और जो कमियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है वह ठीक तो है लेकिन उन्हें बजट के समय और अन्य रोज, हर रोज कहने का मौका था लेकिन इस समय वह असामयिक हैं।

दूसरी बात माननीय शर्मा जी ने यह शिकायत की और मैं समझता हूं कि तर्क की दृष्टिकोण से वह सही नजरिया नहीं हो सकता। यह तर्क दिया जाता है कि उन्होंने अपने चुनाव में केवल १,५५० रुपया खर्च किया जब कि विरोधी पक्ष की ओर से ५० हजार रुपया खर्च किया गया।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं एक जानकारी के लिये प्रश्न करना चाहता हूं कि सदन की मर्यादा की दृष्टि से और डिबेट के लेविल की दृष्टि से क्या आप यह उचित समझते हैं कि व्यक्तिगत माननीय सदस्यों का नाम लेकर हम लोग आपस में आरोप और प्रत्यारोप करें ?

श्री अधिष्ठाता—दुबे जी, मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं कि व्यक्तिगत दोषारोपण कतई न किये जायं, लेकिन अफसोस यह है कि मैं यह भी देख रहा हूं कि व्यक्तिगत आरोप मेरा मतलब है विरोधी दल की तरफ से भी किये जा रहे हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त—मैं एक निवेदन कर दूं। यह तो आपके ऊपर है कि जब कोई भी माननीय सदस्य इस प्रकार व्यक्तिगत आक्षेप करें या व्यक्तिगत सदस्यों के नाम लेकर कहना आरम्भ करे तो आप उसको रोकें, जैसी कि बाकी सदनों में भी पद्धति है कि जिस क्षेत्र से माननीय सदस्य चुन कर आते हैं उस क्षेत्र का नाम लिया जाता है। अभी हमारे माननीय सदस्य जैसा कह रहे थे वैसा न कह कर यह कहते कि माननीय सदस्य झांसी ने ऐसा कहा तो ज्यादा सुन्दर होता। मैं यह नहीं कहता कि उनको अधिकार नहीं है। उनको कहने का अधिकार है लेकिन आपसे इतना निवेदन है कि जो बातें हैं वे थोड़ी सुन्दरता के साथ हों, चाहे इधर हों या उधर से हों तो ज्यादा अच्छा है।

श्री अधिष्ठाता—मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं। अभी जब पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी बोल रहे थे तो एक सदस्य ने प्रश्न किया था कि पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी किस भाषा में बोल रहे हैं। जहां तक मैं समझता हूं वह साधारण बोलचाल की हिन्दी है। जिस भाषा में वह बोल रहे हैं अगर उस भाषा में सभी लोग बोलें तो सब लोग उसे ज्यादा समझ सकेंगे। यही मेरा उत्तर है।

श्री लखपतराम शर्मा—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जवाब दिया गया है या माननीय सदस्य की तरफ से या पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी की हैसियत से जवाब दिया गया है ?

श्री अधिष्ठाता—बहैसियत स्पीकर के उन्होंने जवाब दिया है उसे आपने सुन लिया है।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा।

श्री नेकराम शर्मा—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। हमारे सभासचिव अभी भाषण दे रहे थे उसे वे समाप्त नहीं कर पाये थे। उनका भाषण अधूरा रह गया है।

श्री अधिष्ठाता—उनका समय समाप्त हो चुका है।

श्री सहदेव सिंह—श्रीमन्, महामान्य राज्यपाल के संबोधन को आद्योपान्त पढ़ने के बाद मुझे प्राचीन भारत के इतिहास लेखकों की याद आ गयी जिन्होंने गुप्त पीरियड की बड़ी प्रशंसा की है और उसे स्वर्ण युग कहा है। हम भी पिछले दो वर्ष से गुप्त काल में रह रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार आर्थिक पतन अपने राज्य में हुआ है, समाजिक विघटन अपने राज्य में हुआ है और जिस प्रकार सत्ता का केन्द्रीयकरण तथा बेकारी इस राज्य में बड़ी है उस सबको देखते हुए मैं यह आवश्यक समझता हूं कि राज्यपाल महोदय को अपने संबोधन में इन अवस्थाओं को सम्मिलित करना चाहिये था।

सरकारी पक्ष की ओर से जो बहुत ज्यादा यह कहा गया कि वह समाजवादी समाज का निर्माण करना चाहते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चाहते हैं लेकिन संबोधन को देखने से यह पता चलता है कि उसमें समस्याओं का न तो गहराई के साथ अध्ययन ही किया गया है और न उनका निदान करके कोई हल अथवा सुझाव ही दिया गया है। हमारे राज्य की जो कर नीति है वह इस प्रकार की है जिससे जो मेहनत करने वाला और गरीब आदमी है, कम जोत वाला किसान है वह और गरीब होता चला जायगा। सरकार उनके कल्याण के लिये कितनी भी योजनायें बनाये वह कभी खुशहाल नहीं हो सकता क्योंकि कल्याण करने से पहले यह आवश्यक है कि उसकी लूट खसोट को बन्द किया जाय।

आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि कर लगाने का एक बुनियादी सिद्धान्त है कि "जब किसी नागरिक की कोई आमदनी हो तो उस आमदनी का कुछ भाग वह सरकार को दे" हम भी अपने राज्य में जो कर लगाते हैं वह इसी आधार पर लगाते हैं। हमने चार हजार सालाना की आमदनी को इन्कम टैक्स से माफ कर रखा है ताकि उससे वह नागरिक अपने बालबच्चों के विवाह कर सके, बीमारी में इलाज करा सके, मकान बनवा सके। इसलिये आयकर चार हजार के ऊपर आमदनी वालों पर रखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस राज्य के किसानों पर बड़ा अन्याय यह है कि उन किसानों से भी कर लिया जाता है जिन किसानों के लिये पेट भरने तक के लिये भी रोटी पैदा नहीं होती तो मैं बड़े आश्चर्य से इस अन्याय को देखता हूं। डाक्टर साहब के लिये, वकील साहब के लिये, मास्टर साहब के लिये, मिल मालिक के लिये, कारखानेदार के लिये, दूसरा कानून है और किसान के लिये दूसरा कानून है। मैं कहता हूं कि राज्य एक बहुत बड़ा अपराध कर रहा है उन किसानों से लगान ले कर जो अलाभकर जोतें रखते हैं। महामहिम राज्यपाल को अपने संबोधन में इस बात का जिक्र करना चाहिये

[श्री सहदेवसिंह]

था कि जिन किसानों के पास अलाभकर जोतें हैं या जिनकी आमदनी चार हजार रुपया सालाना से कम है और उन पर से इस प्रकार का टैक्स हटा दिया जायगा। मैं पुनः आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि इस अन्याय को जितनी जल्दी खत्म कर दिया जाय उतना ही अच्छा है नहीं तो जब इस राज्य के किसानों में चेतना आयेगी और जब वे इस अन्याय को सही तौर पर समझेंगे तो क्या हाल होगा इस राज्य का। वे जब अंगड़ाई लेकर उठेंगे तो मैं नहीं जानता कि उसके क्या परिणाम होंगे। इसलिये मैं सदन को आपके द्वारा सूचित कर देना चाहता हूं कि इस अन्याय को समाप्त किया जाय और जैसा कि भारतीय संविधान में दिया हुआ है कि यहां के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार है, उसको अमल में लाया जाय। मैं तो यह देखता हूं कि सरकार ने किसानों के साथ इन्साफ करने के बजाय सन् ५३ से लेकर आज तक सिंचाई दर में जो छूट दी हुई थी वह भी समाप्त कर दी और इस तरह से उन किसानों को जिनके कल्याण का यह सरकार दम भरती है एक ठोकर और लगायी जिससे आज किसान बहुत परेशान है।

हमारे बहुत से लोग जो किसान नहीं हैं और जो किसानों की स्थिति से अवगत नहीं हैं या जिनकी खुद की स्थिति इस कांग्रेस राज्य के कारण बहुत अच्छी हो गयी है वे यहां आकर कहते हैं कि किसानों की आर्थिक स्थिति अच्छी है।

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सहकारी आन्दोलन का जिक्र किया गया। सहकारी आन्दोलन का मुझे तजुरबा है कि इससे किसानों पर दिनों दिन कर्ज बढ़ता जा रहा है। जिस समय सहकारी आन्दोलन नहीं शुरू हुआ था और किसान को महाजन से कर्जा लेना पड़ता था उस समय उस पर इतना कर्जा नहीं था जितना कि आज है। मेरे क्षेत्र में लगभग दस क्षेत्रीय सहकारी सोसाइटियां हैं और हर सोसाइटी ने लगभग ३ लाख रुपया बांटा हुआ है यानी करीब ३० लाख रुपया वहां के ६० हजार किसानों पर कर्ज है। सहकारी आन्दोलन के द्वारा जो कहा जाता है कि हम बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं तो इससे जनता का कोई लाभ नहीं हो रहा है। आप ९ परसेंट के करीब तो उनसे ब्याज लेते हैं। उनके शेयर का रुपया लगा हुआ है और आज किसानों में इतनी शक्ति नहीं है कि वे इस रुपये की बेबाकी कर सकें। इसलिये जब बेबाकी का समय आता है तो ट्रांसफर एंट्रीज के जरिये सुपरवाइजर को दो ढाई रुपये सैकड़ा रिश्वत दे कर एंट्री करा ली जाती है। यह बात जब मेरे सामने आयी तो मैंने इसकी शिकायत अपने जिले के सहकारी अधिकारियों से की। तो उन्होंने बताया कि ट्रांसफर एंट्रीज तो डिस्ट्रिक्ट बैंक और प्रोविंशल बैंक में भी हुआ करती हैं। तो ऐसा आन्दोलन बिलकुल ही व्यर्थ की बात है। चाहे जितना ही अच्छा कानून क्यों न बनाया जाय उसका कार्यान्वयन इतना भ्रष्ट होता है कि उससे जनता को हानि होने लगती है।

इसके बाद मैं आपका ध्यान दूसरी दिशा में आकर्षित करता हूं। हमारे यहां समाज कल्याण और हरिजन कल्याण का महकमा है लेकिन फिर भी सामाजिक विघटन होता जा रहा है। सामाजिक सम्बन्धों का नाम समाज है। जब सामाजिक संबंध ही नहीं होंगे तो समाज किस बात का होगा। आज हालत यह है कि हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं, बच्चे अलग हैं, पतिजी कहीं रह रहे हैं, पत्नी कहीं है, आपस में एक दूसरे से कोई सम्पर्क नहीं है और इसी कारण से दिनोंदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और समाज का विघटन तेजी से होता जा रहा है। अगर दस पांच साल इसी तरीके से कांग्रेसी राज्य में तरक्की होती रही तो एक ऐसा समय आयेगा जब हम सब लोग मशीन के पुर्जों की तरह से अलग-अलग होंगे और हम में न कोई आत्मीयता होगी, न प्रेम होगा, न सुख शान्ति होगी और एक बेगाने तरीके से यहां पर हम रहेंगे। (लालबत्ती जलने पर) मैं अधिष्ठाता महोदय से प्रार्थना करूंगा कि मुझे दो मिनट का समय और दें।

महामहिम राज्यपाल के संबोधन में यह भी कहा गया कि विकेन्द्रीकरण की ओर हम प्रगति कर रहे हैं। जिला बोर्डों का चुनाव सन् ४८ में हुआ था। तब से तीन बार विधान सभा का

चुनाव हो चुका है, लेकिन जिला बोर्डों के चुनाव होने की नौबत नहीं आई। उनकी जगह पर जो अंतरिम जिला परिषद् बनाये गये उनमें १९४८ के चुने हुये लोगों को भी हटा दिया गया और उनकी जगह पर कांग्रेस पार्टी ने अपने आदमियों को बिठा लिया और कहने का मतलब यह है कि उनके जरिये विधान परिषद् में लोकल बाडीज की सीटों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। पंचायतों का यह हाल है कि वे बेमुल्की नबाब हो रही हैं। गांव की जमीन पर उनका अधिकार नहीं है, जमीन के लगान की आमदनी भी उनके कोष में नहीं पहुंचती है। अध्यापकों तथा अन्य ग्राम कर्मचारियों पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। इस तरह का विकेन्द्रीकरण ठीक नहीं है और इससे कोई लाभ नहीं होगा। यह तो विकेन्द्रीकरण का उपहास है।

शिक्षा की भी यही दशा हो रही है। सरकार कहती है कि वह निः शुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है, वह फीस नहीं लेती है। लेकिन मैं कहता हूं कि यदि सरकार फीस नहीं, लेती है तो सरकार पढ़ाती भी नहीं है। प्राइमरी स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिये टाट तक नहीं है, लोना लगी हुई सड़ी गली इमारतें हैं। उनके बच्चों और अध्यापकों का प्रयोग मंत्रियों की स्वागत सभा आदि के लिये किया जा रहा है। शिक्षा नाम की कोई वस्तु वहां पर नहीं है। आप यह तो जानते ही हैं कि माध्यमिक शिक्षा का अधिकतर कार्य निजी संस्थाएं ही कर रही हैं। गवर्नमेन्ट स्कूल और कालेजेज तो बहुत कम हैं, वहां के अध्यापकों की दशा यह है कि उनका और सरकारी स्कूलों के अध्यापकों का एक ही कार्य होते हुए भी यहां के अध्यापकों को वेतन और महंगाई भत्ता उनसे बहुत कम मिलता है। काफी अरसे से वे लोग इसके लिये आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांग पर सरकार का कोई ध्यान अभी तक नहीं गया है और न महामहिम राज्यपाल ने ही अपने सम्बोधन में उनका कुछ जिक्र किया है। आज भी जो निजी शिक्षा संस्थायें हैं, उनका सारा खर्चा फीस से या सरकारी अनुदान से चला करता है, इस प्रकार जनता ही उनका सारा खर्चा उठा रही है, लेकिन सरकार वहां के अध्यापकों को न्याय देने के लिये तैयार नहीं है। मैं इन शब्दों के साथ जो संशोधन प्रतुत किया गया है उसका अनुमोदन करता हूं।

श्री नेकराम शर्मा--आदरणीय चेयरमैन महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस सदन में बोलने का अवसर प्रदान किया। श्रीमन्, जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रदेश के शासन की बागडोर संभाली तो उस समय सदन में और सदन के बाहर उन्होंने यह घोषणा की थी कि इस प्रदेश के शासन में वे कदम उठायेंगे जिनसे वे इकोनोमी करेंगे और ला एण्ड आर्डर की व्यवस्था करेंगे, बेरोजगारको मिटायेंगे और प्रदेश को प्रगति की ओर ले जायेंगे। श्रीमन् कांग्रेस राज्य को आज हमारे देश और प्रदेश में १५ वर्ष हो गये हैं और माननीय गुप्त जी को शासन की बागडोर संभाले हुये तीन वर्ष का अरसा छोड़कर १२ वर्ष हो गये हैं। लेकिन जो उन्होंने इकोनामी लाने की घोषणा की थी उसको देखें तो मालूम होगा कि इकोनामी लाने के बजाय कितना खर्चा और बढ़ गया है। आज हमारे प्रदेश का मंत्रिमंडल कितना बढ़ गया है और कितना खर्चा इस प्रदेश की जनता के ऊपर डाला गया है, यह देखने की बात है। लेकिन फिर भी यदि यह खर्चा इसलिये डाला गया कि इससे हमारे शासन की व्यवस्था ठीक होगी, हमारे यहां के ला एन्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक होगी और इससे हमारे प्रदेश की प्रगति होगी तब तो मैं इस विस्तार का स्वागत करता हूं। यदि यह बात है कि यह भार इसके लिये नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को अटल बनाये रखने के लिये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है तो यह प्रदेश के लिये ही नहीं बल्कि देश केलिये घातक होगा और प्रजातंत्र के ऊपर कुठाराघात होगा। इस तरह से अपनी कुर्सी को बनाये रखने के लिये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है तो मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्रीमन्, इसी के साथ-साथ यह भी घोषणा की गई थी कि जो एडीशनल और स्पेशल पोस्ट्स हैं उनको समाप्त कर दिया जायगा और स्पेशल पे समाप्त कर दी जायगी और कम से कम दौरे किये जायेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से तथा अन्य मंत्रियों से पूछना चाहता हूं कि कितनी बार हवाई जहाज से कहां कहां यात्राएं हुई हैं और आज तक कितना व्यय हुआ है, कितना यात्रा का व्यय बढ़ा हुआ है। मैं पूछता हूं कि स्पेशल सेक्रेटरीज,

[श्री नेकराम शर्मा]

ज्वाइंट सेक्रेटरीज, ऐडीशनल सेक्रेटरीज कितने कम किये गये। क्या जरूरत थी सेक्रेटरी लेजिस्लेचर रखने की ? क्या असेम्बली का एक सेक्रेटरी काफी नहीं था ? क्या आवश्यकता है स्पेशल पेज की ? कितनी इकानोमी की ? बड़े ढोल पीटे गये थे कि हमने ५२ लाख की इकोनामी की। मैं माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इन कदमों को उठा कर कितनी इकानोमी की और कितनी इकानोमी की तरफ जा रहे, है बताएं।

आज बाहर यह चर्चा है कि जितना भी गठन हो रहा है, जिस तरह से भी शासन चल रहा है वह अपनी कुर्सी को मजबूत करने और जो कदम उठाए जा रहे हैं उनसे प्रजातन्त्र की समाप्ति के लिए अगर हम प्रदेश का सेकंड अयूबी कहें तो ठीक होगा। यह भी बाहर भावना फैलती जा रही है कि प्रजातन्त्र के रक्षक प्रजातन्त्र का गला घोंट रहे हैं, उससे बड़ा खतरा है जब कि प्रजातन्त्र एशिया में समाप्त प्रायः हो गया है, उसकी समाप्ति इस देश में उत्तर प्रदेश से शुरू होकर कहीं पूरे भारत में न फैल जाय ?

श्रीमन्, गवर्नर महोदय ने मुख्य मंत्री जी के शासन काल की प्रसंशा और चर्चा की। क्या यह सही नहीं है कि इन चुनावों में सरकारी कर्मचारियों ने खुल कर भाग लिया ? मैं बधाई देता हूं एलेक्शन कमीशन को और उनके कार्यकर्त्ताओं को जिन्होंने चुनाव कार्य सम्पन्न किये। लेकिन क्या यह सही नहीं है कि पोलिंग लिस्ट एक तैयार होती है, दूसरी तैयार होती है, लेकिन कहीं से मंत्री जी लड़ने जा रहे हैं तो तीसरी पोलिंग लिस्ट तैयार हो जाती है। क्या यह सही नहीं है कि जिन गांवों में कांग्रेस के वोट नहीं थे वे गांव उनके पोलिंग स्टेशन से पांच छः मील दूर पर रखे गये जब कि पास में दो-दो फर्लांग पर पोलिंग स्टेशन थे ? मेरे पास सब प्रमाण मौजूद हैं। मैंने एलेक्शन कमीशन को लिखा। एलेक्शन के पूर्व जो सूची बन गयी थी, क्या जरूरत थी दूसरी बनायी गई, क्यों पोलिंग स्टेशन बदले गये ? मैंने लिखा कि पास में दो-दो फर्लांग पर पोलिंग स्टेशन थे तो ऐसे गांवों को तीन-तीन छः छः मील पर क्यों रखा गया। मैं जो बात कह रहा हूं प्रमाण के साथ कह रहा हूं। अगर गलत हो तो सदन जो चाहे मुझे दंड दे सकता है।

श्री अधिष्ठाता---दूसरे चुनाव के लिये यह संशोधन हो सकता है।

श्री नेकराम शर्मा---यह चुनाव जीतने के हथकंडे थे। सरकारी कर्मचारियों ने चुनाव में भाग लिया। अगर आप चाहें तो मैं नाम दे सकता हूं। कलेक्शन अमीन प्रतापसिंह जी ने जिला परिषद् की जीप में बैठ कर प्रचार किया। मैंने कलेक्टर को लिखा। चकबन्दी विभाग के लेखपाल महेन्द्रपालसिंह ने परचे बांटे और पिछड़ी जाति पाल क्षत्रियों के लोगों की मीटिंग की, राघव साहब जो सुपरवाइजर थे कोआपरेटिव के ए० डी० सी० बना दिये गये क्योंकि एलेक्शन में उनसे मदद लेनी थी। यह जो हथकंडे अपनाये गये इससे प्रजातंत्र मजबूत नहीं होगा। यह निष्पक्ष जांच की बात है। अगर एलेक्शन सरकारी मशीनरी के बल बूते पर लड़ा गया तो प्रजातन्त्र को बड़ा भारी खतरा होगा।

राज्यपाल के भाषण में समाजवाद का जिक्र किया गया। क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश की एक मंत्राणी बम्बई गयीं कांग्रेस उम्मीदवार के विरोध में वहां की स्थिति का अध्ययन करने के लिये और समाजवाद को समाप्त करने के लिये ? क्या यह सही नहीं है कि यह समाचार अखबारों में निकला ? इस तरह से क्या समाजवाद को लाने वाले नेतागण समाजवाद की टांग खींच कर नीचे नहीं ले जाना चाहते हैं ?

ऐसे मंत्री देश को और प्रदेश को समाजवाद की तरफ ले जाना चाहते है, ले जा सकेंगे, क्या श्रीमन्, यह सही नहीं है और यह मैं ही नहीं कहता इस देश के एक राज्यपाल श्री गाडगिल ने कहा है कि आज देश में जातीयता को बढ़ाने की जिम्मेदारी अगर किसी पर है ? यह जो सेक्टेरियन आउट-लुक आज डेवलप हो रहा है इसकी जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वह

कांग्रेस हुकूमत और कांग्रेस दल पर है। क्या चुनाव में जातीयता के आधार पर टिकट देकर जातिवाद को प्रश्रय नहीं दिया गया जिस जातिवाद को खत्म करने के लिये पूज्य महात्मा गान्धी ने प्रयत्न किया था ? क्या कांग्रेस सरकार ने उसी जातिवाद को और नहीं फैलाया ? फैलाया है। तो जातीयता क्या समाजवाद को आगे ले जाने वाले तरीके हैं या समाजवाद को गिराने वाले तरीक हैं ? श्रीमन्, क्या यह सही नहीं है कि हमने जो स्लोगन लगाये पिछले पन्द्रह वर्षों में कि हम प्रदेश की प्रगति कर रहे हैं क्या वह स्लोगन पूरा हुआ ? नेहरू जी ने क्या कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा प्रदेश है, चाहे शिक्षा में लीजिए, चाहे कम्यूनिटी प्रोजेक्ट में लीजिए, चाहे उद्योगीकरण में लीजिए, सबसे पिछड़ा प्रदेश है। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ ? इस सरकार ने यह कहा था कि हम इतने गांवों को एलेक्ट्रिफाई करेंगे। उसने प्रोजेक्टस बनाये, एस्टीमेट्स बनाये, वह एस्टीमेट्स दुगने तिगुने तक हो गए लेकिन कितनी बिजली पैदा हुई ? कितनी बिजली का उपयोग हुआ ? कितने गांव एलेक्ट्रिफाई हुए ? और सिंचाई के लिए क्या सुविधायें प्रदान की गई ? क्या यह सही नहीं है कि आज भी करोड़ों रुपये का गल्ला प्रदेश के बाहर से मंगाया जाता है और कितने करोड़ रुपये आप सिंचाई से प्राप्त करते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी ने, सिंचाई की जो दरें बढ़ी हुई थीं उनको देखते हुए तीन आने की छूट दी थी और उस छूट को इस सरकार ने वापस ले लिया ? क्या आज इस सरकार ने पानी कुछ ज्यादा दे दिया ? क्या यह सही नहीं है कि गेहूं को जहां चार पानी की जरूरत होती है वहां एक पानी ही दिया जाता है ? क्या यह सही नहीं है कि जो सिंचाई के आंकड़े दिये जाते हैं वे गलत होते हैं ? (व्यवधान) श्रीमन्, हारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि एलेक्शन के पहले यह स्पीच होती तो ज्यादा अच्छा था तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एलेक्शन का ही यह परिणाम है कि आज मैं आपको सुना रहा हूं।

श्रीमन्, मंत्रिमंडल में पोर्टफोलिओज का बड़ा रेशनल डिस्ट्रिब्यूशन हुआ है। क्या यह सही नहीं है कि जिस वक्त माननीय चौधरी चरणसिंह को होम डिपार्टमेन्ट दिया गया था उस समय जनता ने एक बड़े सन्तोष की सांस ली थी ? तो फिर आज क्या कारण है कि वह विभाग उनसे छीन लिया। हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने जितने मुख्य-मुख्य पोर्टफोलिओज थे उनको अपने हाथ में रख लिया, वह इसलिये कि कोई भी विरोधी दल का आदमी सिर उठाता है तो कुचल दिया जायगा। क्या यह सही नहीं है कि एक आतंक जमाने के लिये सारे मुख्य मुख्य पोर्टफोलिओज मुख्य मंत्री जी ने अपने पास रख लिये हैं या फिर उन्हें अपने मंत्रिमंडल के साथियों पर विश्वास नहीं है। किसी को एल०एस० जी० दिया तो उसमें से कुछ एल० एस० जी० का हिस्सा माइनस कर दिया, किसी को और कोई डिपार्टमेन्ट दिया तो उसका कुछ हिस्सा माइनस कर दिया। यह सारी प्रवृत्ति, यह सारे कार्य एक डिक्टेटरशिप की तरफ ले जाने वाले हैं और एक पर्सनालटी कल्ट की तरफ सारा प्रदेश और सारे प्रदेश की शासन व्यवस्था जा रही है। मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो प्रदेश के इतने पोर्टफोलिओज अपने पास रख लिए हैं क्या यह रेशनल डिस्ट्रिब्यूशन है ? माननीय मुख्य मंत्री जी का अपने साथियों में से किसी पर विश्वास नहीं है तो क्यों इतना बड़ा कुनबा बढ़ा दिया गया। अगर शासन की सुन्दर व्यवस्था के लिये ऐसा किया गया होता तो मुझे खुशी होती लेकिन जैसा मैंने कहा अपने को मजबूत करने के लिये यह सब किया गया है और प्रदेश में प्रजातंत्र की सुरक्षा अगर न हुई तो एक दिन जैसे पाकिस्तान में हुआ सारे पालिटिशियन्स जेल में होंगे, इधर के सदस्य भी होंगे और उधर के सदस्य भी होंगे। जैसा कि कहा गया कि डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है शासन का मिनिस्ट्री बढाकर तो अगर यही डिसेंट्रलाइजेशन है तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आप प्रजातंत्र की सुरक्षा चाहते हैं तो मुझे कहना यह है कि एक स्वस्थ परम्परा चलाइये, अगर कोई बात यहां कही जाती है तो उसको सुनिए, उस पर अमल कीजिए। जिस तरह से मन चाहे उसी तरह से करें तो यह देश और प्रदेश बहुत शीघ्र ही इस प्रजातन्त्र के विरुद्ध रिवोल्ट करेगा और फौजी शासन हो सकता है।

श्री अधिष्ठाता—अब आपका समय समाप्त हो गया।

*श्री विश्वनाथ (जिला मिर्जापुर)---माननीय अधिष्ठाता जी मुझे निवेदन करना है अपने जीवन के अन्दर भी कुछ सदाचार ही भरना है।

न एक राम न नेकराम जो अपनी पूंजी खोते हैं
दिन रात बोलते रहने को ही उतावली में होते हैं।
जब वोटर सूची बनती है तो पता नहीं क्यों सोते हैं
फिर वोट काल के आने पर चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं।

श्री नेकराम शर्मा---मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। जो शब्द माननीय सदस्य ने प्रयोग किये है उनको या तो कार्यवाही से एक्सपन्ज होना चाहिये या उनको ये शब्द वापस लेने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य को ऐसे व्यक्तिगत शब्द प्रयोग नहीं करने चाहिये।

श्री विश्वनाथ---मैं इन शब्दों को वापस लेता हूं। आगे मुझे निवेदन यह करना है कि माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण के प्रति श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल ने जो प्रस्ताव धन्यवाद का उपस्थित किया है और उसके समर्थन में जो यहां पर अन्य सज्जनों ने भाषण दिये हैं उनमें कुछ तरह-तरह की बातें आई हैं। मुझे दुख है कि अभी मुझे एक बात के लिये अपने शब्द वापस लेने पड़े। बहुत सी बातें यहां पर कही गई जो बहुत अच्छी-अच्छी हैं। यदि उनकी अच्छाइयों को ग्रहण किया जाय तो उनमें से कुछ अच्छाई निकाल सकते है। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिससे अविवेक उत्पन्न होता है। उस समय हम देखते हैं कि अक्सर माननीय सदस्य बोलते चले जाते हैं और लाल बत्ती जलकर समाप्त हो जाती है। बोलने वाले देख नही पाते हैं और अपना भाषण देते रहते हैं। वह यह नहीं समझते हैं कि यहां पर बहुत से दूसरे सज्जन बोलने के लिये उपस्थित हैं। अपने सहयोगियों का उनको ध्यान नहीं रहता है कि उनको भी बोलने का अवसर मिलना चाहिये। अगर इस तरह से बीच में अनुशासन का ध्यान रखकर इन माननीय सदस्यों को नियन्त्रित न किया जाय तो अधिष्ठाता महोदय, यहां पर व्यवस्था से काम चलना मुश्किल हो सकता है। मैं यह देखता हूं कि बहुमत के सदस्यों को कम समय बोलने के लिये दिया जाता है और अल्पमत के सदस्यों को अधिक समय दिया जाता है। दूसरे सदस्यों का भी मन चाहता है कि उनको बोलने का समय मिले। अब मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं और उसके बाद अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---ऐसा निवेदन कीजियेगा कि आपको वापस न लेना पड़े।

श्री विश्वनाथ---निवेदन मुझे यह करना है कि . . . . .

समय खतम हो जाता है जब बत्ती लाल दिखाते हो।
उस वक्त बोलना बन्द करो ऐसा कुछ सिखलाते हो।
तब भी कुछ ऐसे हैं सदस्य जो पुनः बोलते जाते हैं
बत्ती जलती रह जाती है वह नहीं मौन हो पाते हैं।
इस पर भी जरा नियन्त्रण हो सन्तोष रहे कुछ बात रहे
ऐसा कर दो जिससे दिन का दिन रात की रात रहे।
तो कुछ दोस्त विरोधी केवल निन्दा निन्दा चिल्लाते हैं
वह कहीं भी शासन में गुण का अंश कहीं नहीं पाते हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कसम पर अब इनका क्या कैसे यह होंगे सन्तोषी
कुछ नहीं समझ में आता है आती है केवल खामोशी ।
ऐसा करदो जिससे अपनी प्रगति नहीं कुछ मन्द रहे
जो असत्य बोलते आये हैं उनकी जबान कुछ बन्द रहे ।

श्री नरसिंहनारायण (जिला गोरखपुर)—मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—मिरजापुरी जी, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है । आप जरा उसे सुनिये तो ।

श्री नरसिंह नारायण—श्रीमन, मैं क्या आपसे व्यवस्था करने का निवेदन करूं कि महामहिम राज्यपाल के भाषण पर जो प्रस्ताव आया है उस संबंध में जो माननीय सदस्य भाषण दे रहे हैं उसमें बहुत सी अनर्गल ऐसी बातें कही जा रही हैं कि जिनका उस से कोई संबंध नहीं है। क्या इस तरह की बातें संसदीय हैं और अगर नहीं हैं तो इस पर आप व्यवस्था दें और उन्हें रोकें ।

श्री अधिष्ठाता—मिरजापुरी जी, आप राज्यपाल के भाषण के संबंध में ही अपना व्याख्यान दीजिये और उसी संबंध में अपनी बात कहिये ।

श्री विश्वनाथ—श्रीमन्, जहां तक मैं अध्ययन कर पाया हूं अभी तक जिस भाषण का मैं व्यवहार कर रहा था उसमें कोई शब्द भी ऐसा नहीं था कि जो असंसदीय हो । यदि हो, तो मैं सदस्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वह उस शब्द को आगे रखें कि किस शब्द अथवा बात को वह असंसदीय मान रहे हैं ।

अब इस के अलावा जो मैं निवेदन करना चाहता हूं वह यह कि हमारे राज्यपाल महोदय ने जिस सुन्दर गौरवपूर्ण और बड़ी ही सौष्ठवपूर्ण भाषा में सारी बातों को रखा है और जिन्हें ले कर हमें आगे चलना है, उसमें बहुत सी अच्छाइयां हैं जिनको मान कर हम मनुष्य तो बनते ही हैं, लेकिन शानदार ढंग से राज्य का संचालन भी कर सकते हैं और लोकतंत्र की स्वस्थ परंपराओं को कायम कर सकते हैं । भाषण में जिस प्रकार हरिजनों और मजदूरों के लिये चिन्ता व्यक्त की गयी है और जो संकल्प उनके लिये लिया गया है वह सुसंगठित सामन्तशाही को कातर बना देने वाला और घबरा देने वाला है ।

(इस समय ३ बजकर १६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

इस के अतिरिक्त महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन में जो संकल्प लिये गये हैं वे किसी भी राष्ट्र निष्ठा रखने वाले व्यक्ति को साहस प्रदान करते हैं और उसे आपत्तियों का सामना करने योग्य बनाते हैं जब कि किसी दूसरे राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने वाले व्यक्तियों को वे विचलित कर सकते हैं । राष्ट्र और देश के प्रति प्रेम और भक्ति रखने वाले व्यक्ति जो हमारी परम्पराओं को समुचित मान्यता देते होंगे ,जो लोकतंत्र में विश्वास करते होंगे ,जो इस देश के सभी हिन्दू मुसलमान, सिख ,ईसाई आदि भाइयों को एक साथ ले कर चलने की भावना रखते होंगे वे सब इस अभिभाषण का स्वागत करेंगे और इसके गुणों को गृहण करेंगे और इसमें दिये संकल्पों को पूरा करने की कोशिश करेंगे । किसी भी संदर्भ में उसके दोष को खोजना आसान होता है किन्तु गुणों का अनुकरण करना कठिन होता है । यह उन के लिये संभव हो सकता है जो श्रम से अपनी जीविका उपार्जन करना चाहते हों, किन्तु जो श्रम बिना मुफत में अपनी गुजर करना चाहते हैं उनके लिये तो सिवाय प्रस्ताव की निन्दा करने और कुतर्क की बात करने के और कोई बात संभव ही नहीं है ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा फिर निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय के भाषण पर जो प्रस्ताव लाया गया है धन्यवाद के लिये उस से उत्पन्न कुछ लोगों में क्षोभ और असंतोष को दृष्टि में रखते हुए कम से कम जो भाषण यहां हों वे कुछ नियंत्रित

[श्री विश्वनाथ]

और संतुलित ढंग से किये जायं और इस के लिये कोई उचित ढंग अपनाया जाय। मैं कहना चाहता हूं कि लाल रोशनी हो जाने के बाद भी, जब कि वह बताती है कि भाषणकर्ता का समय समाप्त हो चुका है, आप बैठ जायं, सदस्यगण अपना भाषण करते चले जाते हैं। यह चीज उचित नहीं है। मैं नमस्कार करता हूं।

श्री चन्द्रजीत---माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन नहीं कर सकता और इसीलिये मुझे उसमें संशोधन का प्रस्ताव पेश करना पड़ा है। श्रीमन्, हम इस सदन में उत्तर प्रदेश की साढ़े सात करोड़ जनता की यह आशायें और विश्वास को लेकर आये थे कि पिछली दो पंचवर्षीय योजनाओं में हमारा राज्य जिस तरह से पिछड़ा रहा है, जिस तरह से हमारे राज्य के हर व्यक्ति की आय में गिरावट होती रही है, पूरे राज्य में जिस तरह से असन्तोष और निराशा की भावना पैदा हुई है और तीसरे महान निर्वाचन से जो कुछ सबक सीखा है उस सब को देखते हुये हमारी राज्य सरकार कुछ नयी नीतियों का दिग्दर्शन इस सदन में करेगी। लेकिन मुझे इस बात का खेद है कि महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण में किसी नीति का परिचय नहीं मिलता। उन्होंने यह स्पष्ट स्वीकार किया है कि चूंकि नये मंत्रि मंण्डल को कार्य करने का समय कम मिला है इस लिये किसी नयी नीति का दिग्दर्शन नहीं किया जा सकता, मैं समझता हूं कि इस सदन को १० दिन बाद बुलाया जा सकता था जिस तरह से कि पहले ३ महीने तक सदन नहीं बुलाया गया। अगर बुलाया गया तो सरकार का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आने वाले ५ वर्षों में जिन नीतियों का प्रतिपादन सरकार करना चाहती है, प्रदेश की जनता का भाग्य जिन नीतियों के साथ नत्थी करना चाहती है उसका उल्लेख इस अभिभाषण में किया जाता।

श्रीमान, मैं यह स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार और इस दल की गुटबन्दी का यह नतीजा रहा है कि वह इसी में इतने समय तक उलझी रही कि किस प्रकार का मंत्रिमंडल बने, इसमें कौन-कौन मंत्री हो, किसको कौन-कौन से विभाग दिये जायं, उसका सारा समय इसी में खर्च हुआ। मैं इस मौके पर इस सरकार की घोर निन्दा करता हूं। जिस प्रकार से इतना बड़ा मंत्रिमंडल बनाया गया और जिस प्रकार से पंडित नेहरू के शब्द 'व्यापक मंत्रि मंडल' का अनुचित लाभ उठाया गया, उसकी मैं घोर निन्दा करना चाहता हूं। आपसी झगड़ों को खत्म करने के लिये इस प्रदेश की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग किया गया है और जिस तरह से जनता के धन का दुरुपयोग किया गया है, प्रदेश की जनता उसके लिये इस सरकार को कभी क्षमा नहीं करेगी।

श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि जब पहले उन्होंने अपने पद का भार सम्भाला था तो उस समय उन्होंने खर्चे में कुछ कमी करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि प्रशासन के खर्चे में कमी की जाय। उन्होंने कहा था कि इस मंत्रि-मंडल का एक-एक सदस्य उसके लिये मिसाल उपस्थित करेगा। क्या यही मिसाल हमारे सामने उपस्थित की गयी है? क्या उस वायदे को एक साल में ही अपनी गुटबन्दी के झगड़े में पड़ कर यह मंत्रिमंडल भूल गया। वह भले ही भूल जाय लेकिन इस प्रदेश की जनता उसे कभी नहीं भूल सकती।

श्रीमन्, आज हमारे प्रदेश के अन्दर कुछ ऐसी व्यवस्थायें हैं, ऐसी बातें हैं जिनको नजरन्दाज नहीं किया जा सकता लेकिन यह सरकार उनको नजरन्दाज कर रही है। तीसरे आम निर्वाचन ने हमको कुछ सबक दिया है। आज हमारे समाज में, हमारे प्रदेश में प्रतिक्रियावादी ताकतें, साम्प्रदायिक ताकतें पनप रही हैं और फिरकापरस्ती का नारा लगाया जा रहा है। ऐसे समय में सरकार की नीति की कोई चर्चा न हो, इन बढ़ती हुई प्रतिक्रियावादी ताकतों को रोकने के लिये सरकार की तरफ से कोई कदम न उठाया जाय, सरकार कोई नीति उसके संबंध में निर्धारित न कर सके, यह बड़ी खतरनाक बात है। हमने पहले ही सरकार को स्पष्ट

चेतावनी दी थी और सरकार की नीति का यह नतीजा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर, जनता के अन्दर असंतोष व्याप्त है। सरकार की नीतियों का नतीजा है कि प्रतिक्रियावादी व साम्प्रदायिक ताकतों को सहारा मिल रहा है। हमने कहा है कि जब तक सामन्ती ताकतें अपने शोषण के तरीकों को कायम रखेंगी तब तक उनके पिछड़ेपन का फायदा यह ताकतें उठाती रहेंगी। मैं आज पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस नतीजे पर नहीं पहुंचती है ? भूमि व्यवस्था में महान क्रान्ति का नारा लगाने वाले क्या यह अनुभव नहीं करते ? आज देश के प्रधान मंत्री भी स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर जो आज सामन्तवादी अवशेष हैं उसी का नतीजा है कि ये ताकतें बढ़ रही हैं। आज देहात के रहने वाले किसान के ऊपर करों की बाढ़ बढ़ रही है और हदबन्दी के कारण जिस हदबन्दी के कानून को लोगों ने माना उसके संबंध में किये गये वादे आज पूरे नहीं होने जा रहे हैं। आज भी जमीन मुट्ठी भर लोगों के हाथ में है और किसान की हालत सुधर नहीं रही है। अगर राष्ट्रीय आर्थिक चौखट के अन्दर देखें तो हमारे उत्तर प्रदेश का स्थान सबसे पिछड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश का उद्योगीकरण के नक्शे पर कोई स्थान नहीं है। और आप चाहते हैं कि प्रतिक्रियावादी और साम्प्रदायिक ताकतें न बढ़ें और जनवादी सिद्धान्त मजबूत हों तो सरकार को यह निश्चय करना चाहिए कि सन् ३७ में और उसके पहले भी कांग्रेस के ही उठाये हुए नारों को ईमानदारी से लागू करेंगे। आज वह सन् ३७ के चुनाव को याद करें कि किस प्रकार कांग्रेस ने ही सामन्ती ताकतों को भूमि सुधारों के नाम पर, राष्ट्रीय नारों के बल पर परास्त किया था लेकिन आज वही कांग्रेस उन्हीं ताकतों से परास्त होती है। इसलिए अब सरकार को अपनी जमीन व्यवस्था की नीति में आमूल परिवर्तन करना चाहिए। आज सरकार की सारी की सारी नीतियों में रिओरिएंटेशन की जरूरत है।

आज उद्योग के क्षेत्र में इजारेदार पूंजीपति हावी हो रहा है। आज चीनी मिल और बिजली के कारखानों की हालत क्या है ? बड़ी-बड़ी बिजली कम्पनियां हावी हो रही हैं और मनमानी मुनाफाखोरी कर रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अंकुश नहीं है। जिस प्रकार से जनता की गाढ़ी कमाई को आज चीनी मिलें लूट रही हैं, उधर सरकार का आज ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार को चुनाव लड़ने के लिए फंड चाहिए और वह प्रदेश का चीनी मिल मालिक देता है। उसके फंड को लेकर अपने चुनाव फंड में रुपया बढ़ाने के लिए और प्रदेश की ७५ फीसदी जनता के भाग्य को नत्थी कर दिया चीनी मिल मालिकों से तो भविष्य क्षमा नहीं करेगा। आज वक्त का तकाजा है कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया जाय, बिजली के कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाय और प्राईवेट सेक्टर के ऊपर अंकुश लगाया जाय। आज पूंजीपति किस प्रकार से चुनाव में दखल दे रहा है, राज्य सभा के चुनाव में जिस प्रकार से रुपयों की थैली खुली हुई है वह जनवाद के ऊपर गहरा आघात है। मैं चाहता हूं श्रीमन्, कि सरकार अपनी नीतियों पर फिर से गौर करे।

आज प्रदेश के पिछड़े वर्ग की, हरिजन जातियों की हालत कितनी चिन्ताजनक है। चुनाव के अन्दर उनकी ताकतों का बेजा इस्तेमाल किया जाना, थोड़ी सी सुविधाओं को देकर उनके मौलिक अधिकारों का हनन करना, इस चीज की उपेक्षा नहीं की जा सकती। पिछड़े वर्ग कमीशन ने जिस रिपोर्ट को ७–८ साल पहले दिया, उसको लागू करने के लिये राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार पर कितना दबाव डाला ? अगर संसद के सदस्यों का औद्योगीकरण के लिये रुपये लेने के लिये कनवेंशन किया जा सकता है तो क्यों नहीं सरकार उनसे अनुरोध करती है कि इस प्रदेश के ७५ फीसदी लोगों से संबंधित जिस रिपोर्ट को पिछड़े वर्ग कमीशन ने दिया उसके बारे में क्या किया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि मुझे पांच मिनट का समय और दे दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—दो मिनट और ले लीजिये।

श्री चन्द्रजीत—धन्यवाद। श्रीमन्, पिछले वर्षों में सरकार ने कई कमीशन बिठाये, लेकिन इस प्रदेश के अन्दर नौकरियों में अनुसूचित जातियों का जो अनुपात था वह

[श्री चन्द्रजीत]

आजतक पूरा नहीं कर सकी । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में, और बहुत सी कमेटियों की चर्चा की गई लेकिन इस विषय को क्यों भुला दिया गया ? क्या इस विषय की उपेक्षा का यह द्योतक नहीं है ? इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर गौर किया जाय ।

दूसरी बात यह है कि अगर हमारे प्रदेश का सही मानों में उत्थान करना है तो जहां सरकार को राष्ट्रीयकरण के कदम उठाने पड़ेंगे वहां सामन्ती अवशेषों को भी नष्ट करना पड़ेगा । और साथ ही प्रशासन में आमूल परिवर्तन भी करने पड़ेंगे । क्या आज यह मालूम नहीं है कि चुनाव में सरकारी मशीनरी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया । इसको देखते हुये क्या यह आवश्यक नहीं है कि उसमें आमूल परिवर्तन किये जायं । क्या आज इस बात की आवश्यकता नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों के लिये एक आयोग बिठाया जाय ? आज केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन में भेद-भाव है उसको दूर किया जाय और दूसरी तरफ लम्बी तनख्वाह पाने वाले कर्मचरियों पर अंकुश लगाया जाय और छोटे कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई जाय । आज बदलती हुई मान्यताओं के अन्दर जब हम नियोजन का इस्तेमाल कर रहे हैं और समाजवाद का नारा दे रहे हैं, यह आवश्यक है कि आज जिस तरीके से प्रतिक्रियावादी ताकतों को यह कहने का मौका मिलता है कि समाजवाद निष्फल है, नियोजन निष्फल है, कमजोर मशीनरी को ठीक किया जाय । आज इतिहास ने साबित कर दिया है कि दुनिया के लिये केवल समाजवाद और नियोजन ही ऐसी चीजें हैं जिससे पिछड़ा हुआ समाज आगे बढ़ सकता है लेकिन सरकार की कमजोर और आप्रेसिव मशीनरी प्रतिक्रियावादी ताकतों को समाजवाद और नियोजन पर आक्षेप करने का मौका देती है । मैं चाहता हूं कि सरकार इस ओर सुधार करे ।

आज शिक्षा के अन्दर भी सुधार करने की आवश्यकता है । सरकार यह स्वीकार करती है कि इसमें खामियां हैं लेकिन आज तक इस प्रदेश के शिक्षकों को संतोष नहीं हो सका । सरकार ने आजतक इस प्रदेश के लाखों अध्यापकों के असंतोष को दूर करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया । आज सरकारी और गैर-सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों में भेद-भाव है । म समझता हूं ऐसा नहीं होना चाहिये । अन्त में मैं आशा करता हूं कि सरकार इन बातों पर आमूल तरीके से विचार करेगी । मेरी कांग्रेस के उन लोगों से भी अपील है जो कि देश में समाजवाद को सुदृढ़ करना चाहते हैं कि वह सरकार पर दबाव डालें कि वह ऐसी कमियों को दूर करे जिनके कारण वह पूंजीवादी शक्तियों के आगे झुकती है ।

*श्री बद्रीप्रसाद (जिला इटावा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं महामान्य राज्यपाल के सम्बोधन पर प्रस्तुत प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । विरोधी दलों ने जो संशोधन पश किये हैं उनको पढ़ने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि विरोधी दलों के माननीय सदस्यों ने सरकार की नेक नीयती पर आक्षेप किया है । उनके संशोधनों को पढ़ने के बाद यह निष्कर्ष निकलता है कि वे कल्पना के संसार में विचरते हैं और वास्तविकता की उपेक्षा करते हैं । यदि उनके संशोधनों को मान लिया जाय तो क्या सरकार चलाना सम्भव होगा ? एक तरफ तो उनकी ओर से यह आशा की जाती है कि टैक्स समूल नष्ट कर दिये जायं, किसानों से जमीन के सम्बन्ध में कोई टैक्स न लिया जाय । दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाहें बढ़ा दी जायं और सरकार का काम बदस्तूर चलता रहे । मैं नम्रतापूर्वक उनसे कहना चाहूंगा कि वे जरा व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें । उनका यह दृष्टिकोण अव्यावहारिक है ।

कहा गया कि चुनाव के जमाने में बेईमानी की गई । पार्टियों की ओर से सरकारी कर्मचारियों का उपयोग किया गया । मैं नहीं समझ सका कि उनका यह कहना कहां तक ठीक हो सकता है । सरकारी कर्मचारी जो हैं वे भिन्न हैं और जो मशीनरी चुनाव करा रही थी वह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भिन्न थी । इसके अतिरिक्त गोंडा और हरदोई में जो कुछ हुआ, यह विषय न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिये उसके बारे में मैं यहां कुछ कहना नहीं चाहता । यह तो वहां से पता ही चल जायगा कि उसकी जिम्मेदारी किस पर है जिसके कारण वहां का वायुमंडल उत्तेजित हुआ ।

आज ही राज्यपाल के भाषण पर जो टीकायें हो रही हैं उनमें हमारी जो आलोचना होनी चाहिये वह तथ्यपूर्ण होनी चाहिये । लेकिन मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार की आलोचनाएं की जा रही हैं उनमें वस्तुस्थिति का अभाव है और ऐसा लगता है कि वे केवल प्रोपेगेंडा की दृष्टि से की जा रही हैं । राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण के अन्दर जिस वस्तुस्थिति का चित्रण किया है, हो सकता है कि उसमें कुछ कमियां हों, उस पर हमें गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिये । मैंने उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा और मैं उसके लिये उनको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता । लेकिन उसके साथ ही साथ मैं अत्यन्त विनम्रता से इतना और निवेदन करूंगा कि उसमें कुछ कमियां भी रह गई हैं । जैसे भ्रष्टाचार निवारण के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, क्योंकि जिला स्तर पर जो भ्रष्टाचार निरोधक समितियां हैं वे करीब-करीब बेकार ही हो गई हैं । इसी प्रकार से पशु पालन और बीज को छोड़कर कृषि के बारे में भी और किसी विषय पर प्रकाश नहीं डाला गया है । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर ध्यान देगी । बस इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---अध्यक्ष महोदय, आज मैंने जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके तथा महामान्य राज्यपाल के अभिभाषण के प्रकाश में मैं कुछ कहना चाहता हूं । मैं उन सब बातों को दुहराना नहीं चाहता जो अन्य वक्ताओं ने दुहराई हैं । मैंने राज्यपाल महोदय के संभाषण को पढ़ने के बाद उसमें छिपी हुई गुप्त आत्मा को ढूंढ़ने की कोशिश की लेकिन समाजवाद के ढांचे के अन्दर छिपी हुई वह गुप्त आत्मा जो मुझे मिली वह पूंजीवादी गुप्त आत्मा थी । उस की शब्दावली के जाल को जब मैंने उधेड़ कर देखा तो मुझे मालूम हुआ कि इसमें किसानों, मजदूरों अथवा पिछड़े वर्ग को उन्नत करने का कोई कार्यक्रम नहीं है । आज सत्तारूढ़ दल के वक्ताओं द्वारा कहा गया है कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है । लेकिन प्यारे दोस्तों . . . .

श्री अध्यक्ष---कृपया माननीय सदस्य ध्यान रखें यहां कोई प्यारे दोस्त नहीं हैं । यहां पर उनको माननीय सदस्य कहा जाता है ।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं उसको वापस लेता हूं । मैं सदन के सदस्यों को उस परिस्थिति को बता देना चाहता हूं कि जब कि जर्मनी में हिंडनवर्ग राज्य में फासिज्म आया, उस समय वहां पर भी इसी प्रकार का समाजवाद बताया जाता था और उस समाजवाद के ढांचे के कारण ही वहां पर फासिज्म आया था । मैं फतेहपुर जिला से निर्वाचित एक स्वतंत्र सदस्य हूं जहां से माननीय केसकर चुनाव हार गये, यद्यपि इस शासक वर्ग ने उनको डाक्टर केसकर से पंडित केसकर बताया । उनके द्वारा छपाया गया दिल्ली का पर्चा मैं यहां लाया हूं । इसको आप तथा मंत्रिगण देख लें । उनको डाक्टर केसकर के नाम से तो सब जानते ही होंगे लेकिन पंडित केसकर के नाम से न जानते होंगे । यह पर्चा उन्हीं की तरफ से निकाला गया है जिसमें डाक्टर केसकर, डाक्टर से पंडित केसकर बन गये, सिर्फ जनता से वोट लेने के लिये ।

श्री अध्यक्ष---आप व्यक्तिगत किसी का नाम लेकर यहां कोई बात न कहें ।

श्री दीपनारायणसिंह---मैं प्रमाण दे रहा हूं कि पंडित जवाहरलाल जी का एक साथी जो केन्द्रीय मंत्रिमंडल में हो और समाजवादी कहलाने वाला नेता हो, वह जब इतना नीचे गिर सकता है तो औरों के लिये क्या बात है ? इसलिये मैंने यह उदाहरण पेश किया है । गंगा के तट पर खड़ाऊं और जनेऊ पहन कर जाना और डाक्टर केसकर से पंडित केसकर कहलाना, इससे बढ़कर साम्प्रदायिकता का नंगा नृत्य और क्या हो सकता है ? सन् ३० से ४२ तक मैंने भी राष्ट्रीय आन्दोलन में एक सनिक की हैसियत से भाग लिया है और कभी किसी से पीछे नहीं

[श्री दीपनारायणसिंह]

रहा हूं और उस लड़ाई में भाग लेने के फलस्वरूप कभी किसी से कोई अनुदान नहीं लिया । मैं कोई डींग तो नहीं हांकता, मैं गरीबी में ही पला हुआ हूं और हर इम्तहान में वजीफा लेकर ही मैंने अपनी पढ़ाई की है । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि किसान मजदूर जो हमारे नेता होने चाहिये वे न होकर जो लक्ष्मी के वरद् पुत्र हैं वे पूंजी पति ही आज हमारे नेता बने बैठे हैं और वे महादेव की तरह विषपान करने को तैयार नहीं हैं । जिस जनता द्वारा वे चुन कर यहां आये हैं उसी को लूटने के लिये तैयार हैं । इस सम्बोधन में तो सरकार की विरुदावली ही गायी गयी है जिस तरह से पहले सामन्तशाही युग में कवि लोग राजाओं की विरुदावली गाया करते थे । अध्यक्ष महोदय, महामहिम के लिये यह शोभा की बात नहीं है कि उनके मुंह से इस तरह से किसी का गुणगान कराया जाय । क्या यही गुप्त जी नहीं हैं जो आज हमारे इस सदन में शासक दल के नेता बने हैं, और जिन्हें मौदहा की जनता ने हराया था या जिन्हें लखनऊ की जनता ने हराया था और जिनके नीचे ही यहां जनसंघ पनपा है । यह जनसंघ ऐसे ढंग के समाजवाद के पेट से ही पैदा हुआ औरस पुत्र है । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि यही एक गुप्त आत्मा समाजवादी ढांचे के अन्दर झलकती है ।

आज उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़े हुये प्रदेशों में हैं और यहां का मंत्रिमंडल सुरसा की तरह से बढ़ता ही जा रहा है । "जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कपि रूप दिखावा ।" जिस तरह से दशरथ की दुर्दशा अपनी रानियों को खुश करने में हुई थी वही दुर्दशा इस सरकार की भी होने वाली है, क्योंकि यहां भी अपनी पार्टी के मेम्बरों को खुश करने के लिये हर मिनिस्टर के साथ एक-एक पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी भी लगा दिया गया है । यह पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था का संकट है । इसीलिये मैंने अपने संशोधन में रखा है । फतेहपुर के जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं वहां ५१ मतदेय स्थानों में २ स्थान ही ऐसे हैं जहां पक्की सड़कें हैं । सड़कें न रहने से वहां की जनता को बड़ी तकलीफ होती है । आज हमारे प्रदेश के देहातों में किसानों, मजदूरों को लूटने के लिये बनिये घुस गये हैं और उनकी जमीनें खरीदने तक की व्यवस्था करके पूंजीपति बनते जा रहे हैं । बनिये आज जमीनें खरीद सकते हैं, तो यह सरकार भूमि सुधार के प्रश्नों को क्या हल कर सकती है ? मौरूसी काश्तकारों की जमीनें नहीं खरीदी जा सकती थीं. . . . . .

श्री अध्यक्ष---आप का समय समाप्त हो गया, अब आप बैठ जायं ।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)---माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं आप के सामने महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के धन्यवाद के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जो माननीय जगदीश शरण अग्रवाल ने प्रस्तुत किया है, आप के द्वारा कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

(सदन में शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष---मैं सदन के सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह माननीय सदस्य का पहला भाषण है, उनको शान्ति से बोलने दें ।

श्री जगदम्बाप्रसाद---मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय ने अपने सम्बोधन में उल्लेख किया है कि हम यातायात के साधनों और सिंचाई के साधनों में उन्नति करने की दिशा में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्रगति कर रहे हैं । मेरा सदन के समक्ष निवेदन है कि जिस कांस्टीटुएन्सी से चुनकर मैं आया हूं उसमें यातायात के साधनों की बड़ी कमी है । हमारे यहां जलालपुर एक बड़ा टाउन एरिया है जो सुरहुरपुर कांस्टीटुएन्सी का मुख्य स्थान है । उस जलालपुर टाउन एरिया में अगर किसी की एक लाख की इमारत है उसके सामने दिन रात में किसी वक्त कोई आसानी से पार नहीं कर सकता । आज जलालपुर की ऐसी दयनीय स्थिति है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसके अन्तर्गत इतना रुपया सरकार ने व्यय करना तय किया है, वह जलालपुर और सुरहुरपुर के लिये नगण्य है । वहां जलालपुर के करीब कुछ ऐसे गांव हैं कि जहां के लोग बाढ़ से इतने पीड़ित हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता,

मैंने माननीय सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन भी किया फिर भी उन्होंने इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया । मैं उनका ध्यान आकर्षित करूंगा कि गांव की जनता जो आशा करती थी कि स्वराज्य के बाद हमारी दशा सुधरेगी उसके सामने आज भी निराशा की लहर दिखाई दे रही है । मैं उन गांवों का नाम भी बता सकता हूं, जलालपुर के करीब ही एक घसियारी मंडी मुहल्ला है जहां के लोगों की रोजी घास छीलकर चलती है, आज उनके निकलने का कोई स्थान नहीं है । बरसात में वह इस तरह से घिर जाते हैं कि उनकी औरतों को शौच आदि तक के लिये परेशानी रहती हैं, इस हालत को वहां मंत्री जी जाकर देख सकते हैं ।

सरकार कहती है कि हम तृतीय पंचवर्षीय योजना में देश को स्वर्ग बना देंगे, स्वर्ग बनाना तो बड़ी बात है अगर उस क्षेत्र में सरकार थोड़ा सा भी ध्यान दे तो उनके स्वराज्य की सही कल्पना चरितार्थ हो सकती है ।

अब मैं यातायात के साधनों की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अकबरपुर-रामगढ़ रोड जो श्री गिरधारी लालजी की कृपा से बनी वह आज ऐसी दशा में है कि न उस पर बस सर्विस है और न प्राइवेट लाइसेंस है । बड़ी कोशिश के बाद ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर श्री राठौर ने एक प्राइवेट लाइसेंस वहां के लिये दिया था लेकिन नये ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने उस को कार्यान्वित नहीं किया और वह इसलिये कि आर० टी० ओ० गोरखपुर जो उस रीजन का परमिट जारी करने वाले हैं, उसकी मरजी को ऐप्लीकेंट पूरा नहीं कर सका इसलिये आज हमारे उस क्षेत्र की जनता इतनी पीड़ित है कि उस सड़क से जो सुविधा प्राप्त होनी थी वह नहीं हुई । दूसरी जगहों पर ५, ५ पुल बन रहे हैं लेकिन जलालपुर कस्बे का पुल, जहां से सरकार को २ लाख रुपया सेल्स टैक्स के रूप में मिलता है, आज भी रो रहा है । अपने क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते, जब आप वेलफेयर स्टेट की कल्पना करते हैं, तो आपको बताना चाहता हूं कि आप देखें जहां के लोगों के सामने कोई भी आर्थिक उन्नति नहीं दिखाई पड़ रही है उस तरफ भी ध्यान दें । कागजी आंकड़ों से काम नहीं चलने वाला है, वे तो एक कल्पना मात्र हैं । जैसा राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हम यातायात के साधनों में प्रगति कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि टांडा-जलालपुर सड़क और पुल की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया । पिछले १० सालों से एक बड़े नेता माननीय उपाध्यक्ष वहां के प्रतिनिधि रहे हैं, उनके समय में भी वहां कोई प्रगति नहीं हुई, अब सरकार उधर अवश्य ध्यान देगी, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि वह बहुत योग्य व्यक्ति थे ।

जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है लेखपाल और जिला बोर्ड के मास्टरों और सेक्रेटरीज ने खुले आम विरोधी सदस्यों का विरोध किया और कांग्रेस के कैन्डीडेट का खुले आम साथ दिया । जब हम लोगों ने वहां के अधिकारियों का इस ओर ध्यान आकर्षित किया तो उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया गया । आपको चाहिये उन स्थानों पर, जहां लोगों की शिकायतें हैं, किसी आदमी द्वारा जांच करायें और अगर हमारी शिकायत सही हो तो उन लोगों के विरुद्ध उचित कार्यवाही होनी चाहिये और यह कहना कि कर्मचारियों ने सही काम किया, किसी का साथ नहीं दिया, यह बिलकुल मॉकरी है ।

श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह (जिला रायबरेली)—अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल, के सम्बोधन को पढ़कर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यदि उनका भाषण एक पक्षी न होता और उसमें कुछ त्रुटियां, जो देखने में सामने आयी हैं, का भी जिक्र होता तो शायद आज विवाद की नौबत न आती । राज्यपाल जी ने अपने भाषण में सत्तारूढ़ दल का जो गुणानुवाद किया और उसके दोष नहीं बताये इसी कारण इस विवाद की आवश्यकता हुई । धन्यवाद का प्रस्ताव है, विरोधी पक्ष के लोग भी चाहते हैं धन्यवाद देना किन्तु कुछ संशोधनों के साथ ।

संशोधन जो है वह स्पष्ट है और विचारणीय है । एक संशोधन जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में निष्पक्ष चुनावों के बारे में कहा है, उसकी बाबत है । सत्तारूढ़ दल ने १९६२ के चुनाव में जो सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया है तथा अनुचित उपायों से

[श्री नरेन्द्रबहादुरसिंह]

चुनाव जीतने का प्रयास किया है उसके बारे में यह कि उसका उल्लेख अभिभाषण में नहीं है। यदि इसका समावेश हो जाता तो अनुचित न होता क्योंकि यह स्पष्ट है और समाचार-पत्रों के द्वारा शायद सभी माननीय सदस्यगण को विदित हो गया होगा कि इन पिछले चुनावों में कुछ सत्तारूढ़ दल के द्वारा सरकारी साधनों का और अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है। उदाहरणार्थ मैं कुछ बातें माननीय सदन के सामने आज रखना चाहता हूं। रायबरेली जिले में रोखा चुनाव क्षेत्र से जहां एक डिप्टी मिनिस्टर सत्तारूढ़ दल की तरफ से चुनाव लड़ रहे थे, नामिनेशन की तरीख से पहले एक माह के अन्दर १६२ मीटिंगें सरकारी साधनों के साथ, सरकारी अहलकारों के साथ और सरकारी कारों और जीपों के साथ हरिजन कल्याण व हरिजन सम्मेलन के नाम से उस क्षेत्र में की गईं। यदि समय से पहले सत्तारूढ़ दल अपने अधिकारों से अलग हो जाता, मंत्रिमण्डल छोड़ देता तो शायद यह सरकारी साधन उनको न मिलते और यह १६२ मीटिंगों द्वारा उनका चुनाव का प्रचार न हो सकता था। उसके साथ-साथ हरदोई और बलरामपुर के कांड यह स्पष्टतः बताते हैं कि इस चुनाव के सम्बन्ध में अगर राज्यपाल महोदय केवल इतना अपने भाषण में कहते कि कुछ दुर्घटनायें भी हुई हैं जिनके लिये वे क्षुब्ध भी हैं तो शायद इस संशोधन की आवश्यकता न पड़ती। परन्तु उन्होंने उसका कोई जिक्र नहीं किया बल्कि सदन को यह दिखलाया गया कि सारे निर्वाचन शांतिपूर्ण और विधान के अनुसार हो गये।

हमारे सत्तारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्यगण ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ दल अपने साधनों का दुरुपयोग करता तो शायद विरोधी दल इतना जीत कर न आता। सत्तारूढ़ दल के अनुचित प्रयासों के दो नतीजे हुआ करते हैं या तो वोटर या जनता दब जाय और दब कर के सत्तारूढ़-दल का समर्थन करे या फिर सत्तारूढ़-दल के विरुद्ध विद्रोह करके यह समझ ले कि अच्छा सत्तारूढ़ दल इतने अनुचित प्रयत्न कर रहा है उसका साथ हमको नहीं देना चाहिये। मैं समझता हूं कि इसी दूसरे परिणाम पर जनता पहुंची और इसी कारण यह इतने विरोधी दल के लोग जीत कर आये हैं। इसका परिणाम यह भी हुआ है कि अगर इतना सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने अधिकारों और साधनों का दुरुपयोग न हुआ होता तो शायद सत्तारूढ़ दल के इतने माननीय सदस्य भी न दिखलाई पड़ते।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार की प्रशासनिक क्षमता के बारे में भी बहुत गुणानुवाद अभिभाषण में किया गया है। उसके बरक्स देखा यह गया है कि प्रशासनिक क्षमता प्रदेश की कम होती चली जा रही है। प्रशासनिक क्षमता का बहुत सा भाग पुलिस के ऊपर रहता है और आप देखें कि ज्यादातर उसी विभाग के, पुलिस के जवानों की वेतनवृद्धि की सिफारिश की गई है, बाकी दूसरों का ख्याल भी नहीं किया गया है। शायद सत्तारूढ़ दल यह समझता है कि इस तरह से पुलिस को प्रसन्न करके और ज्यादा ताकत उनके हाथों में देकर या उनके अनुचित कार्यों की प्रशंसा करके किसी तरह से अपने हाथ में ताकत रखी जाय। लेकिन इस तरह से जब सरकारी अहलकारों के हाथों में ज्यादा ताकत दी जाती है, उनके उचित व अनुचित कार्यों पर विचार नहीं किया जाता है तो वह तानाशाही की ओर सत्तारूढ़ दल को भी ले जाते हैं और अधिकारियों में भी यह भावना अहंभाव की पैदा करती है। आज सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों में अहंभाव इसी कारण बढ़ भी रहा है।

किसानों की गिरती हुई आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये अभिभाषण में कहीं भी उल्लेख नहीं है। आज किसानों की स्थिति दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। लगान के बोझ से वे दबते चले जा रहे हैं। सन् ५२ में जितना लगान था आज लगभग उससे ढाई गुना बढ़ गया है और अभी तरह-तरह के अन्य उपायों से लगान बढ़ाने का प्रयास हो रहा है। जो लोग किसानों के बीच काम करते हैं उनको यह बराबर अनुभव हो रहा है कि लगान अभी बढ़ाने का प्रयास जारी है। इसके साथ-साथ उनके ऊपर तमाम टैक्सेज हैं जैसे पंचायत राज कर, डिस्ट्रिट बोर्ड कर। इनके अलावा और भी बहुत से टैक्सेज हैं जिनके बोझ से वे दबे

जा रहे हैं। शिक्षा का उनके बीच में बहुत कम प्रसार हो पाया है। उनसे टैक्स जितना वसूल किया जाता है उस पैमाने पर उनको शिक्षा की आधुनिक सुविधायें और यातायात की सुविधायें नहीं दी जा रही हैं।

शिक्षा के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि फीस लड़कों की डबल कर दी गई है। इस के अलावा उसमें माफी भी बहुत कम होती है। इस कारण से भी वे अपने बच्चों को पढ़ाने में असमर्थ हैं। विकास के नाम पर भी बहुत से टैक्सेज लगाये गये हैं लेकिन देहाती क्षेत्रों का बहुत कम विकास हो पाया है और उनका विकास करने का भी बहुत कम प्रयत्न किया जाता है। विकास का अधिक रुपया शहरी क्षेत्रों में ही खर्च कर दिया जाता है। ब्लाक में जो रुपया खर्च किया जाता है, अगर देखा जाय तो ज्यादा पैमाने पर वह इमारतों पर और कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है और शायद आधा रुपया ब्लाक की पब्लिक के डेवलपमेंट के लिये खर्च होता है। इन सब कारणों से मैं आशा करता हूं कि माननीय यादवेन्द्रदत्त दुबे के संशोधन को स्वीकार किया जायगा।

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)—मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के सम्बोधन के सम्बन्ध में जो माननीय जगदीशशरण जी अग्रवाल ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विरोधी दल की बेंचों से, जो नेताओं के द्वारा संशोधन के प्रस्ताव आये हैं, उनका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्रीमन्, जो संशोधन इस सीधे-सादे प्रस्ताव के सम्बन्ध में आये हैं उनको देखने से ऐसा मालूम होता है यदि इस प्रस्ताव के ऊपर पूरे तरीके से ध्यान दिया जाय तो जो बातें कही गई हैं वे न कही जातीं। मैं यह तो नहीं कहता कि किस आधार पर कही गईं, लेकिन मैं इतना अवश्य कह सकता हूं कि उनकी सत्यता में मुझे बहुत कुछ संदेह है। हमारे प्रमुख विरोधी दल के नेता ने चुनाव की निष्पक्षता के सम्बन्ध में जिक्र करते हुये अनेक दुर्घटनाओं का यहां पर जिक्र किया। बलरामपुर के विषय में भी उन्होंने उल्लेख किया। मैं उनसे आदरपूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वास्तव में यदि बलरामपुर की घटना की जांच करायी जाय तो पता चलेगा कि वह सरकारी कर्मचारियों की निष्पक्षता और उदारता का एक जीवित उदाहरण है। वहां के चुनाव के सम्बन्ध में क्या हुआ और कैसे हुआ और किस तरफ से उसका समारम्भ हुआ, यदि उसे देखा जाय तो जिस दल का वे यहां पर नेतृत्व ले कर चल रहे हैं उसी दल की ओर से, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शुरूआत की गई और जो धांधागर्दी हुई है, मुझे क्षमा किया जाय, जिस गुंडागर्दी का आरम्भ हुआ उसके ऊपर यदि वास्तव में एक कड़ा कदम उठाया जाता तो शायद है कि वहां कुछ और ही नतीजा नजर आता। लेकिन यह वहां के कर्मचारियों की बुद्धिमत्ता का परिचय है कि बड़े अच्छे ढंग से सुलझा कर उस काम को चला कर वहां का चुनाव निष्पक्षतापूर्वक कराया। लेकिन हां, उनको दुःख होना चाहिये क्योंकि दुर्भाग्यवश कहिये या सौभाग्यवश कहिये उनको वहां से सफलता न मिल सकी। इसीलिये वह वहां का जिक्र करते हैं। जौनपुर के विषय में उन्होंने बताया। वहां के बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बलरामपुर के विषय में तो यह निवेदन करूंगा कि खुली जांच करवाई जाय तो असलियत सामने आयेगी। साथ ही साथ ऐसे-ऐसे उदाहरण दिये जाते हैं कि अमुक मत पत्र मिला लेकिन कोई ऐसा उदाहरण नहीं दिया जाता कि किस जगह पर क्या हुआ।

दूसरी बात राज्यपाल महोदय के संबोधन के धन्यवाद के प्रस्ताव में यह भी जोड़ी गई कि इससे तानाशाही का खतरा है मगर इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तानाशाही का कोई भी, किसी प्रकार का खतरा नहीं है। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। मेरे विरुद्ध भी जनसंघ के उम्मीदवार खड़े हुये थे। जिस प्रकार यहां माननीय सदस्यगण आ कर संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ लेकर बैठते हैं और उसके बाद अपने विचारों को प्रकट करते हैं, मैं आदरपूर्वक कहना चाहूंगा कि यदि ध्यान से देखें तो जिस संविधान के अन्दर निष्ठा रखने की शपथ लेते हैं उसी के अन्दर

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

हमें निर्पेक्ष धर्म राज्य का संकेत दिया गया है और संकेतही नहीं बल्कि स्पष्ट रूप से उसके अन्दर यह लिखा हुआ है। लेकिन होता क्या है? मैं विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूं कि भारतवर्ष ऐसे विशाल देश के अन्दर, जिसमें विभिन्न सम्प्रदायों का समावेश है, उसमें आपस में प्रेम हो इसके लिये हमारे माननीय सदस्य क्या करते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसके लिये वह मूक ठहरेंगे, उनके पास कोई उत्तर नहीं है देने को। धमकी यह दी जाती है कि निष्पक्षता नहीं होती इसलिये हम सरकारी बेंचों पर कब्जा नहीं कर पाते। मैं नम्रता पूर्वक कहूंगा कि अगर निष्पक्षता न होती तो शायद आप इतनी संख्या में यहां नजर ही नहीं आते। मेरा सब के प्रति यह कहना नहीं है, दो, चार, दस ऐसे हो सकते हैं जो अपनी कर्त्तव्य-परायणता के बल पर आते हों लेकिन अधिकतर जो आते हैं वे साम्प्रदायिकता, धर्म और जाति का घोर प्रचार करके ही यहां प्रतिनिधित्व करने का मौका पाते हैं। मैं यह कहना उचित नहीं समझता लेकिन चूंकि चुनाव का विषय है और चुनाव बिलकुल दलों के आधार पर होता है इसलिये यदि मैं यह स्वीकार करूं तो गलत नहीं होगा कि हमारे दल के अन्दर भी कुछ थोड़ा सा विष व्याप्त हो गया है उसी का फायदा उठा कर यह यहां इतनी संख्या में नजर आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि गांवों के अन्दर ऐसा गलत और निराधार प्रचार किया गया विपक्षियों के द्वारा कि होटलों में खाना खिला देंगे, कांग्रेस ६ छटांक खाना देगी, बेधर्म कर दिये जायेंगे, सबको एक में मिला दिया जायगा, ऐसी निर्मूल बातें इन दलों के द्वारा फैलाई जायं तो कैसे देश का कल्याण सम्भव होगा, जो आशा करते हैं कि वे सरकारी बेंचों पर कब्जा करें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुन्दर पांडेय जी ने तो यहां तक कह डाला कि महा-महिम राज्यपाल महोदय ने जिलाधीशों के पदों के समाप्त करने के लिये अपने सम्बोधन में कोई संकेत नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं कि जब केरल में उनके दल की सरकार थी तो उस समय वे कहां थे जो अपने विचारों को न भेज सके? और उनकी सरकार ने अपने यहां इन पदों को समाप्त करने के लिये कदम नहीं उठाया। आज यह सुन्दर उपदेश वह उत्तर प्रदेश में देते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन पदों को समाप्त करने के बाद कौन सा पद होगा जिससे जिले का प्रशासन सुचारु रूप से चल सके। अगर उनके पास इस विषय में कोई सुझाव हो, तो दें। कोई न कोई प्रशासक तो जिले में रखना ही होगा। यह जरूर है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के बजाय जिलाधीश कर दिया गया है। यदि इस पर भी वे सन्तुष्ट नहीं हैं तो यह उनकी इच्छा की बात है।

अध्यक्ष महोदय, लगान आधा करने के बारे में बहुत जिक्र किया गया और साथ ही एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि पहले से ढाई गुना लगान अधिक बढ़ गया है। यह आक्षेप ठीक नहीं है। यह हो सकता है कि उनके अनुभव की कमी हो। जिस समय किसान की दुर्दशा थी, पीड़ित था और उसके ऊपर दरिद्रता छाई हुई थी उस समय उनका प्रादुर्भाव न हुआ हो इसलिये वे ऐसा कहते हों। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वास्तव में किसान का लगान पहले से एक बटे दस के बराबर है। प्रत्येक वस्तु के आज दाम दस गुने बढ़ गये हैं और किसान की हर चीज का दाम दस गुना अधिक हो गया है लेकिन लगान जो पहले था वही आज भी है। आज यहां पर पहले के राजा साहबान मौजूद हैं वे इससे इनकार नहीं कर सकते, कि जो लगान पहले था उससे दुगना या ढाई गुना नहीं किया गया है बल्कि एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह निर्मूल प्रचार क्यों किया जाता है और इसको सदन तक में प्रस्तुत कर दिया जाता है।

शिक्षा के सम्बन्ध में भी कह दिया गया है कि कोई विकास नहीं हुआ है। आज जितनी पाठशालायें खुली हुई हैं और जिले-जिले में तथा स्थान-स्थान पर जितने स्कूल और कालेजेज खुले हुये हैं उनको देखा जाय तो किसी की यह कहने की हिम्मत नहीं हो सकती है। मैं अपने जिले की कह सकता हूं कि मेरे यहां शिक्षा संस्थाओं की भरमार है। हो सकता है

कि उनके जिले में कुछ कमी हो, लेकिन प्रत्येक जिले में लड़के और लड़कियों के लिये स्कूल और कालेजेज खुले हुये हैं।

किसानों की गिरी हुई दशा के बारे में गलत लांछन लगाया जाता है। जो लोग किसानों में घूमते हैं उनके लिये नहीं कह सकता। लेकिन जो जातीयता और धार्मिकता के नाम पर आते हैं, उनके अनुभव में कमी है। जो साथी गांवों में जाते हैं वे जानते हैं कि आज से १५ वर्ष पहले जो किसान की दशा थी उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। जहां पहले छप्पर दिखाई देते थे वहां अब पक्के मकान दिखाई देने लगे हैं। घर-घर में आज साइकिलें नजर आती हैं। किसानों के लड़के ग्रेजुएट की शिक्षा प्राप्त करते हैं। ऐसी अनर्गल बातें और गलत आक्षेप लगाना ठीक नहीं है।

मन्त्रिमण्डल के लम्बे विस्तार के सम्बन्ध में जो बात कही गई मैं यह कहूंगा कि यह विषय ही यहां असंगत है। जिस वक्त बजट पेश होगा, सामान्य प्रशासन का बजट आयेगा, उस वक्त खर्च के बारे में ये बातें कही जातीं तो शायद सुन्दर होता। लेकिन सदन के अन्दर कहने की स्वतन्त्रता है, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह जो संशोधन रखे गये हैं बिलकुल गलत और असंगत हैं। इसलिये उनका विरोध करता हूं और जो प्रस्ताव माननीय जगदीश प्रसाद अग्रवाल जी ने रखा है, उसका हार्दिक स्वागत करता हूं।

श्री भगवानदास (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय ने जो भाषण दिया है उसके सम्बन्ध में मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि परिगणित जातियों के लिये जो १८ प्रतिशत स्थान सुरक्षित किये गये थे, उनको वह नहीं मिले। उसकी वजह से पिछले दिनों एक कमेटी का निर्माण हुआ, जिसके अध्यक्ष पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन श्री राधाकृष्ण नियुक्त किये गये। उसमें कुछ एम० एल० एज० भी शरीक थे। डेढ़ वर्ष पहले उसकी रिपोर्ट पेश कर दी गई। लेकिन राज्यपाल महोदय ने उस सम्बन्ध में कोई जिक्र नहीं किया। इससे जाहिर होता है कि यह जो परिगणित जाति का संकेत किया है वह केवल दिखावा मात्र है। आज कांग्रेस ही समाजवाद की बात नहीं कहती, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भी गला फाड़-फाड़ कर कहती है कि मुल्क के अन्दर हम समाजवाद लायेंगे। जनसंघ जैसी प्रतिक्रियावादी पार्टी भी आज समाजवाद की दुहाई देती है। समाजवाद वही ला सकता है जिसको समाजवाद की आवश्यकता है और इस बारे में तजुर्बा है। जो दुखी है वही इस मुल्क के अन्दर समाजवाद ला सकता है। यह तो सिर्फ दिखावामात्र है। देश के बड़े-बड़े पूंजीवादी तत्व समाजवाद को खेल का अखाड़ा बनाये हुये हैं। जिसके पास आज खाने को नहीं, पहनने को नहीं, जो जमीन पर रहता है, उस के बच्चे बिना दवा के मर जाते हैं, अगर कोई बच्चा डिप्थीरिया से बीमार हो जाय तो उसको इंजेक्शन लगाने के लिये पांच सौ रुपये चाहिये, अगर किसी के पास पांच सौ रुपये नहीं हैं तो उसका बच्चा मरेगा या जीवित रहेगा? तो हमारे प्रदेश में जिसमें करोड़ों की संख्या में रहने वाले दुखी मानव वास करते हैं। उसमें गुप्त मन्त्रिमंडल का यह हाल है कि दो साल पहले माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने यह कहा था कि हम खासतौर से, हरिजनों, परिगणित जातियों, और पिछड़ी जातियों के लिये कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। गुप्त मंत्रिमण्डल जो बना है, यदि यह अनुचित नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार बोल रहा हूं, उसमें बिलकुल साम्प्रदायिकता के आधार पर गठन हुआ है और उसमें काफी पया प्रदेश के मेहनतकशों का लुटाया गया है।

मैं मानता हूं कि सम्पूर्णानन्द मन्त्रिमण्डल ने जिस वक्त विधायकों के लिये दारुलशफा में जगह कम हुई तो उन्होंने और त्रिपाठी जी ने यह आदेश दिया कि बलिंग्टन होटल अक्वायर कर लो लेकिन एम० एल० एज० को तकलीफ न होने पाये। आप बंगलों में रहते हैं और हम फुटपाथों पर रहते हैं। हम भी जनता के चुने हुये प्रतिनिधि हैं। यह किस्मत की बात है कि आज आप मन्त्री हैं और हम मामूली एम० एल० ए० हैं। मैं जवान हूं। अगर आवेश

[श्री भगवानदास]

में आकर कोई बात कह जाऊं तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिये लेकिन मेरे दिल में जो शोले हैं जो आग है उसको निकालने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है मुझे यह वैधानिक अधिकार है, यद्यपि हमारे महात्मा गांधी जी आज यहां नहीं हैं तथापि यह उनकी तस्वीर हमारे सामने है और उसे देखकर मैं प्रेरणा ले रहा हूं मुझे उससे शक्ति मिल रही है। वह महात्मा गांधी जी जिन्होंने इस भारतवर्ष के लोगों को अंग्रेज शासन के खिलाफ लड़ने की प्रेरणा दी जिसने आप जैसे लोगों को यहां बैठा दिया इसी आपकी विधान सभा में किसी जमाने में विदेशी बैठते थे उन्होंने ही आपको इस लायक बनाया कि आप यहां बैठ सके। आज वह महात्मा गांधी यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि यह अधिक खर्चीला मन्त्रिमण्डल देख कर उनकी आत्मा को अवश्य दुख हो रहा होगा। अगर आप लोग यह मानते होंगे कि ईश्वर के पास जाकर हर आदमी को अपने किये का मुआवजा देना पड़ता है तो यह आप विश्वास रखिये कि आपको भी मुआवजा देना पड़ेगा, ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता।

मैंने अपने क्षेत्र में साइकिल से दौरा किया। दूसरी तरफ जीप थी रुपया था और शक्ति थी। लेकिन रिटर्न्स भरे जायेंगे तो तीन-चार हजार से ज्यादा कोई नहीं दिखायेगा। श्री मेनन के चुनाव में बम्बई में कितना रुपया खर्च हुआ होगा उस सच्चाई से कोई दूर नहीं है। आचार्य कृपलानी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता के चुनाव में कितना रुपया खर्च हुआ होगा यह भी सब जानते होंगे। तो इस तरह बड़े-बड़े कैपिटलिस्टों को साथ में लेकर आप यहां की भूखी और नंगी जनता को गुमराह करते हैं। सही मानों में आप नेतृत्व करने के योग्य नहीं हैं। जब तक देश में गरीब और पिछड़ा हुआ तबका आगे नहीं बढ़ेगा और उसके हाथ में नेतृत्व नहीं आयेगा तब तक देश सही मानों में उन्नति की ओर नहीं बढ़ेगा। हम माइनारिटी में अवश्य हैं लेकिन हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि हमारी सच्चाई की आवाज उत्तर प्रदेश में अपना महत्व रखती है वही महात्मा गांधी हैं जिन्होंने कि जिस वक्त अफ्रीका में यह देखा कि इंडियन्स को बराबरी में नहीं बैठने दिया जाता तो उन्होंने कहा था कि सभी मनुष्य बराबर हैं और इस तरह की व्यवस्था अवैधानिक है और उसी के परिणाम-स्वरूप आप देखें कि उस पूरे मुल्क ने गोरी कौम को अपने यहां नहीं रहने दिया। अगर आप भी उसी गोरी कौम के रास्तों पर चलेंगे और महात्मा गांधी के बताये हुये मार्ग पर नहीं चलेंगे, महर्षि दयानन्द और श्रद्धानन्द के आदर्शों पर नहीं चलेंगे तो आप भी उस स्थान पर बैठने नहीं पायेंगे।

इस देश में जिस तरह से जातीयता और साम्प्रदायिकता ने जन्म लिया है वह आगे के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इसका मुकाबला करने के लिए जितने भी प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं उनको सतर्क होना है। साम्प्रदायिकता और प्रतिक्रियावादिता आज दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है और वह राजे, महाराजे, जमींदार, सामन्तशाह जिनको कि हमने अंग्रेजों के साथ-साथ कब्र में दफना दिया था, वह आज फिर आपके ही जैसे लोगों की सहायता लेकर दोबारा सिर उठा रहे हैं।

आपके राजगोपालाचारी जिनको ब्रेन आफ कांग्रेस कहा जाता था, आज इन राजे महाराजों को गोद में लिये बैठे हैं। वह के० एम० मुंशी जो कभी आपके गवर्नर थे और यहां भाषण दिया करते थे, सदन में सम्बोधन किया करते थे, वह आज इस देश की समाजवादी व्यवस्था के खिलाफ कहते हैं कि देश में कोआपरेटिव फार्मिंग और समाजवाद जरूरी नहीं है। जब वह गवर्नर थे और कांग्रेस में थे तब इस देश में समाजवाद की जरूरत थी, अब आज नहीं है। आज देश में गरीबी, भुखमरी और लोगों की तकलीफें जिस तरह से बढ़ रही हैं वह हमारे लिए घातक हैं और अभिशाप के रूप में हैं। उनका मुकाबला करने के लिए प्रगतिशील विचारधारा के लोगों को, सच्चे दिल से समाजवाद के चाहने वाले लोगों को मैं कहता हूं कि जमीन पर आओ, आसमान से जमीन पर उतरो। आपका मकान जमीन है आसमान नहीं। वोट मांगते हो झोपड़ी के नाम पर और रहते हो कोठियों में। कब तक हमको धोखा दोगे? कहते हो, बैल रहेंगे तो

तुम्हारे खेती के काम आयेंगे लेकिन उड़ते हो हवाई जहाज में। यह मैं नहीं कहता कि हमें आधुनिक काल के यंत्रों का सहारा नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम भारतीयों को जिनका कि भारत की संस्कृति में विश्वास है उनको आधुनिक यंत्रों का गुलाम नहीं होना चाहिए। तभी हम अपने देश की सही मानों में रक्षा कर सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री मुहम्मद हुसैन (जिला बरेली)—आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के सम्बोधन के सम्बन्ध में, जो श्री जगदीश शरण जी अग्रवाल ने प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महोदय के संशोधन में इस बात का चर्चा किया गया है कि हमारी श्री चन्द्रभानु गुप्त की सरकार ने जो अभी तक काम किये हैं वह बहुत काबिले तारीफ हैं और आगे के लिये भी इसी तरह से उन्होंने रोशनी डाली है। हमें ऐसी उम्मीद है कि जो कारनामे पिछली सरकार ने दिखाये हैं इसी तरह से आगे भी रहेंगे और इसी तरह से अच्छे रहेंगे। मैं भी इस बात की ताईद करता हूं कि हमारी पिछली पंचवर्षीय योजना बहुत सफलतापूर्वक चली और अब तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है। उसके अन्दर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर हमको बहुत विचार करना है और पूरी ताकत से और सभी के सहयोग से उसको कामयाब बनाना है। उसकी तरफ भी उन्होंने इशारा किया है।

मैं यह समझता हूं कि किसी देश की तरक्की के लिये और वहां के रहने वालों के लिये चन्द चीजें देखने की खासतौर से जरूरी होती हैं। जिस देश के रहने वालों के लिये खाने को अन्न काफी हो, कपड़ा पहनने को काफी हो, मकान रहने के लिये काफी हों, तन्दुरुस्ती कायम रखने के लिये साधन अच्छे हों और रोजगार की व्यवस्था अच्छी हो तो यही उसका पैमाना है जिससे किसी मुल्क की तरक्की और वहां के रहने वालों के मियार को नापा जा सकता है। राज्यपाल महोदय ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है कि हमारी सरकार ने इन तमाम चीजों के लिये पंचवर्षीय योजना के तहत में बहुत तरक्की की है। जो कुछ कमी बाकी है और जो कठिनाई और खराबी इस वक्त है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के जरिये से दूर की जायंगी। उन्होंने बतलाया कि हमारे प्रदेश के अन्दर अन्न की जो समस्या थी वह उतनी इस वक्त नहीं है। पिछली दफा हमने देखा कि हमारे प्रदेश के अन्दर अन्न की बहुत कमी थी। जितने यहां लोग हैं उनके लिये काफी अनाज नहीं था। उसके लिये यहां पर काफी सरकारी गल्ले की दुकान खोल कर उस कमी को पूरा किया गया। यह सही है कि हमारे देश के अन्दर ऐसे साधन नहीं हैं जिससे हम अनाज के मामले में अच्छी तरह से तरक्की कर सकें। दूसरे देशों में वहां का ७५ फीसदी रकबा जेरेकाश्त है। वहां पर जितने लोग आबाद हैं उनसे चौगुनी पैदावार वहां पर अन्न की होती है। उनके पास वही अच्छे साधन हैं। हमारे प्रदेश का रकबा जरूर ज्यादा है लेकिन साधन ऐसे नहीं हैं जो विलायत में हैं। दूसरे देशों में एक साल के अन्दर ही तीन-तीन फसल पैदा होती हैं। वहां जमीन भी इतनी ताकतवर है कि एक बीघे के अन्दर १०, १० और १२, १२ मन गल्ला पैदा होता है लेकिन हमारे यहां इन चीजों की कमी है। इन चीजों की तरफ उन्होंने इशारा किया है और बतलाया है कि हमको बहुत चीजें उस प्लान के अन्दर पैदा करना है जिससे उन चीजों को हासिल किया जा सके। इसी तरह से हम अपने यहां कमी को दूर कर सकते हैं। लेकिन मेरे भाई ने बतलाया कि मुल्क के अन्दर भुखमरी और बेरोजगारी है। मैं समझता हूं यह सब बातें गलत हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ। अंग्रेजों के जमाने में जो ऐसी बात सुनने को मिलती थी वह बंगाल में सुनने को मिली थी। उस वक्त हजारों की तादाद में लोग भूखों मर गये थे लेकिन अपने प्रदेश में कभी ऐसी बात सुनने को नहीं आई।

इसी तरह से कपड़े की बात है। हमारे प्रदेश में काफी तादाद में कपड़ा बनता है। उसमें अब वह चीज नहीं है तो पहले थी। आज कपड़े की इतनी अधिकता है कि हमारे मुल्क से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मुहम्मद हुसैन]

कपड़ा दूसरे देशों को भेजा जाता है। इसी तरह से शुगर की उपज भी हमारे प्रदेश के अन्दर इतनी ज्यादा है कि जो हमारी जरूरत से काफी ज्यादा है। वह दूसरे देशों को काफी तादाद में भेजी जाती है। बहुत-सी चीजें जो दूसरे देशों से मंगाई जाती हैं वह उनके एवज में ही मंगाई जाती हैं जो यहां से भेजी जाती हैं।

जहां तक तन्दुरुस्ती का ताल्लुक है, मैं समझता हूं जो यहां पर २७ साल का पहले जिन्दगी का मियार था वह अब बढ़ कर ४२ साल का हो गया है और उसके कुछ कारण हैं। इसका कारण यह है कि हमारे प्रदेश में बेशुमार अस्पताल खोले गये हैं। पहले यह बीमारियां फैला करती थीं और उनसे मुहल्ले और गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। स्मालपाक्स वगैरह तमाम बीमारियां थीं, लेकिन वह सब नयी दवाइयां इजाद होने से और अस्पताल वगैरह खुलने से काबू में आ सकी हैं और अब ऐसी बीमारियां हमारे देश और प्रदेश में नहीं है। हमारी सरकार ने उनके लिये काफी पैसा खर्च किया है। जो अस्पताल खोले गये हैं उनकी तादाद पहले के अस्पतालों के दसगुने से भी ज्यादा है और उनमें हर तरह की सहूलियतें लोगों को मुहैय्या हैं।

मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में जो कमियां हैं वह उन्हीं तरीकों से दूर की जा सकती हैं जो राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में बताये हैं। इसलिये हम सब का यह प्रयत्न होना चाहिये कि हम सब उनको दूर करने के लिये पूरा सहयोग दें। केवल आलोचना करने से ही वे कमियां दूर नहीं हो सकती हैं। इसलिये जो प्रस्ताव माननीय जगदीश शरण जी ने रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री दयाराम (जिला फर्रुखाबाद)—अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से माननीय गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर जो विरोधी दलों की ओर से संशोधन पेश हुए हैं उन पर मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। माननीय दुबे जी का जो पहला प्रस्ताव आया कि पिछले एलेक्शन में सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया गया, उस पर काफी प्रकाश डाला गया, परन्तु जनसंघ पिछली बार से तीन गुना ज्यादा आया इस बात को देखते हुए मालूम यह होता है कि सरकारी पक्ष के लोगों के पेट में दर्द पैदा हो गया और इस बात को छिपाने के लिये केवल यही बात सामने रखी जाती है कि अगर सरकारी मशीनरी का प्रयोग किया जाता तो जो जनसंघ की तीन गुनी तादाद यहां दिखाई दे रही है वह न दिखायी दे पाती। किन्तु यदि चोर से अपने माल को बचा लिया जाय, अपराध करने वालों से अपनी और अपनी सम्पत्ति की रक्षा कर ली जाय तो क्या यह कहा जा सकता है कि अपराध नहीं हो रहे हैं? प्रदेश की तमाम बातें अखबारों में छपी हैं, अभी सदस्यों ने भी सामने रखी हैं और उनसे स्पष्ट हो जाता है कि सरकारी मशीनरी का खुलकर प्रयोग किया गया है जिसके विषय में विभिन्न स्थानों से तार भी भेजे गये और आज भी तमाम पत्र सामने रखे गये और उसके बाद जब इस प्रकार के संशोधन रखे जाते हैं तो जो बातें और प्रचार सदन के बाहर किये जाते हैं वे ही यहां भी रखे जाते हैं और जिनका वास्तव में कोई आधार नहीं है।

कहा जाता है कि जनसंघ फासिस्टवादी हैं। अभी-अभी एक सज्जन ने कहा कि जनसंघ भी साम्यवाद का समर्थन करता है। पता नहीं कहां से उनको यह बात पता चली और कहां जनसंघ की ओर से यह बात कही गयी कि जिसके आधार पर यह बात कहने का उनको अवसर मिला।

श्रीमन्, किसी बात को कहने से पहले यह नहीं सोचा जाता कि वे क्या कह रहे हैं, इसीलिये गलत बातें कह जाते हैं। जो भी तथ्य हमारे सामने रखे गये और पुनः काउन्टिंग के आधार पर जो नतीजे हमारे सामने आये उसको देखते हुये यह बात स्पष्ट विदित होती है कि सरकारी मशीनरी का खुल कर प्रयोग हुआ। वह किस के हित में हुआ किसके नहीं, यह दूसरी बात है, परन्तु यह स्पष्ट है कि उसका प्रयोग हुआ।

यह कहा गया है कि प्रशासनिक क्षमता अधिकारियों की कम हो गयी है। साथ ही साथ शिक्षा के विषय में भी संशोधन लाने की बात गवर्नर महोदय के अभिभाषण में कही गयी है। मैं इन दोनों बातों के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा पद्धति को जहां बदलने का प्रयास किया जा रहा है वहां पर आज देश का जो चरित्र गिर रहा है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। धार्मिक शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के चरित्र को ऊंचा उठाया जा सकता है और इसके आधार पर देश में अच्छी व्यवस्थायें कायम कर सकते हैं। इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं तो यह समझता हूं कि आज तक प्रशासन में जो ढीलापन आ रहा है, हर जगह रिश्वत खोरी और धोखेबाजी की बातें हो रही हैं, वे केवल व्यक्ति के चरित्र ठीक न होने के कारण ही है। इसका निदान तभी हो सकता है जब कि शिक्षा पद्धति ठीक हो।

इसके अलावा श्रीमन् जहां शिक्षा पद्धति को बदलने की जरूरत है वहां इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया गया है कि एक ही स्तर के शिक्षा देने वाले अध्यापक को क्यों एक ओर काफी वेतन मिलता है और दूसरी ओर उसी प्रकार की शिक्षा देने वाले को उससे कहीं कम वेतन मिलता है। देखा गया है कि कम वेतन वाले अध्यापक ट्यूशन करते हैं। वे कहते हैं बच्चों से कि बिना ट्यूशन के तुम पास नहीं हो सकते। ट्यूशन के लालच में वे स्कूलों में ठीक तरह से पढ़ाते भी नहीं। मजबूरी के कारण लड़कों को ट्यूशन पर उनको रखना पड़ता है। यह सब इसलिये होता है कि बिना उसके वे अपना पेट भर ही नहीं सकते। ट्यूशन के कारण वे स्कूलों में ठीक एजूकेशन नहीं दे पाते।

लगान के बारे में कहा गया कि लगान बढ़ा नहीं है, लगान घटा है। मैं नहीं जानता कि कौन से आंकड़ों से यह कहा जाता है कि लगान घटा है। भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों की अपेक्षा यहां पर लगान अधिक है। वह धीरे धीरे और बढ़ रहा है। शिकमी काश्तकारों का लगान बढ़ा, अधिवासी और सीरदार वाले काश्तकारों का लगान तो काफी बढ़ा। फिर सी० एल० आर० डी० के द्वारा न मालूम लोगों पर कितना एरियर्स निकाला गया। इस प्रकार से तमाम लगान बढ़ाया ही गया है। जमींदारी उन्मूलन के समय ७ करोड़ ८३ लाख रुपया सरकार के पास लगान के रूप में जाता था। जमींदारी उन्मूलन के बाद २२ करोड़ से भी अधिक लगान सरकार के खजाने में पहुंचता है और बढ़ता चला जा रहा है। आधा होना तो दूर रहा, वह तो दूना हो गया। बराबर उस ओर दुर्लक्ष्य हो रहा है।

सेपरेशन की बात कही गयी। हम देखते हैं कि जुडीश्यरी और एग्जिक्यूटिव में जो अलगाव किया गया है वह वास्तविक नहीं है। अधिकारीगण कहते हैं कि अगर हमारे ऊपर से जिलाधीश का अधिकार समाप्त किया जाय तो वास्तविक न्याय हम कर सकते है। एसी बात जरूर रखी जाती हैं। लेकिन वास्तविक रूप से पालन नहीं होता है और माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में इन बातों का दुर्लक्ष्य किया गया है।

श्री अध्यक्ष—आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हमारे समाजवादी दल के नेता ने, जो प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करता हूं। माननीय राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में चर्चा नहीं है कि चकबन्दी में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है। हमारे जिले में इतना भ्रष्टाचार है, उस ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां घूसखोरी का दरवाजा खुला हुआ है, जनता चकबन्दी से पीड़ित हो रही है। यही कारण था कि वहां कांग्रेस को बुरी तरह से हार मिली। एक तरफ तो पिछड़ी जातियों और हरिजनों के उत्थान का नारा लगाया जाता है और उस चकबन्दी में सी० ओ० और चकबन्दी अधिकारी के द्वारा पिछड़ी जातियों और हरिजनों को इतनी परेशानी है कि सौ का नोट भी घूस में कम होता है। हमने सी० ओ० और अन्य अधिकारियों के दफ्तरों में प्रदर्शन किया लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ। फिर दूसरे क्षेत्रों में चकबन्दी होने जा रही है। मैं सरकार का ध्यान ले जाना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की जनता की एक कमेटी नियुक्त करके सरकार भेज तो पता चलेगा कि वहां की

[श्री रतीपाल]

जनता कितनी परेशान है। उसकी राय से चकबन्दी करे। जिस कांस्टीटयुएंसी से मैं जीता हूं वहां नदी और नालों की बड़ी भीड़ है और जमीन चकबन्दी के मुआफिक नहीं है। तालुकेदारों की भी बड़ी भीड़ है। उनके बड़े-बड़े चक तो बने हुए हैं और गरीब किसान, पिछड़ी जाति या हरिजनों के पास ५ बीघा, ३ बीघा, २ बीघा, १२ बिस्वा तक जमीन है। १२ बिस्वे के चक सरकार कैसे बनाती है, यह समझ में नहीं आता। उससे जब मुकदमा होता है तो अगर १५ रुपये का वकील है तो सी० ओ० के यहां जाने के लिये ५० रुपया रोज मांगता है। जब तक जमीन का बटवारा नहीं होगा तब तक ऐसे सुधारों का कोई अर्थ नहीं होता। बड़े चकों में तो बकरी, भैंस जा ही नहीं सकती। जहां गरीबों के पास एक बिस्वा जमीन नहीं है वहां उनको क्या मिलेगा। इस प्रकार से सरकार जनता पर नौकरशाही का बोझ लाद रही है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सरकार जांच करवा कर चकबंदी कराये। आज हरिजनों के पास कोई जमीन नहीं है। सरकार का यह कहना केवल एक ढकोसला मात्र है कि वह हरिजनों की मदद करती है। हम लोग जो पिछड़े वर्ग के हैं वह सभी बातों को जानते हैं। इन पिछले १४ सालों के अन्दर पिछड़ी जातियों को क्या सुविधायें मिलीं? नौकरियों में पिछड़ी जातियों का नम्बर ही नहीं आता। कम से कम मेरे जिले में तो कभी नहीं आता। सरकारी अधिकारी पिछड़ी जातियों के लोगों को गुमराह करते हैं, उनको पता भी नहीं चलने देते और ऊंची जातियों के लोगों को बुला कर नौकरी दे दी जाती है।

जहां तक कोआपरेटिव सोसाइटीज का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करूंगा कि सरकार हमारे क्षेत्र की सोसाइटीज की जांच करवाये। वहां पर यह दशा है कि जिन किसानों ने कर्जा ही नहीं लिया उनके नाम पर भी सुपरवाइजर और सरपंचों ने जबरदस्ती (उनको पता भी नहीं चला) अंगूठा लगवा लिया। करीब २०० आदमियों से यह जबरदस्ती की गई और जब कुर्की आई तो सरकार ने उन पर कर्जा मान लिया और वसूल कर लिया यद्यपि वे चिल्लाते रहे और रजिस्ट्रार के यहां कोई प्रूफ नहीं था। तो कोआपरेटिव सोसाइटीज की यह हालत है लेकिन सरकार यह डंका पीटती है कि हमने लाभ पहुंचाया। आज वहां के लोग पुराने महाजनों के समय से भी अधिक कर्जदार हो गये हैं। पहले के महाजन तो कुछ रियायत भी कर देते थे। वहां के महाजन १०—१० हजार वाले छोटे-छोटे हैं, असली महाजन तो शहर में ही हैं जिनसे सरकार खुद बिक गई है और देहाती महाजनों को बदनाम करती है। तो मैं निवेदन करूंगा कि वहां पर जो चकबन्दी और सहकारिता चल रही है उसको न करें या फिर ऐसे अधिकारी को नियुक्त करें जो ठीक ढंग से काम चलाये। चकबन्दी कुछ दिनों के लिये बन्द ही कर दी जाय तो अच्छा है और इस बीच में एक कमेटी बनायें जो वहां पर जाकर जनता की राय ले। सरकार ने यहां पर तो इतना बड़ा मंत्रिमण्डल बना लिया है लेकिन रायबरेली जिले में पुलों का सत्यानाश हो रहा है।

श्री अध्यक्ष—समय समाप्त।

श्री श्रीपत मिश्र (जिला सुल्तानपुर)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों के सामने अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूं। राज्यपाल के भाषण की आलोचना के सम्बन्ध में मुख्यतः दो बातें कही गई हैं। एक तो निष्पक्ष निर्वाचन का न होना दूसरे टैक्स वृद्धि। यों तो हर बात के सम्बन्ध में अधिक से अधिक आलोचना की गयी है पर विशेषकर के यह बात कही गयी कि चुनाव में निष्पक्षता नहीं बरती गयी। इस सम्बन्ध में हरदोई और बलरामपुर के दो उदाहरण दिये गये हैं जिनके बल पर विरोधी वक्ताओं ने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश के सारे चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। शायद उनको यह ज्ञात होगा कि इस सदन के लिये ४३० सदयों का चुनाव हुआ और इसके अलावा लोक सभा के लिये ८०—८६ सदस्यों का चुनाव हुआ। लेकिन इन दो स्थानों का हवाला देकर यह बताया गया कि राज्यपाल महोदय के भाषण से निष्पक्ष चुनाव वाली बात निकाल

दी जाय। मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में सरकार बहुत ही उदार रही है। कहीं-कहीं विरोधी दल के लोगों को अधिक से अधिक सुविधा देने के लिये सीमा के परे उदारता बरती गयी है।

जिन लोगों ने सामन्तवादी या साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से इस चुनाव को लड़ा है उनके क्षेत्र में जौनपुर, सुल्तानपुर और प्रतापगढ़ भी आते हैं। यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि इन संस्थाओं के पोषक वही लोग थे जो अपने को उच्चवर्ग का कहते थे और कांग्रेस ने जो अधिनियम बनाये थे उनसे अपने को नुकसान पहुंचा हुआ समझते थे। उनकी मनोवृत्ति के कारण हम उनको ताल्लुकेदार और जमींदार कह सकते हैं। आपको वह सुनकर आश्चर्य होगा कि इस सरकार की उदारता के कारण कांग्रेस को समर्थन देने वाले अथवा उन पार्टियों को समर्थन देने वाले जो अपने को समाजवादी पार्टियां कहती हैं, ऐसे लोगों को वोट देने आने के लिये रोका गया। इस प्रकार की घटनायें प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर में हुई हैं। यह सरकार की उदारता का परिचय है। उन स्थानों पर शक्तिवान लोगों ने दूसरे पक्ष को वोट देने वाले मतदाताओं को नहीं आने दिया। एक ऐसी कांस्टीटुयेन्सी में अधिकारी गये और उन्होंने मतदाताओं से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हम वोट देने नहीं जायेंगे। बस इतने से ही वे लोग संतुष्ट होकर लौट आये और उन मतदाताओं को भी सन्तोष हो गया। ऐसा समझ लिया। मैं आपका ध्यान उन वाकयात की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिनके कारण उन्होंने कहा कि हम वोट देने नहीं जाते। मगर वे जानते थे कि आज के दिन वोट देने जाने के बाद उनके ऊपर सामन्तवादी लोगों की तरफ से जो जुल्म होंगे, दूसरी ओर सरकार के ये कार्यकर्ता उसमें उतनी सख्ती नहीं बरतेंगे। चूंकि उस वक्त भी वे उदार रहेंगे। सरकार अपने को निष्पक्ष साबित करने के लिये इस हद तक आगे बढ़ी कि वह उन लोगों की रक्षा भी नहीं कर सकी। तो मैं कहूंगा कि विरोधियों को निष्पक्षता की बात तो स्वीकार करनी ही चाहिये, बल्कि साथ ही साथ उनको इस सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि उसने सख्ती के साथ अपने कर्तव्यों का पालन न करके उन्हें लाभान्वित किया। इस युग में जब कि हर आदमी को वोट देने का अख्तियार है कोई पुराना डर या खौफ दिखला कर उन्हें वोट देने आने से मना नहीं कर सकता है। मगर ऐसा हुआ मैं तो कहूंगा कि विरोधी पक्ष को इस बात के लिये सरकार को धन्यवाद देना चाहिये कि उसने तो उनके पक्ष में काम किया।

इसके बाद टैक्स की बात कही गयी है। हर तरफ से यह बात कही गयी है कि टैक्स बढ़ाया गया है, टैक्स ज्यादा लगाया गया है, टैक्स न लगे, बिल्कुल न लगे, लगान बिलकुल न वसूल किया जाय और फिर भी शासन व्यवस्था चलती रहे, कल्याणकारी समाज की स्थापना भी हो, तो सबसे ज्यादा उत्तम है। लेकिन मैं अपने उन माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे उस व्यवस्था को बतावें जिससे इस तरह की बातें सम्भव हों। क्या वे यह नहीं चाहते हैं कि वे योजनायें, जो सरकार चलाये हुए है, वे चलें? अगर वे यह चाहते हैं कि वे चलें तो कोई ऐसे साधन बतलावें जिससे योजनाओं के चलाने के लिये कोई आर्थिक समस्या पैदा न हो तो वह कैसे सम्भले? वह कैसे रुके और उनके लिये पैसे किस तरह से उपार्जित किये जायं? टैक्स और लगान की बाबत जितनी बातें कही गयीं, उनमें आलोचनाओं व संशोधनों के द्वारा यह कहा गया है कि सब का लगान कम हो, टैक्स न लगे, इस बात की बहुत चर्चा की गयी है लेकिन किसी ने भी इसकी चर्चा नहीं की कि टैक्स कम करके किस तरह से योजनाओं के लिये धन उपार्जित किया जाय। मैं तो कहूंगा कि शासन को चलाने के लिये आप कोई रचनात्मक संशोधन या प्रस्ताव सरकार के सामने रखेंगे तो वह अधिक विचारपूर्वक सोचा जा सकता है और उस पर विचार होगा।

अन्त में एक बात मैं और आपके सामने रखूंगा। मैं यह महसूस करता हूं कि राज्यपाल महोदय के सम्बोधन में और जो बातें थीं उनके अलावा इस चुनाव के दौरान में और पिछले कई वर्षों से शासन के वातावरण को देखते हुए हम यह सोचते हैं और यह अनुभव करते हैं कि वहां के सारे झगड़े हमारे भूमि सम्बन्धी अधिनियम की वजह से हैं। उनमें कुछ ऐसी बातें

[श्री श्रीपत मिश्र]

हैं जिनकी वजह से दिखलायी पड़ता है, विशेष करके जो ये कागजात पटवारी के होते हैं उनमें सब से खतरनाक और भयंकर कालम रिमार्क या विवरण का होता है ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मुझे सिर्फ दो मिनट का समय और चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--एक मिनट समय है ।

श्री श्रीपत मिश्र--बहुत अच्छा । इस अधिनियम से अब यह हो जाता है कि कोई भूमिधर है या कोई सीरदार है । अब केवल असामी होने की बात और होती है और असामी दो ही सूरतों में होता है, या तो उसे सेवा के रूप में खेती करने के लिये जमीन मिली हो और दूसरा ऐसा होता है कि ये हमारे आदर्श पर चलने की बात करने वाले, जो सामन्तवादी लोग हैं, वे जब छोटे वर्ग के लोगों से नाराज हो जाते हैं तो वे लेखपाल से सम्बन्धित होकर उनके खातों में कुछ ऐसी लिखावट करा देते हैं जिससे बाद में उसको उस जमीन से हाथ धोना पड़ता है । तो मैं कहूंगा कि ऐसे लोग जो हैं उनको बचाने के लिये यह रिमार्क्स का कालम उन कागजात से निकाल दिया जाय तो बहुत से झगड़े समाप्त हो सकते हैं और यह जो किसान है उसको अधिकार पत्र मिलना चाहिये उसके सारे खेतों का उनके लगान का सारा ब्योरा उस किताब में होना चाहिये । इस तरह से किसानों को सरकारी अहलकारों से जो परेशानी होती है उससे वह बच सकते हैं । अन्त में मैं माननीय अग्रवाल जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं ।

अधिष्ठाता मण्डल के लिए नाम निर्देशित सदस्य के सम्बन्ध में घोषणा

श्री अध्यक्ष--उठने से पूर्व मैं एक घोषणा और करना चाहता हूं और वह यह कि पेनल आफ चेयरमैन में श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के नाम का एलान और किया जाता है ।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर इस सदन की बैठक होगी ।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
२८ मार्च, १९६२ ।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० २३ एल० ए०--१९६२--८४५ ।